खण्ड-206, अंक-10
शुक्रवार, 6 भाद्रपद, शक संवत् 1881
(28 अगस्त, 1959 ई0)

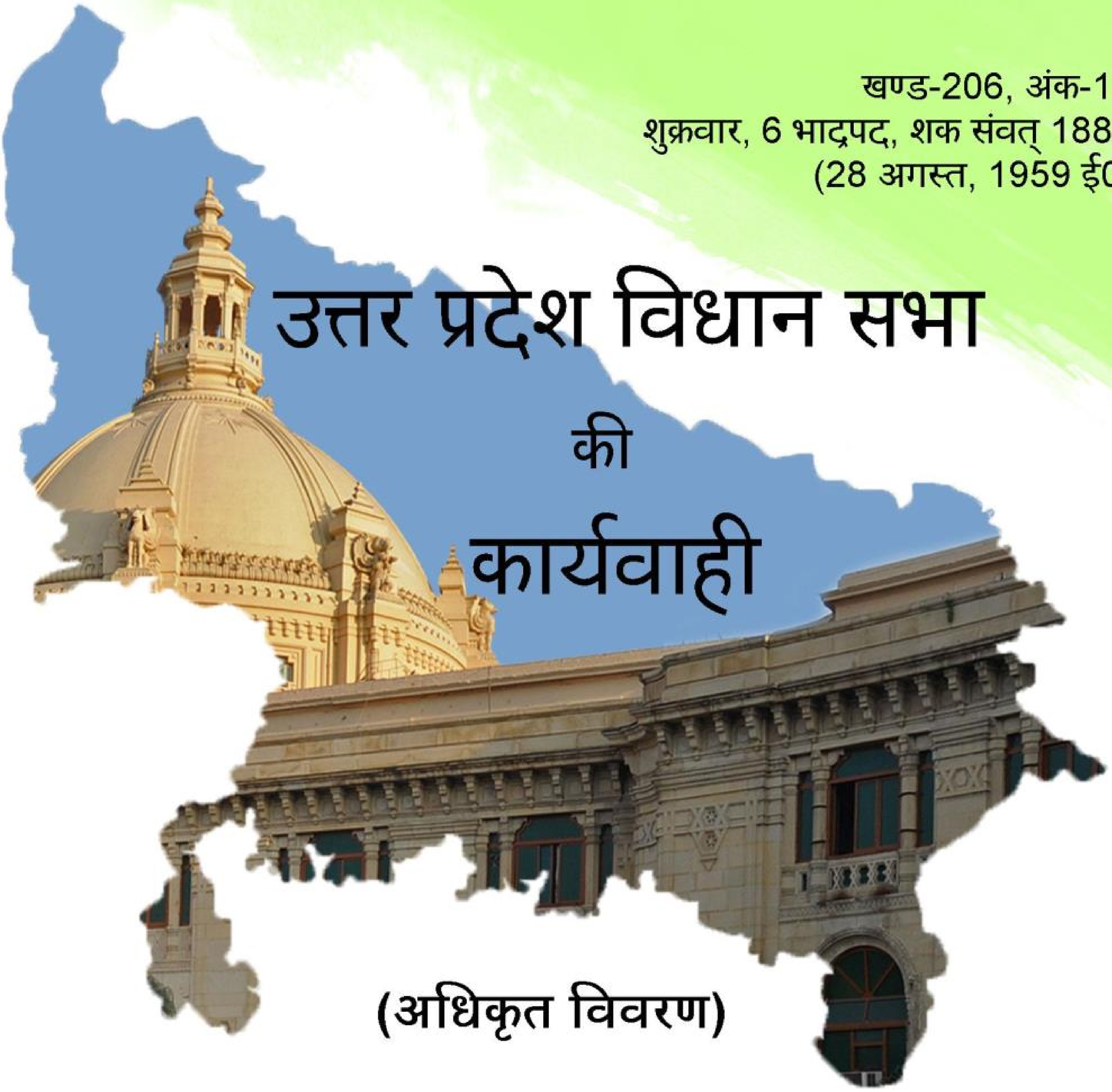

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 206 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २८ अगस्त, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३७४)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री

ग़यूरअली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगबीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरगलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दातराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पल्लूराम, श्री

परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रारिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ़ जाफ़री, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुराजसिंह चौधरी, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
राहतसिंह, श्री
राजेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीम नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवबचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री

शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २८ अगस्त, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शाहजहांपुर में कत्ल

**१--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले ६ हफ्ते में शाहजहांपुर शहर में कितने कत्ल हुए और उनमें से कितने कत्लों के मुलजिमान पकड़े गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

गृह उप मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--उक्त अवधि में शाहजहांपुर शहर में कत्ल की कोई घटना नहीं हुई है। एक घटना ८-८-५९ को अवश्य हुई जिसमें एक व्यक्ति अचानक पिस्तौल की गोली चल जाने से मर गया।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह गोली किस की पिस्तौल से चली और किस के द्वारा चलाई गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसा है कि एक शख्स को मारने के लिये षड़यन्त्र किया गया था। इसमें तीन आदमी और वह जो एक व्यक्ति मरा है, एक मकान में थे। इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा एक अन्य व्यक्ति की हत्या की योजना बनायी गयी थी। वे जब पिस्तौल ठीक कर रहे थे उस वक्त वह चल गयी, इस चौथे शख्स के लग गयी और वह मर गया।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गत ६ सप्ताहों में, शाहजहांपुर शहर में कोतवाली से १ फर्लांग के फासले पर ६ कत्ल हुए हैं, इस बात पर पुनः जांच कराने की कृपा करेगी कि जो सूचना सरकार को मिली है वह किसी सच्चे आधार पर नहीं है?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, कत्ल ऐसा जुर्म नहीं है जो छिपाया जा सके। कोई ऐसी सूचना माननीय मित्र यदि देंगे कि अमुक व्यक्ति का कत्ल हो गया तो दुबारा जांच करा ली जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---जो व्यक्ति गोली से मरा उसका क्या नाम था और यह गोली किस की पिस्तौल से चली?

श्री रामस्वरूप यादव---एक शख्स जिसका नाम राम स्वरूप था जो सरूपा कहलाता था, वह गोली से मारा गया। वह तीनों व्यक्ति जो वहां मौजूद थे, गोली चलने की आवाज के बाद वहां से भागे। इनमें से दो को तो फौरन पकड़ लिया गया और तीसरे को बाद में पकड़ा गया।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इन षड़यन्त्रकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी?

श्री रामस्वरूप यादव ---इनके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा ३०२, १२० (बी) और आर्म्स ऐक्ट की धारा १९ लगायी गयी है तथा एक शख्स फरार है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार बतायेगी कि पिछले ६ सप्ताह में शाहजहांपुर शहर में जो कत्ल हुए हैं उसमें शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का हाथ होने की वजह से स्थानीय पुलिस असली जांच करने में असमर्थ हो रही है?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---माननीय मित्र ने जो ६ सप्ताह की बात कही इससे भासित होता है कि उनका संकेत उन घटनाओं की ओर है जो २४ जून, ३० जून और ११ जुलाई को हुईं। उनमें जांच की गयी थी और पहले २४ जून वाले मामले को अदालत में भी भेजा जा चुका है तथा शेष २ में जांच हो रही है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय गृह मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह षड़यन्त्र किसकी हत्या के लिये किया गया था और जिसकी हत्या के लिये किया गया था क्या उसका जीवन अब तो खतरे में नहीं है?

श्री रामस्वरूप यादव---एक व्यक्ति श्री बालकृष्ण टन्डन की हत्या के लिये यह षड़यन्त्र किया गया था और इस षड़यन्त्र की शुरूआत जिसने करवायी थी उसका नाम गणेश शंकर है।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कत्ल में कितने आदमियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है और उसमें से कितने गिरफ्तार किये गये हैं?

श्री रामस्वरूप यादव---यदि इस घटना के सम्बन्ध में प्रश्न है तो मैंने अभी निवेदन किया कि ३ व्यक्ति जो मकान के अन्दर थे वे गिरफ्तार हो गये हैं और जिसने योजना बनायी थी वह व्यक्ति पहले ही इलाहाबाद जा चुका था। वह फरार है तथा अभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस षड़यन्त्र के सम्बन्ध में जिस पिस्तौल को इस्तेमाल करने की योजना बनायी गयी और जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, वह पिस्तौल लाइसेंस की थी या बगैर लाइसेंस की और जो योजना बनायी गयी थी उस सम्बन्ध में सरकार को और क्या जानकारी प्राप्त हुई है?

श्री रामस्वरूप यादव—अभी तक जो सूचना है वह यही है कि बगैर लाइसेंस की थी, तभी तो आर्म्स ऐक्ट के अनुसार मुकदमा चलाया गया है। इसके अलावा एक और पिस्तौल तथा कुछ और आर्म्स भी एक झोले में प्राप्त हुए हैं।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कत्ल दिन में हुआ या रात में?

श्री रामस्वरूप यादव—रात्रि में हुआ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये कत्ल एक सिलसिले में हो रहे हैं और एक षड़यन्त्र का होना सरकार स्वीकार करती है, तो क्या सरकार ऐसा आवश्यक समझेगी कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों को वहां से तब्दील करने की कृपा करे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, इसकी तरफ ध्यान गया है और हम कार्यवाही भी कर रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

राजनीतिक पीड़ितों को कन्या विवाह के लिए सहायता

*१—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या हाल में उसने ऐसे कोई आदेश जारी किये हैं कि राजनैतिक पीड़ितों की लड़की की शादी में सहायता या पेन्शन देने के सम्बन्ध में आये प्रार्थना-पत्रों पर तभी सहायता या पेन्शन दी जाया करेगी जब उन पर जिलाधीश की सिफारिश हो?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राजनीतिक पीड़ितों को पेन्शन या उनकी लड़कियों की शादी में सहायता, इस समय किसकी सिफारिश मान कर दी जाती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिनके विषय में पूरी जानकारी नहीं रहती उनके विषय में कलेक्टर से पूछा जाता है और विधान सभा के सदस्य या विधान परिषद् के सदस्य या पार्लियामेन्ट के सदस्य जो यह कह देते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हमारी जानकारी है और इनकी अवस्था ५० वर्ष से अधिक है और एक से अधिक बार जेल गये हैं, अगर इस तरह की संस्तुति करते हैं तो बिना कलेक्टर की रिपोर्ट मांगे ही उनको सहायता दे दी जाती है।

आगरा कमिश्नरी में विधायकों की अनुपस्थिति में तहसीलदारों का परताल करना

*२—**श्री गनेशचन्द्र काछी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जैसा कि सरकार का आदेश है कि पांच गांव में क्षेत्र के एम० एल० ए० के सामने तहसीलदार लोग परताल किया करें, उसके मुताबिक आगरा कमिश्नरी के जिलों में ऐसे तहसीलदार कितने हैं जिन्होंने क्षेत्रीय एम० एल० ए० के सामने सन् १९५८ में परताल नहीं की है?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)---आगरा कमिश्नरी के जिलों में ऐसे २२ तहसीलदार हैं जो विधायक महोदयों द्वारा अवसर प्राप्त न होने के कारण उनके सामने परताल करने में असमर्थ रहे।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन २२ तहसीलदारों ने जानबूझ कर उस समय परताल की जब कि सेशन चल रहा था जिसमें विधायक लोग शामिल न हो सकें?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---ऐसा नहीं है, उनको कोई सूचना नहीं मिली विधायक लोगों से कि फलां तारीख को फलां गांव में हम परताल करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या न्याय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि तहसीलदार लोगों की ओर से विधायकों के पास इस तरह की चिट्ठी नहीं भेजी जाती है कि हम आपके हल्के में आपके साथ परताल करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब एक आदेश दे दिया गया है, क्योंकि पहले की स्कीम नाकामयाब साबित हुई तो यह कह दिया गया है कि जाड़े के मौसम में जो उनका प्रोग्राम हो उसकी एक-एक कापी हल्के के माननीय सदस्यों के पास भेज दी जाय।

श्री देवनारायण भारतीय---सरकार ने उत्तर दिया कि २२ तहसीलदारों ने ऐसा नहीं किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि आगरा डिवीजन में कुल तहसीलदारों की संख्या कितनी है और उनमें से कितनों ने इस नियम का पालन किया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---एटा की ३ तहसीलों में परताल हुई और मैनपुरी में उस ढंग से एक तहसील में ५ गावों में परताल हुई और बकिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन २२ तहसीलदारों ने उस आज्ञा का पालन नहीं किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि उन्होंने बताया कि गत परताल में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि तहसीलदारों के साथ जो विधायक परताल में गये हैं उनकी सही रिपोर्ट सरकार को नहीं भेजी गयी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी शिकायत मुझे कोई नहीं मिली है।

श्री बलदेवसिंह---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आदेश जारी किये गये हैं कि विधायकों के सामने परताल हो तो परताल में डिप्टी साहब की समझ में कुछ और आये और विधायक की समझ में कुछ और आये तो विधायक की बात मानी जायगी या डिप्टी साहब की बात मानी जायगी? किसकी राय की वकत होगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन---विधायक की राय की जरूर वकत होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय---रबी की परताल तो जब जाड़े के दौरे में हाकिम परगना जायंगे तो हो जायगी लेकिन खरीफ की परताल के लिये क्या हिदायत है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अब तक तो जाड़े के दौरे के सम्बन्ध में आर्डर हुये हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले की जिस तहसील में परताल नहीं हुई उसका नाम क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस वक्त याद नहीं है।

किंग जार्ज मेडिकल कालेज, लखनऊ में नर्स की रहस्यमय मृत्यु

*३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल ही में स्थानीय किंग जार्ज मेडिकल कालेज के होस्टल में स्टूडेंट नर्स के अकस्मात् मरी हुई पाई जाने के कारण उसकी रहस्यमय मृत्यु के सम्बन्ध में जो जांच हो रही थी उसका क्या परिणाम निकला ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—जांच अभी चल रही है।

*४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त होस्टल में गत चार वर्षों में और भी नर्सें मरी हुई पायी गईं थीं ? यदि हां, तो कितनी तथा उनके मरने के क्या कारण थे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—कोई नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दस मास में भी जांच पूरी न हो सकने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पुलिस का काफ़ी वक्त जांच-पड़ताल में लगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उक्त नर्स के शव का पोस्टमार्टम हुआ था ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, वह हुआ था, लेकिन पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं दी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे क्या स्टेप्स ले रहे हैं कि जांच जल्दी स हो जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रिमाइन्डर भेजे गये हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पोस्टमार्टम हुआ वह कब हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मरने के फौरन ही बाद।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस अस्पताल की नर्स मरी हुई पाई गई क्या सरकार ने वहां के अधिकारियों से भी पूछने का कष्ट किया कि उसके मरने का क्या कारण था ? यदि हां, तो उन्होंने क्या बताया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सब इन्क्वायरी तो पुलिस कर रही है।

सिविल जज, लखनऊ के कार्यालय से फाइलों की चोरी

*५—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या गत २३ फरवरी को लखनऊ के माननीय सिविल जज के मुन्सरिम के कार्यालय से कई मुकदमों की फाइलें चोरी चली गईं हैं ? यदि हां, तो उनकी चोरी कैसे हुई तथा उनकी सुरक्षा का क्या प्रबन्ध था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। २३ व २४ फरवरी, १९५९ की रात में एक मुकदमें से सम्बन्धित कुछ काग़जात चोरी गये। छज्जे के एक पत्थर से बंधी हुई एक रस्सी लटकती हुई पाई गई जिससे रोशनदान से होकर चोरों के अन्दर घुसने का अनुमान लगाया जाता है।

ये कागजात एक मोहर बन्द लिफ़ाफे में एक सन्दूक में रखे थे। यह सन्दूक एक बड़ी आलमारी में रखा था तथा आलमारी और सन्दूक दोनों में ताले लगे हुए थे। उस समय तीन चौकीदार कचहरी के अहाते में पहरे पर नियुक्त थे।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में कोई गिरफ्तारी हुई है या कागजात का कुछ पता लगा है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच जारी है।

श्री चन्द्रजीत यादव---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुकदमों की फाइलों की चोरी के समाचार सूबे के कई जिलों से लगातार आ रहे हैं तो इस सम्बन्ध में सरकार कोई विशेष एहतिहात बरत रही है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अफसरान अपनी-अपनी जगह पर सतर्क होंगे। हमने कोई आदेश नहीं जारी किये हैं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस मुकदमें की फाइल चोरी गई है वह मुकदमा सरकार की तरफ से चलाया हुआ था और इस फाइल के चोरी होने का मुकदमे पर क्या असर पड़ेगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन---दीवानी का मुकदमा मालूम होता है। सरकार से नहीं चलाया गया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जितनी फाइलें गायब हुई हैं वह कितने मुकद्दमों से संबंधित हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---एक से।

श्री उग्रसेन---क्या यह सही है कि जिन लोगों पर शुबहा किया जाता है कि उन्होंने फाइलें चुराईं उनके मुकदमें कोर्ट में पेन्डिंग थे?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या सारे प्रान्त से ऐसी खबरें आने पर भी कि फाइलें चुराई गईं माननीय मंत्री जी इस सीरियस एनफ नहीं समझते कि कोई कड़ा कदम उठाया जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जरूरत होने पर अफसरान मुताल्लिका जरूर ऐसा कदम लेंगे।

अतर्रा ग्राम में अग्नि दुर्घटना

*६---श्री गरीबदास (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्थान अतर्रा, जिला बांदा के निकट एक छोटे गांव में १५ अप्रैल के लगभग कोई आग लगने की दुर्घटना हुई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अतर्रा ग्राम, जिला बांदा के निकट लोंघन पुरवा में दिनांक १३ अप्रल, १९५९ को एक साधारण आग लगने की दुर्घटना हुई थी।

*७---श्री गरीबदास (अनुपस्थित)---यदि हां, तो किस प्रकार का कितना नुक्सान हुआ और सरकार ने क्षतिग्रस्त लोगों को क्या सहायता दी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उक्त आग की दुर्घटना में श्री राम चरन को लगभग ४० रुपये की हानि होने का अनुमान है, किन्तु यह व्यक्ति खुशहाल है, इसलिये उसने किसी प्रकार की सरकारी सहायता नहीं मांगी।

मैनपुरी जिले में ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों को बन्दूकों के लाइसेंस

*८--श्री गनेशचन्द्र काछी--११ सितम्बर, १९५७ को प्रश्न संख्या ७९ के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों में जिन लोगों को उस वक्त तक बन्दूकों के लाइसेन्स नहीं मिल सके थे उन्हें अब मिल चुके हैं या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--सितम्बर सन् १९५७ तक जिन सदस्यों को लाइसेन्स नहीं मिले थे उनमें से १४८ को लाइसेन्स दिये जा चुके हैं।

श्री गनेशचन्द्र काछी--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों को अब तक बन्दूकों के लाइसेन्स नहीं मिले हैं उनको किस तारीख तक दिये जाएंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, समितियों के हर सदस्य को लाइसेंस देना अनिवार्य नहीं है। उसके लिए नियम बने हुए हैं उन्हीं के अनुसार दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार है। आवश्यकता, विश्वसनीयता तथा योग्यता के आधार पर वह देते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह देखते हुए कि डाकू वगैरह तो ले ही आते हैं और हिन्दुस्तान अब आजाद हो गया है क्या लाइसेंस हटाने का प्रयत्न सरकार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--श्रीमन्, यह आर्म्ड लाइसेंस का प्रश्न भारत सरकार के अधीन है। वह प्रदेशीय सरकार के अधिकार-क्षेत्र के बाहर है। यह मैं निवेदन कर दूं कि इस विषय पर भारत सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है और उन्होंने कुछ प्रस्ताव भी बनाया है। उसमें कुछ राय भी उन्होंने मांगी थी और वह राय उनको भेजी भी गयी थी। अभी वह सारा प्रश्न विचाराधीन है। अतः उस संबंध में कुछ स्पष्ट रूप से यहां कहा नहीं जा सकता।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लाइसेंस दिये जाने और न दिये जाने का एक आधार यह भी बनाया गया है कि उसने स्माल सेविंग्ज फंड में कितना रुपया जमा किया है और रिलीफ फंड में कितना चन्दा दिया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--लाइसेंस देने का अधिकार कलेक्टर्स को है और उनके डिस्क्रीशन में है। सरकार का हाथ उसमें नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आशा यह की जाती है कि जो रूल्स बने हुए हैं उन्हीं के आधार पर लाइसेंस देना चाहिये या न देना चाहिये इसका निर्णय जिला मैजिस्ट्रेट करेंगे न कि उसमें कोई नई बात लगाते हों।

श्री उग्रसेन--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश की सरकार ने केंद्रीय सरकार को यह राय दी है कि आर्म्स पर से लाइसेंस उठा लिया जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मान्यवर, मैंने अभी कहा कि यह सारा प्रश्न विचाराधीन है, इसलिये उस सम्बन्ध में कुछ न कहना ही उचित होगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--क्या मंत्री जी को ऐसी भी खबर मिली है हर जिले से कि लाइसेंस देने वक्त कलेक्टर या तहसीलदार लोगों से स्माल सेविंग्स के लिये रुपया मांगते हैं ?

श्री अध्यक्ष--इसका जवाब दिया जा चुका है।

फतेहगढ़ सिविल अस्पताल में किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सुई लगाये गये लड़कों की भर्ती

*९—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फर्रुखाबाद जिले में फतेहगढ़ सिविल अस्पताल में कितने ऐसे लड़के अप्रैल सन् १९५९ के १५ से २४ तारीख के बीच भर्ती किये गये हैं जिन्हें किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने जबरन सुइयां लगाई हैं ? क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में चिकित्सकों की रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अप्रैल सन् १९५९ के १५ से २४ तारीख के बीच फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ जिला अस्पताल में २ लड़के भर्ती किये गये जिन्हें कहा जाता है कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने जबरन सुइयां लगाईं। दोनों लड़कों के सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण दिया जाता है :

(१) श्री भीमसेन, पुत्र श्री श्यामलाल उम्र १३ वर्ष को २२-४-५९ को १ बजे दिन में जिला अस्पताल, फतेहगढ़ में भर्ती किया गया। इनको कै और दस्त की शिकायत थी और कहा जाता है कि इन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति ने बायें हाथ में २१-४-५९ को सुई लगाई लेकिन इनके हाथ में किसी प्रकार का चिन्ह नहीं था। बदहजमी की चिकित्सा की गई और वह ठीक हो गये। इन्हें २३-४-५९ को अस्पताल से discharge कर दिया गया।

(२) श्री अब्दुल मजीद, पुत्र श्री अब्दुल हमीद, उम्र ८ वर्ष को २२-४-५९ को १० बजे सुबह भर्ती किया गया और २३-४-५८ को शाम को ६ बजे discharge कर दिया गया। कहा जाता है कि इन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति ने २२-४-५९ की सुबह को बायें पैर में सुई लगाई, जहां पर सुई का स्पष्ट चिन्ह मौजूद था। इन्हें एक दिन अस्पताल में निरीक्षण के हेतु रखा गया, पर कोई अनहोनी बात न पाकर दूसरे दिन discharge कर दिया गया।

*१०—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार की ओर से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये कुछ विशेष कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस को आदेश दे दिये गये हैं कि वे इस मामले की जांच करें तथा जांच के लिये स्पेशल ब्रांच के एक अधिकारी तैनात कर दिये गये हैं।

श्री मदन पांडेय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस विशेष अधिकारी को नियुक्त किया गया जांच के लिये उसकी जांच के फलस्वरूप कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं या कोई अब तक दूसरी रिपोर्ट आयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तो जांच हो रही है रिपोर्ट नहीं आयी।

श्री मदन पांडेय—इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह—मंत्री जी ने बताया कि एक आदमी की चिकित्सा की गई और चिकित्सा के बाद वह अस्पताल से निकाल दिया गया जिसके सुई के दाग नहीं थे। तो मंत्री जी बतायेंगे चिकित्सा किस रोग की की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उत्तर शायद सुना नहीं कि बदहज्मी की दवाई की गई थी।

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन लोगों ने सुई लगायी थी उन लोगों के पास कोई मोटर वगैरह भी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पुलिस की रिपोर्ट आने पर बताया जा सकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस आदमी को कै दस्त हुए तो उसके पेट का कोई वाश लिया गया और केमिकल ऐग्जामिनेशन किया गया कि इसमें कोई जहर है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हुआ था।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि जो जांच की गयी कै और दस्त की उसका नतीजा क्या हुआ और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों इस सम्बन्ध में क्या सावधानी बरती गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पेट की जांच से कोई खराबी नहीं मालूम हुई। आइन्दा के लिये पुलिस को ताकीद कर दी गयी है कि इसका इन्तजाम करे।

कुछ महिला एवं शिशु केन्द्रों का बन्द होना

*११---श्री मदन पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश के कुछ महिला एवं शिशु कल्याण केंद्रों को बन्द किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन केंद्रों के नाम तथा उन्हें बन्द करने का कारण बताने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो केंद्र बन्द किये जाते हैं वे सरकार की स्वीकृति से बन्द किये जाते हैं। यदि ऐसा है तो सूचना को एकत्र करने में इतनी देर किन कारणों से हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---प्राइवेट आर्गेनाइजेशन्स भी चलाते हैं। वे हमसे कोई इजाजत नहीं लेते हैं इसलिये जरूरत पड़ी कि उनका पता लगायें कि किन-किन ने बन्द किया है।

श्री मदन पांडेय---चाहे सरकारी केंद्र हों या गैरसरकारी, सहायता उन्हें भी सरकार देती है या नहीं और यदि ऐसी सहायता देती है तो फिर किन कारणों से उनकी बन्दी की सूचना अब तक सरकार को नहीं मिल पायी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कुछ को देते हैं और कुछ को नहीं देते हैं और हमसे इजाजत लेने की जरूरत उनको नहीं मालूम होती। इसलिये हम सूचना इकट्ठा कर रहे हैं। जब मालूम हो जायगा तो सदन के सामने रखेंगे।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी को कोई ऐसी सूचना है कि उनके विभाग के द्वारा जो केंद्र चलाये जाते थे उनमें से चालू वित्तीय वर्ष में कुछ बन्द हो गये ? यदि हां, तो कितने ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह सूचना सब के साथ इकट्ठा करके दूंगा।

जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों के पास काम की अधिकता

*१२---श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि वर्तमान समय में प्रदेश के जुडीशियल आफिसर्स को प्रतिदिन जितने केसेज निर्णय करने के निमित निश्चित किये गये हैं वे अत्यधिक हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वर्तमान समय में जुडीशियल आफिसर्स के लिये कोई प्रमाप standard निश्चित नहीं है।

*१३—श्री मुक्तिनाथराय—यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुक्तिनाथराय—जब जुडीशियल आफिसर्स का कोई स्टैंडर्ड निश्चित नहीं है तो इनकी एफिशेंसी और इनएफिशेंसी का निर्णय किस प्रकार किया जाता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उनके फैसला शुदा मुकदमों की जो फीगर आती है उससे अन्दाजा लगा लिया जाता है।

श्री मुक्तिनाथराय—जुडीशियल आफिसर्स के लिये कोई स्टैंडर्ड निश्चित नहीं है इसका क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—स्टैंडर्ड पहले निश्चित था। बाद को रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर ने रेकमेंड किया कि इसे न रखना चाहिये क्योंकि अगर १० मुकदमें निश्चित कर दिये गये तो १० ही करते हैं ११ वां नहीं करते हैं टाइम रहने पर भी। इसलिये वह हटा दिया गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि जुडीशियल आफिसर्स के पास औसतन ५० से ज्यादा मुकदमें ऐसे रहते हैं जिनकी अनडिसाइडेड ही तारीख बढ़ती रहती है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

हेल्थ स्कूलों में सुपरिंटेंडेंट की नियुक्तियां

*१४—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार १-१-१९५८ को राज्य के हेल्थ स्कूलों में सुपरिंटेंडेंट के पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम, इस पद पर नियुक्ति की तिथि, जन्म-तिथि, शैक्षिक योग्यता व विशेष योग्यता की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वांछित सूचना नीचे दी जाती है—

नाम	नियुक्ति की तिथि	जन्म तिथि	शैक्षिक योग्यता	विशेष योग्यता
१—श्रीमती एस० प्रकाश	२ जनवरी, १९४३	२५ अप्रैल, १९११	सीनियर कैम्ब्रिज तक शिक्षा प्राप्त ट्रेंड हेल्थ विजिटर	
२—कुमारी बसन्ती दत्त	५ जुलाई, १९५६	५ जून, १९२३	हाईस्कूल परीक्षा पास ट्रेंड हेल्थ विजिटर	
३—कुमारी तारावती	१९ जुलाई, १९५७	२६ मई, १९२४	हाई स्कूल परीक्षा पास ट्रेंड हल्थ विजिटर	

*१५—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १-१-१९५८ के सुपरिंटेंडेंट्स में से कौन कौन लोग सेवा आयोग यू० पी० द्वारा select या approve हो चुकी थीं औरकिन किन तारीखों में?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उक्त लिखित सुपरिंटेंडेंट्स में से कु० बी० दत्त और कु० तारावती लोक सेवा आयोग द्वारा अस्थायी रूप से इस पद पर नियुक्ति के लिये फरवरी १९५७ में अप्रूव (approve) हुई थीं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सब से पहले श्रीमती प्रकाश की जो नियुक्ति की गई है उनके खिलाफ यहां के माननीय सदस्यों ने भी भीषण आरोप लगाये थे और कांग्रेसी स्त्री और पुरुष सदस्यों ने भी लिखकर दिया था कि यह लड़कियों से भ्रष्टाचार कराती हैं और चारित्रिक लांछन उनके ऊपर लगाये गये थे क्या यह सही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—शिकायत आई थी, लेकिन तहकीकात कराये जाने पर निराधार पाई गई।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या यह सही है कि जब जांच करने .....

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—लड़कियां नहीं बुलाई गईं।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। जो प्रश्न पूछा गया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो आपने अचानक सवाल बीच में कर दिया।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो शिकायत आई वह किस मेच की थी ?

श्री अध्यक्ष—शिकायत के बारे में कोई प्रश्न नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, अभी उन्होंने जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष—जवाब दे दिया होगा, मैं उनको रोक देता यदि एकदम उन्होंने जवाब न दिया होता।

श्री प्रतापसिंह—जो नियुक्तियां की गई हैं उनमें से कितनी ऐसी हैं जिनको पी० एस० सी० ने एप्रूव किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इन तीन में से दो को पी० एस० सी० ने एप्रूव किया।

स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न समारोहों पर व्यय

*१६—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १५ अगस्त, १९५८ के प्रदेशीय लोक संगीत उत्सव १४ नवम्बर, १९५८ के अखिल भारतीय बालदिवस के उपलक्ष्य में लोक नृत्य समारोह और १९५९ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेशीय नाट्य समारोह पर क्रमशः कितने कितने रुपये खर्च हुए ?

श्री रामस्वरूप यादव—इन तीनों समारोहों पर क्रमशः ५,४६९ रु० ५२ न० पै०; १०,४५५ रु० ५४ न० पै० तथा ६,८१८ रु० ३ न० पै० व्यय हुए।

समाजवादी दल द्वारा जिलाधीश देवरिया को प्रस्तुत की गई मांगें

*१७—**श्री उग्रसेन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में देवरिया में किसानों ने दिनांक १० मई, १९५९ को जिलाधीश के समक्ष प्रदर्शन किया था और एक मांग पत्र दिया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां। मांगें इस प्रकार हैं:—

१—(क) किसी भी अनाज का दाम फस्लों के बीच १ आना से अधिक नहीं बढ़े।

(ख) कारखाने में बनी किसी भी जीवनोपयोगी वस्तु का बिक्री दाम लागत खर्च के ड्योढ़े से ज्यादा किसी हालत में न हो।

(ग) किसान को उसके अनाज और उसके कच्चे माल का ऐसा दाम मिले जो लागत खर्च और जीवन निर्वाह पुराये, ताकि खेतिहर और औद्योगिक चीजों के दामों में संतुलन और समता कायम हो।

२—(क) अंग्रेजी का सार्वजनिक इस्तेमाल समाप्त किया जाय।

(ख) अंग्रेजी पत्रों का विज्ञापन देना बन्द किया जाय।

(ग) हिन्दी की प्रिन्टर मशीनों की व्यवस्था की जाय और शिक्षा के क्षेत्र से अंग्रेजी ऐच्छिक विषय घोषित किया जाय।

(घ) अंग्रेजी में फेल मगर अन्य विषयों में पास छात्रों को सनद दी जाय।

३—(क) रबी की मालगुजारी माफ की जाय।

(ख) सस्ते गल्ले की दुकानें बढ़ाई जायं।

(ग) पांच दस की दफा १२ की तकावी माफ की जाय तथा उसकी वसूली तत्काल रोकी जाय, दफा १९ की तकावी किस्तों में वसूल की जाय।

४—बिना मुनाफा की खेती से मालगुजारी समाप्त की जाय।

*१८—**श्री उग्रसेन**—क्या सरकार ने उन मांगों की पूर्ति की व्यवस्था की है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—वांछित सूचना संबंधित विभागों से अभी एकत्र की जा रही है।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने कौन-सा कदम उठाया है?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बता दिया कि वांछित सूचना एकत्र कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो मुख्य मांग भाषा के संबंध में है उसके मान लेने में क्या कठिनाई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—संबंधित विभाग से दरियाफ्त हाल किया गया है।

श्री उग्रसेन—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब राज्य की और सदन की यह भाषा निश्चित हो चुकी है तो कैसी सूचना मंगाई जा रही है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—इसमें संबंधित विभाग ही कार्यवाही कर सकता है हर विभाग नहीं कर सकता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को जानकारी है कि घोषित नीति के विरुद्ध कुछ विभाग अंग्रेजी में अपने अधीनस्थ विभागों को लिखने के लिये बाध्य कर रहे हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं विभागों में कुछ काम अंग्रेजी में जरूर होता है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को जानकारी है कि जुलाई के महीने में वन विभाग से उनकी ब्रांच के पास यह सरक्यूलर गया है कि जो पत्र अंग्रेजी में भेजे जायं उनका जवाब अंग्रेजी में आये ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का वन विभाग से कोई संबंध नहीं है।

श्री उग्रसेन---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दफा ५२ की तकावी जो बाढ़ग्रस्त तथा अकालग्रस्त क्षेत्रों में दी गई है उसको माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---ऐसा तो कोई विचार इस वक्त है नहीं।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रांतीय सरकार की ओर से किसी भी विभाग में ऐसे आदेश गये हैं कि जो पत्र वहां से अंग्रेजी में जायं उनका जवाब अंग्रेजी में ही दिया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अभी उच्च न्यायालय के माननीय जज ने यह फैसला दिया है कि इस सरकार की ओर से कोई विज्ञप्ति अगर अंग्रेजी में निकलती है तो उसकी लीगल वैलिडिटी नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अखबारों में पढ़ा है मैंने।

श्री राजनारायण---अखबारों में न्यायाधीश की यह उचित सम्मति पढ़ने के बाद सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उसकी पाबन्दी की जायगी।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि न्यायाधीश की इस सम्मति के बाद भी कुछ विभाग अंग्रेजी में उत्तर देने के लिये बाध्य किये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---उसका जवाब तो उन्होंने दे दिया कि बाध्य नहीं किये जा रहे हैं।

श्री राजनारायण---उसके पहले के लिये कह रहे थे बाद में क्या हुआ, न्यायाधीश की सम्मति के बाद ?

श्री अध्यक्ष---वह कहते हैं कि बाध्य नहीं किये जा रहे हैं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १० मई, १९५९ को सोशलिस्ट पार्टी ने जिलाधीश के सामने जो प्रदर्शन किया तो जिलाधीश ने उस प्रदर्शन के बारे में कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---मांग की फेहरिस्त दी है।

देवरिया जिले के मलेरिया विरोधी अभियान पर व्यय

*१९---**श्री उग्रसेन**---क्या न्याय मंत्री कृपया दिनांक १३-३-१९५९ के तारांकित प्रश्न ३७ के उत्तर के क्रम में देवरिया जिले में मलेरिया विरोधी अभियान में निम्नलिखित मदों में हुए खर्चे का विवरण बताने की कृपा करेंगे :---

(अ) मोटर व्यय, (ब) दवाइयों के छिड़काव (स) कर्मचारियों का वेतन, (द) स्थापना व्यय ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—१३-३-५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के क्रम में देवरिया जिले में मलेरिया विरोधी अभियान में १-४-५८ से ३१-१-५९ तक के खर्च का विवरण इस प्रकार है —

		रुपया
अ—मोटर व्यय	..	१३,११७.६७
ब—दवाइयों का छिड़काव	..	१,०४,४३३.८०
स—कर्मचारियों का वेतन	..	३९,७३३.०३
द—स्थापना व्यय	..	९,९५७.६६
	योग ..	१,६७,२४२.१६

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १-४-५८ से ३१-१-५९ तक मलेरिया विरोधी अभियान में कितना रुपया खर्च किया गया और यह कार्य कितने गांवों में सम्पन्न किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—देवरिया ईस्ट और वेस्ट की जो यूनिटें हैं वहां पर काम हुआ है। गांव की तादाद इस वक्त नहीं मालूम है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दवाओं के छिड़काव में जो १ लाख ४ हजार ४ सौ ३३ रुपये ८० नये पैसे खर्च हुए हैं इन में दवाओं की कीमत है या दवाओं के छिड़काने वाले कर्मचारियों का वेतन भी शामिल है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा खयाल है कि वेतन नहीं शामिल है। खाली दवाओं का दाम है।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह जो मलेरिया विरोधी अभियान देवरिया में दो यूनिटों से चलाया गया इसको और भी दूसरी यूनिटें कायम करवा जहां नहीं हुआ है, वहां करवा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम तो सारे सूबे में करवाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मलेरिया विरोधी अभियान देवरिया में किया गया यह स्कीम वहां पूरी हो गयी या वहां अभी चल रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी चल रही है।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस प्रकार की भी शिकायत आयी है कि दवा पुरानी होने की वजह से या कम मिला कर छिड़कने की वजह से उसका पूरा-पूरा असर नहीं हो पाता ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी तो कोई शिकायत नहीं आयी।

महोबा के निकट बस दुर्घटना

*२०—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में ९ मई, १९५९ को महोबा से बेलाताल को एक बारात ले जाते हुए एक लारी दुर्घटना हुई थी ? यदि हां, तो उक्त दुर्घटना का क्या कारण था और उसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। दुर्घटना लारी की तेज रफ्तार के कारण हुई जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हुई व ४० व्यक्तियों के चोटें आईं।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की भी सूचना है कि इस मोटर की छत पर अधिक लोड लदा था और छत पर लगभग २५ सवारियां बैठी थीं जिससे छत टूट जाने से यह दुर्घटना हुई?

श्री रामस्वरूप यादव—हां, यह सही है कि सवारियां ५५, ५६ थीं और छत पर भी कुछ सवारियां थीं। बस का बाडी फट जाने के कारण यह दुर्घटना हुई।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस मोटर चालक और मोटर मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और भविष्य में ऐसी दुर्घटना न घटे उसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामस्वरूप यादव—मोटर ड्राइवर का, जो कि बहुत तेज रफ्तार से मोटर चला रहा था दफा २७६, ३३७ और ३०४ आई० पी० सी० में चालान किया गया और मालिक मैनेजर ड्राइवर तथा कंडक्टर का चालान अनअथराइज्ड रोड पर मोटर चलाने तथा ज्यादा लोड ले जाने के लिये दफा १२३, १२४ तथा ११२ मोटर ऐक्ट में किया गया है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी ने यह भी जानने की कोशिश की कि दुर्घटना से पहले मोटर ऐसे मार्ग से पास हो चुकी थी जहां कोई पुलिस चौकी थी और वहां पर उसे पकड़ लिया जाना चाहिये था?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह बताना तो संभव नहीं होगा कि मोटर किस चौकी के सामने से होकर निकली, लेकिन साढ़े चार मील महोबा से आगे जा चुकी थी, वहां पर यह दुर्घटना हुई।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह लारी के परमिट को कैंसिल करने की बात सोच रहे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, मुकदमे का फैसला हो जाने के बाद नियमानुसार इस पर जो सम्बन्धित अधिकारी हैं वह अवश्य विचार करेंगे।

महिला चिकित्सा सहायता प्रसार योजनान्तर्गत खुलने वाले औषधालय

* २१—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ४० औषधालयों की स्थापना द्वारा महिला चिकित्सा सहायता प्रसार नामक योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कहां-कहां औषधालयों की स्थापना की जावेगी?

श्री बलदेवसिंह आर्य—वर्तमान वित्तीय वर्ष में महिला चिकित्सा सहायता प्रसार योजना के अन्तर्गत तीन स्थानों पर महिला चिकित्सालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में शासकीय आदेश जारी किये जा चुके हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

१—अलीगंज (जिला एटा)

२—भिंगा (जिला बहराइच)

३—सम्भल (जिला मुरादाबाद)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त औषधालयों की योजना के अन्तर्गत महिला चिकित्सालयों की स्थापना के हेतु स्थानों का चुनाव करते समय मुख्य रूप से किस बात को प्राथमिकता दी जाती है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वहां की ज्योग्राफिकल पोजीशन और वहां की जरूरियात।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों पर अस्पतालों का निश्चय किया जा चुका है वहां पर पहले से भी अस्पताल रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सम्भवतः जनाने अस्पताल नहीं थे।

* २२---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[हटा दिया गया।]

अध्यापकों की प्रारम्भिक पाठशालायें खोलने की योजना

*२३---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार निकट भविष्य में शिक्षितों को काम देने तथा प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार करने के लिये दो अध्यापकों की प्रारंभिक पाठशालायें खोलने की कोई योजना प्रारम्भ करने की सोच रही है ? अगर हां, तो वह योजना क्या है और उसके अनुसार प्रदेश में जिलेवार चालू वित्तीय वर्ष में कितनी पाठशालायें खोलने का विचार है ?

शिक्षा उप मंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)---प्रश्नगत योजना पिछले वित्तीय वर्ष के अन्त से आरम्भ कर दी गई है।

खोले जाने वाले स्कूलों की जिलेवार प्रस्तावित सूची तथा योजना का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९२७-९२८ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस जिले में कितने स्कूल खोले जायं यह किसी नीति और सिद्धान्त के आधार पर तय किया गया था ? यदि हां, तो वह नीति और सिद्धान्त क्या थे ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---प्रत्येक जिला परिषद् को लिखा गया था कि वह अपनी आवश्यकता बतलायें और जिन जिलों ने जितने स्कूल मांगे उतने दे दिये गए।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना के संक्षिप्त विवरण में जो उन्होंने लिखा है कि अध्यापिकाओं के बिना किराये के रहने के लिये २३० आवास गृहों का निर्माण कराना, तो वह निर्माण प्रारम्भ हो गया है ? अगर हां, तो कितने आवास-गृहों का निर्माण हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस वर्ष से वह प्रारम्भ होगा। इस वर्ष बजट जो आपने स्वीकार किया १९५९-६० का, उसमें इसके लिये प्राविधान किया गया है और बरसात बीतने के बाद काम शुरू होगा। थोड़ी दिक्कत उसमें यह है कि एक तो जमीन मिलने की कठिनाई है दूसरे यह कि ये आवास-गृह जो बनेंगे वह पी० डब्ल्यू० डी० के द्वारा बनाये जायेंगे तो वह अपने समयानुकूल काम लेते हैं लेकिन आशा है कि शीघ्र ही यह काम आरम्भ हो जायेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी को मालूम है कि आगे चलकर जो ५७ विद्यालय निरीक्षक नियुक्त किये जाने की बात है उनमें से कुछ नियुक्तियां हो गई हैं, तो क्या उनके लिये वर्षा बाधक नहीं होती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी वह नियुक्तियां नहीं हुई हैं, लेकिन शीघ्र ही हो जायंगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत जो व्यय किया जा रहा है उसमें प्रान्तीय सरकार का क्या भाग होगा ?

श्री दीनदयालु शास्त्री---यह सारा व्यय भारत सरकार से मिलेगा।

श्री रामसुन्दर पांडय--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस तरह से कुल कितनी पाठशालयें खोली जायंगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री--इस वर्ष १४२५ पाठशालायें खुलेंगी ।

श्री प्रतापसिंह--क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसी योजना के अन्तर्गत सरकार ने १८२ सब-डिप्टी इन्सपेक्टर नियुक्त किये थे और उनमें से ७० को हाल ही में निकाल दिया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह व्यवस्था ऐसी होती है कि काम चलाने के लिये अस्थायी नियुक्तियां हो जाती हैं और फिर उसके बाद उनकी स्थायी नियुक्ति करने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन में उनके नाम भेजे जाते हैं । जो पब्लिक सर्विस कमीशन में सेलेक्ट नहीं होते उनको जाना पड़ता है । यह बात होती है । जो लोग हटे हैं वह ऐसे लोग होंगे जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन ने सेलेक्ट नहीं किया । इसलिये उनकी सर्विस समाप्त हुई ।

*२४--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--[१० अगस्त, १९५९ को प्रश्न २८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

*२५--२७--**श्री हरिदत्त कांडपाल** (जिला अल्मोड़ा)--[२७ अगस्त, १९५९ को प्रश्न १८-२० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

बोर कमेटी के आधार पर चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा का कार्य अलग करना

*२८--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सन् १९४७ में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित "बोर" कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के कुछ जिलों में चिकित्सा और शल्य चिकित्सा (मेडिकल ऐन्ड सर्जिकल) का कार्य अलग-अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह कार्य किस तारीख से अलग-अलग किये गये हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--बोर कमेटी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला चिकित्सालयों में उनके सामने दी गई तिथियों से चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा (Medical and surgical facilities) का कार्य अलग-अलग किया जा रहा है--

मुजफ्फरनगर	१४-७-५६
एटा	,,
बस्ती	,,
जौनपुर	,,
टेहरी गढ़वाल	,,
बिजनौर	१४-११-५७
बलिया	,,
इटावा	,,
गोंडा	दिसम्बर, १९५७
बुलन्दशहर	१०-३-५९
हरदोई	,,
देवरिया	,,
मिर्जापुर	,,
सीतापुर	,,

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों में चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा पृथक कर दी जायगी जिसके लिये आवश्यक भवन निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है और भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद आवश्यक स्टाफ नियुक्त किया जायेगा।

१९५९-६०

मथुरा
शाहजहांपुर
फर्रुखाबाद
मैनपुरी
गाजीपुर

१९६०-६१

खीरी
सुल्तानपुर
प्रतापगढ़
ऊरई
फतेहपुर
बांदा

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो डाक्टर दोनों पद्धति के विशेषज्ञ हैं उसका लाभ रोगी किस प्रकार उठा सकेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--एक में करेंगे तो ज्यादा एफीशियेन्ट होंगे, दोनों करेंगे तो शायद कम एफीशियेन्ट हों, कम जी लगगा।

विकास संग्रहालय भवन, लखनऊ के प्रांगण में श्रोतृशाला निर्माण योजना

*२९--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या विकास संग्रहालय भवन, लखनऊ के अहाते में एक श्रोतृशाला (आडिटोरियम) के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है ? यदि हां, तो कार्य के समाप्त हो जाने की आशा कब तक है ?

श्री रामस्वरूप यादव--निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक विकास संग्रहालय भवन के निर्माण का कार्य शुरू न होने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पैसे का न मिलना। जैसे पैसा मिलेगा वैसे काम शुरू होगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--बजट में धनराशि तो निश्चित की गयी है, फिर पैसे की कमी किस प्रकार पड़ गयी, क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस साल के बजट में पैसा रखा गया है और निर्माण का काम जब शुरू होता है तो जैसा अभी मैंने स्कूलों के बारे में बतलाया, एक तो बरसात चल रही है, उसके बाद ही काम शुरू होगा, दूसरे यह काम पी० डब्ल्यू० डी० करता है और वह अपना प्रोग्राम बनाता है उसके अनुसार यथा अवसर वह काम प्रारम्भ करते हैं।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो संग्रहालय बन रहा है इस के लिये कितने रुपये का एस्टीमेट है और उससे कौन सा जनहित का कार्य किया जायगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस आडिटोरियम का पहला इस्टीमेट ३ लाख २५ हजार रुपये का था और बजट में १ लाख ५० हजार रुपया रखा गया था, लेकिन जब प्रधान मंत्री जी पिछली बार यहां आये तो इस आडिटोरियम के बारे में वार्ता हुई और उनकी राय यह थी कि ९०० के बजाय १,२०० आदमियों के लिये यह बनाया जाय। इस के लिये आदेश दे दिये गये हैं। यह जो १ लाख ५० हजार रुपया रखा गया था वह सप्लीमेंटरी बजट के द्वारा सूचना विभाग के कार्यालय के लिये भवन निर्माण के प्रयोग में आयेगा।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्लान बनने से पहले कौन सी ऐसी वजूहात थीं कि जिनके कारण केन्द्रीय सरकार के प्रधान मंत्री से राय नहीं ली गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की राय लेने की आवश्यकता नहीं होती। वह बहुत बड़ा पद है। यह अपने प्रदेश के लिये ही अपने प्रदेश के पैसे से बन रहा है। यह सौभाग्य की बात है कि उनको चीज पसंद आ गयी और अब उम्मीद है कि वहां से भी कुछ सहायता मिल जायगी।

कृषि आय-कर की वसूली

*३०--श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में १९५४-५५ व १९५५-५६ में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कितना-कितना कृषि-आय-कर लगाया गया और कितना वसूल हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--सन् १९५४-४५ में कृषि आय कर ७८,३१,६२७ रुपये लगाया गया और ६८,६०,९१४ रुपये वसूल हुआ। सन् १९५५-५६ में ९५,९३,६४९ रुपये कर लगाया गया और ८१,०५,८८२ रुपये वसूल हुआ।

श्री सजीवनलाल--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो २४ लाख रुपया कृषि आय-कर का बाकी रहा उसका क्या कारण है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--वह वसूल हो रहा है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रुपया बाकी है उसकी वसूली के लिये सरकार कौन से विशेष कदम उठा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--उनके कंपेंसेशन बांड्स से वसूल कर रहे हैं, मालगुजारी से भी कुर्की करके वसूल कर रहे हैं। कुछ केसेज में स्टे आर्डर हो गये हैं हाई कोर्ट से, उनमें मजबूरी है, बाकी में हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दो विभिन्न सालों में जोत कर अलग-अलग लगने का क्या कारण है और यह बढ़ कैसे गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--कुछ रेट्स बढ़ गये थे, संशोधन हुआ था।

वृहत जोतकर

*३१--श्री सजीवनलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५६-५७ व १९५७-५८ में (वित्तीय वर्ष) वृहत जोत-कर कितना-कितना लगाया गया और कितना वसूल हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--कुछ नहीं।

श्री सजीवनलाल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह वृहत जोत कर लगाया नहीं गया या वसूल नहीं हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---लगाया नहीं गया ।

श्री सजीवनलाल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---पहली जुलाई, १९५७ से यह लागू हुआ था, लिहाजा १९५६-५७ में लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता । १९५७-५८ में इसमें ३० अक्तूबर, १९५७ को गवर्नर का अप्रूवल हुआ, पहली नवम्बर, १९५७ को गजट में छपा, रूल्स बनाये गये । २३ नवम्बर, १९५७ को बन गये । ४ महीने बाकी रह गये उसमें जिले के अधिकारियों को रिक्वायर्ड फार्म्स वगैरह छपाने में समय लगा, इस वजह से यह नहीं लगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या सरकार बतायेगी कि यह १९५७-५८ में जो कुछ कागज की तैयारी हो चुकी है उसके आधार पर वृहत जोत कर उसी प्रकार से लगाया जाने वाला है या अमेंडेड रूप में ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह तो नियमानुसार लगेगा ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---जो इतनी देर हुई फार्म वगैरह और रूल्स के बनाने में उसमें नुकसान कितना हुआ सरकार का ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---टैक्स लगाया जायगा तो कोई नुकसान नहीं होगा ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि लार्ज होल्डिंग टैक्स में और एग्रिकल्चर इन्कम टैक्स में अन्तर है ? माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसमें रुपये का जो अन्तर पड़ा, वह नुकसान है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---लार्ज होल्डिंग टैक्स नियम के अनुसार लगाया जायगा । अब देखा जायगा कि कोई नुकसान होता है या नहीं । इस वक्त नहीं बताया जा सकता ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह वृहत जोत कर जब कि ३० जून, १९६० को खत्म होने जा रहा है तो इसके जितने भी भाग हैं वह सब तोड़ने जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह कहना कब्ल अज़-वक्त है ।

श्री उग्रसेन---वृहत जोत कर नियमों के अर्धीन जो बकाया पड़ा है वह ३० जून, १९६० के अन्दर वसूल कर लेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोशिश करेंगे ।

*३२-३४---श्री शिवराजबहादुर (जिला बरेली)---[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

पटवारियों की पुनर्नियुक्ति

*३५---श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन पटवारियों का त्याग-पत्र सन् १९५३ ई० में स्वीकार किया गया था उनमें कितने ४५ साल से ज्यादे उम्र के थे और कितने ४५ साल से कम उम्र के थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---१२,५५८ पटवारी ४५ साल से ज्यादा उम्र के थे तथा १०,७५३ पटवारी कम उम्र के थे ।

नोट---तारांकित प्रश्न ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*३६--श्री अमरनाथ--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन पटवारियों का इस्तीफा मार्च, १९५३ ई० में स्वीकृत किया गया था उनमें से कितने पटवारियों को फिर से मुस्तकिल लेखपाल की जगह अब तक दी गई हैं और कितनों को चकबन्दी लेखपाल तथा चकबन्दी अमीन बनाया गया है और कितनों को अन्य सरकारी नौकरी दी गई है और कितने अभी बेकार हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--२,९२५ को मुस्तकिल लेखपाल की जगह दी गयी है, ३,६६५ को अस्थायी तथा स्थानापन्न रूप से लेखपाल की जगह दी गयी है, २,००२ को चकबंदी अमीन (अब 'चकबंदी लेखपाल') बनाया गया है, ६९३ अन्य सरकारी नौकरी कर रहे हैं तथा शेष १४,०२६ सम्भवतः अपना-अपना निजी तरीके से जीविकोपार्जन करते हैं।

*३७--श्री अमरनाथ--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चकबन्दी में कितने व्यक्ति लेखपाल का काम कर रहे हैं, उनमें से कितने पुराने पटवारी हैं और कितने नये भर्ती किये गये हैं और जो नये भर्ती किये गये हैं उनमें कितने लेखपाल पटवारगिरी का इम्तहान पास हैं और कितने पास नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--चकबन्दी में ६,४२४ व्यक्ति लेखपाल का काम कर रहे हैं। उनमें से २,००२ भूतपूर्व पटवारी हैं और शेष ४,४२२ नये भर्ती किये गये हैं। नये भर्ती किये गये चकबन्दी लेखपालों में से ९३४ पटवारगिरी का इम्तहान पास हैं और शेष ३,४८८ पास नहीं हैं।

देवरिया तथा आजमगढ़ जिलों का सीमा-विवाद

*३८--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चक्की भूसा-डीही, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़, में देवरिया जिले के गांवों से सीमा सम्बन्धी लगभग ४ वर्षों से चल रहे विवाद को निपटाने हेतु दोनों जिलों के जिलाधीशों को अन्तिम आदेश सरकार द्वारा कब और क्या दिया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ग्राम चक्की-भूसाडोही तहसील घोसी, जिला आजमगढ़, व देवरिया जिले के गांवों के सीमा सम्बन्धी विवाद को निपटाने के लिये सरकार ने १३ मार्च, सन् १९५९ को राजस्व परिषद् को यह आदेश दिये थे कि विवाद-ग्रस्त समस्त भूमि की पैमाइश (survey) की जाय। परिषद् द्वारा दोनों जिलों के जिलाधीशों को इस सम्बन्ध में उचित आदेश दिये जा चुके हैं।

*३९--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधीश आजमगढ़ के यहां १७-६-५९ को चक्की भूसाडोही के किसानों ने पैदल चलकर १४२ व्यक्तियों के हस्ताक्षर से देवरिया जिले के अधिकारियों द्वारा की गयी ज्यादतियों के विरोध में प्रार्थना-पत्र तत्काल कार्यवाही करने हेतु दिया है ? यदि हां, तो जिलाधीश द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सूचना एकत्रित की जा रही है।

*४०--श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर पांचवें शुक्रवार (४-९-५९) के लिये स्थगित किया गया।]

डिप्टी डाइरेक्टर, आयुर्वेद के पद पर नियुक्ति तथा आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के प्रिन्सिपल

*४१--श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डिप्टी डाइरेक्टर आयुर्वेद के अवकाश ग्रहण करने पर उस पद पर किसकी नियुक्ति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा संचालक काम देख रहे हैं।

*४२—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजकीय आयुर्वेद फार्मेसी का चार्ज भी १९५७ से एक एम० बी० बी० एस० डाक्टर के अधिकार में है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

*४३—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के प्रिंसिपल के पद पर भी कोई एम० बी० बी० एस० डाक्टर नियुक्त है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां।

*४४—श्री चन्द्रजीत यादव—[वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

इटावा जिले के हाईस्कूलों को प्राथमिक अनुदान न मिलने की जानकारी

*४५—श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसे इटावा जिले में कितने हाई स्कूल हैं जो सन् १९५६ से बराबर सरकार से प्राथमिक अनुदान पाने के लिये प्रार्थना-पत्र दे रहे हैं पर अभी तक उन्हें प्राथमिक अनुदान नहीं प्राप्त हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इटावा जिले में एक भी ऐसा हाई स्कूल नहीं है।

जिन्दपुर गांव के बलवे में श्री जीवन की हत्या

*४६—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला खीरी के ग्राम जिन्दपुर, थाना पसगवां में दिनांक १८ जून, सन् १९५९ को सायंकाल के समय किसी व्यक्ति का कत्ल हुआ तथा उसी के मकान में आग भी लगाई गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१८ जून, सन् १९५९ को करीब ९ बजे रात्रि को ग्राम जिन्दपुर में दो दलों में मारपीट हुई। इसके सम्बन्ध में श्री मितान ने दिनांक १९-६-५९ को ९.३० बजे दिन में एक लिखित रिपोर्ट दी जिसके अनुसार एक मुकदमा धारा १४७-१४८-३२४-३२३ भा० द० वि० का कायम किया गया। घायल व्यक्तियों में से श्री जीवन की उसी दिन को मृत्यु हो गई। इसलिये मुकदमे में धारा ३०४ भा० द० वि० भी बढ़ा दिया गया। श्री मितान की रिपोर्ट में मकान में आग लगाने का कोई आरोप नहीं था लेकिन जांच के समय श्री मितान की धारी जली पाई गई। मामले की तफतीश जारी है।

*४७—श्री मन्ना लाल—क्या यह भी सत्य है कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कत्ल की जगह बलवा की रिपोर्ट लिखी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—श्री मितान की रिपोर्ट पर जो श्री जीवन की जिन्दगी में दी गई थी मुकदमा बलवा का ही बनता था अतः धारा १४७-१४८-३२३-३२४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम किया गया। लेकिन जब घायल श्री जीवन अस्पताल में मर गये तो मुकदमा बलवा मय कत्ल का बना और धारा ३०४ भा० दं० वि० भी अपराध में बढ़ा दी गयी।

राजकीय चिकित्सालय बिजनौर के भवन विकास के लिए प्रार्थना तथा चिकित्सालयों का उच्च-स्तरीकरण

*४८—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बिजनौर के सरकारी चिकित्सालय के भवन के लिये कोई प्रार्थना-पत्र वहां के नागरिकों द्वारा प्राप्त हुआ है जिसमें मांग की गई है कि उक्त चिकित्सालय का स्थान वहीं पर बढ़ा कर भवन बनाया जावे ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

*४९—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में गत सन् १९५७ से १९५९ तक कितने सरकारी चिकित्सालय "A Grade" में कर दिये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उत्तर प्रदेश के चिकित्सालयों का कोई वर्गीकरण Grades A, B, C के अनुसार नहीं किया गया है। पर यदि माननीया सदस्या का प्रयोजन 'A Grade' चिकित्सालयों से उनके उच्चस्तरीकरण से है तो सन् १९५६–५७ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अब तक निम्नलिखित Divisional Headquarters चिकित्सालयों का उच्चस्तरीकरण किया गया है :—

१९५६–५७ में .. मेरठ व वाराणसी
१९५७–५८ में .. बरेली व गोरखपुर
१९५८–५९ में .. देहरादून व फैजाबाद, और
१९५९–६० में .. झांसी व मुरादाबाद जहां पर स्टाफ की नियुक्ति जब होगी जब वहां आवश्यक भवनों का निर्माण हो जायगा।

*५०—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त चिकित्सालयों के लिये भवन कितने जिलों में सम्पन्न हो गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उच्चस्तरीकरण के सम्बन्ध में शासन की ओर से निम्नलिखित चिकित्सालयों में भवन-निर्माण के लिये धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है :—

१९५६–५७ में .. मेरठ और वाराणसी के लिये
१९५७–५८ में .. गोरखपुर व बरेली के लिये
१९५८–५९ में .. देहरादून और फैजाबाद के लिये, और
१९५९–६० में .. मुरादाबाद और झांसी के लिये।

इनमें से वाराणसी व मेरठ में भवन निर्माण हो चुका है और गोरखपुर में भी इमारत करीब-करीब तैयार हैं। फैजाबाद और बरेली के नक्शे इत्यादि आ गये हैं और आशा है वह शीघ्र ही पास कर दिये जायेंगे और तत्पश्चात् निर्माण कार्य आरम्भ हो जावेगा। बरेली के नक्शे पास करने में कुछ विलम्ब इसलिये हो गया कि वहां के जनपद शल्यक (Civil Surgeon) को कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद वहां के वर्तमान चिकित्सालयों में पर्याप्त स्थान नहीं है परन्तु स्वास्थ्य सेवा संचालक ने अब यह सूचना दी है कि वर्तमान चिकित्सालय में ही नये भवनों का भी निर्माण होगा।

जहां तक मुरादाबाद, झांसी और देहरादून के चिकित्सालयों का सम्बन्ध है वहां के नक्शे इत्यादि शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है और जैसे ही वे प्राप्त और पास हो जावेंगे वहां भी निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा। मुरादाबाद व झांसी में भवन निर्माण होने पर उन स्थानों के चिकित्सालयों का उच्चस्तरीकरण किया जायेगा। इस योजना के लिये सरकार ने १,२३,२८० रुपये की स्वीकृति प्रत्येक केन्द्र के निर्माण के हेतु दी है।

महात्मा गांधी स्मारक हायर सेकेन्डरी स्कूल, सुल्तानपुर के अध्यापकों की मुअत्तली व बरखास्तगी

*५१—श्री रामसिंह चौहान वैद्य (जिला आगरा)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी स्मारक हायर सेकेन्डरी स्कूल, सुल्तानपुर के १ जनवरी, १९५९ से ३० जून, १९५९ तक कितने अध्यापक मुअत्तल और बरखास्त किये गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

*५२—श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या सरकार को यह विदित है कि क्या इन बरखास्त किये गये अध्यापकों के विषय में प्रबन्धक समिति ने जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

*५३—श्री रामसिंह चौहान वैद्य—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि—

(क) क्या यह सही है कि इनमें कुछ अध्यापकों के बरखास्तगी को जिला विद्यालय निरीक्षक ने रद्द कर दिया था और प्रबन्धक समिति को आदेश दिया कि सम्बन्धित अध्यापकों को कार्यभार तत्काल सौंप दिया जाय?

(ख) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रबन्धक समिति ने जिला विद्यालय निरीक्षक के उक्त आदेश को अमान्य कर दिया था? यदि हां, तो प्रबन्धक समिति के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

बलिया जिले की शिक्षा संस्थाओं से संबंधित प्रबंधक समितियों व निष्कासित अध्यापकों के मामले

*५४—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिले की किन-किन शिक्षण संस्थाओं में कितने-कितने दिनों से प्रबन्धक समितियों तथा आचार्यों के निष्कासन सम्बन्धी विवाद उप शिक्षा संचालक, वाराणसी क्षेत्र के समक्ष उपस्थित हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

*५५—श्री गौरीशंकर राय—उपरोक्त विवादों के सम्बन्ध में क्या इन अधिकारियों के आदेशों के सम्बन्ध में कोई शिकायत सरकार के पास आई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़ जिले में पुलिस सिपाही की मुअत्तली

*५६—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में मार्च, सन् १९५९ से अब तक कुल कितने पुलिस सिपाही मुअत्तल किये गये और क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मार्च, सन् १९५९ से १३ अगस्त, १९५९ तक एक व्यक्ति को मारने के आरोप में एक पुलिस सिपाही को मुअत्तल किया गया।

इलाहाबाद जिले में घटित कत्लों के मुकदमें

*५७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १ जुलाई, १९५८ से ३० जुलाई, १९५९ तक कितने आदमियों का कत्ल इलाहाबाद जिले तथा नगर में हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिले के देहाती क्षेत्र में ५८ और नगर में ५ व्यक्तियों का कत्ल हुआ।

*५८—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले से या नगर में कत्ल के कितने मुकदमे १ जुलाई, १९५८ से ३० जुलाई, १९५९ के चालू किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—देहाती क्षेत्र से ३७ और नगर के २ मुकदमे चालान किये गये।

*५९-६१—**श्री होरीलाल यादव**—(जिला फर्रुखाबाद) [वांछित सूचना एकत्र न हो सकने के कारण छठें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले में हरिजन कल्याण अधिकारी न होना

*६२—**श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में हरिजन कल्याण अधिकारी है या नहीं। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस समय नहीं है।

प्रदेश में ३ स्थान रिक्त होने के कारण गाजीपुर में हरिजन कल्याण अधिकारी नहीं है।

मैनपुरी जिले में बन्दूक के लाइसेन्सों के लिए आवेदन-पत्र

*६३—**श्री नत्थूसिंह** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी में बजट वर्ष १९५७-५८ व १९५८-५९ में कितनी-कितनी दरख्वास्तें बानावार बन्दूकों के लिये दी गयीं ? उनमें से कितनी स्वीकृत हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९२९ पर)

हरिजन कल्याण विभाग, जौनपुर द्वारा कूपों के निर्माण तथा जीर्णोद्धार के लिए सहायता

*६४—**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में हरिजन कल्याण विभाग द्वारा सन् १९५७-५८ और १९५८-५९ ई० में कूपों के निर्माण और जीर्णोद्धार हेतु कितने अनुदान स्वीकृत हुये और उनमें कितने कूप निर्मित हुये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है।

माना-बसुधारा प्रपात मार्ग का निर्माण

*६५—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह बसुधारा प्रपात, अलकापुरी तथा बद्री बन के यात्रियों की सुविधा के लिये क्या करने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—माना से बसुधारा तक तीन मील पैदल मार्ग बनवाया जा रहा है। अन्य स्थानों के लिये अभी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ?

जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-डी के मुकदमे

*६६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-डी के मुकदमे १ जनवरी, १९५६ से ३१-१२-५८ तक कितने चले ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली के नियम ११५-डी के अन्तर्गत राज्य में १ जनवरी, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक ४,०७,६०२ मुकदमे चले ।

राज्य में दैवी आपत्तियों से हानि

*६७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार कृपया जिलेवार यह बतायेगी कि मई के अन्तिम सप्ताह में प्रदेश में आंधी, ओलों और वर्षा आदि से किस-किस जिले में क्या-क्या नुकसान हुआ ? क्या किसी या किन्हीं जिलों में जनहानि और पशुधन की भी हानि हुई ? यदि हां, तो क्या-क्या और कितनी-कितनी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मई के अंतिम सप्ताह में प्रदेश के केवल ८ जिलों (अलीगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, लखनऊ, सीतापुर, खीरी, प्रतापगढ़, और बाराबंकी) में आंधी, ओलों तथा वर्षा से हानि हुई, इनमें से आजमगढ़ जिले में हानि सबसे अधिक हुई जहां २४,१२७ मकान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुये। शेष ७ जिलों में हानि की मात्रा मामूली थी।

हानि अधिकतर पेड़ों के गिरने से हुई। उन ८ जिलों में खपरैलों को थोड़ी बहुत हानि सभी जगह हुई। केवल खीरी व सीतापुर जिलों में जायद फसल को मामूली हानि हुई। जन व पशुधन की हानि का विवरण इस प्रकार है:—

नाम जिला	मनुष्य	पशु
जौनपुर	४	३
आजमगढ़	४	१
लखनऊ	२	..
सीतापुर	१	८६
खीरी	११	३१८
बाराबंकी	२	..
योग ..	२४	४०८

*६८—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—सरकार ने उपर्युक्त प्राकृतिक पीड़ितों की सहायता के लिये कहां-कहां क्या-क्या किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—केवल आजमगढ़ जिले को छोड़कर किसी और जिले में सरकारी सहायता देने की जरूरत नहीं पड़ी। आजमगढ़ जिले में क्षतिग्रस्तों को अब तक ७,००० रुपये की अहेतुक सहायता दी जा चुकी है। पीड़ित क्षेत्र में तकावी की वसूली स्थगित कर दी गई है और गृह निर्माण के लिये तकावी देने का प्रबंध किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पीड़ितों को रोजी देने के लिये टेस्ट वर्क्स भी चल रहे हैं।

पटवारियों के त्याग-पत्र

*६९—श्री अमरनाथ—क्या सरकार बतायेंगी कि सन् १९५३ के फरवरी मास में कुल कितने पटवारी प्रदेश में थे, उनमें से कितनों ने इस्तीफा दिया था और कितनों ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और कितनों का इस्तीफा स्वीकृत किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कुल २७,९६९ पटवारी थे, उनमें से २५,११५ ने त्याग-पत्र दिया था, ३,३७६ ने अपना त्यागपत्र निर्धारित तिथि (४ मार्च, १९५३) तक वापस ले लिया तथा २३,३११ पटवारियों का त्याग-पत्र स्वीकृत किया गया ।

महाराजगंज थाने के अन्तर्गत डाके व कत्ल

*७०—श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के महराजगंज थाने के अन्तर्गत मार्च, सन् १९५९ से जून, सन् १९५९ तक—

(क) कितनी डकैतियां हुईं ?
(ख) कितने कत्ल हुये ?
(ग) कितने डकैती व कत्ल के मामलों में पुलिस ने चार्जशीट लगायी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—(क) १,
(ख) ४,
(ग) डकैती के मामले में और एक कत्ल के मामले में चार्जशीट लगाई गई ।

आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत विभिन्न अपराध

*७१—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में गत अप्रैल से लेकर आज तक कुल कितने कत्ल हुये हैं ?

*७२—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में गत अप्रैल से आज तक कुल कितनी चोरियों, राहजनी और डकैतियों की रिपोर्टें हुई हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मांगी गई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९३० पर)

बुलन्दशहर जिले में कत्ल व डकैतियां

*७३—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्द शहर में १ जनवरी, १९५९ से ११-७-५९ तक कितने कत्ल व डकैतियां हुयीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२३ कत्ल तथा ११ डकैतियां हुईं ।

मोठ व गरौठा तहसीलों की वन-विभाग में भूमि

*७४—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप झांसी जिले की मोठ व गरौठा तहसीलों में किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी जमीन वन विभाग को हस्तान्तरित की गई थी ?

*७५—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जमीन में किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी जमीन कृषि तथा चरु योग्य है ?

*७६—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्रामों में कितनी-कितनी गोचर भूमि है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वान्छित सूचना एक †सूची में दे दी गई है जो मेज पर रखी है ।

---

†सूची छापी नहीं गई है ।

तहसीलदार, सलेमपुर के समक्ष समाजवादी दल का कथित प्रदर्शन

*७७—श्री उग्रसेन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सलेमपुर तहसील, जिला देवरिया के किसानों ने दिनांक २३-२-५९ को तहसीलदार के समक्ष प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

गोरखपुर जिले में मध्यवर्तियों के पुनर्वासन अनुदान का बकाया

*७८—श्री अमरनाथ—क्या न्याय मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि कितने मध्यवर्तियों को गोरखपुर जिले की अलग-अलग तहसीलों में पुनर्वासन अनुदान देना शेष है और देने की रकम प्रत्येक तहसील में क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९३१ पर)

आगरा क्षेत्र से सम्बन्धित अध्यापकों के झगड़े

*७९—श्री हिम्मतसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा क्षेत्र में शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के यहां कितने अध्यापकों के झगड़े कितने वर्षों से अभी तक पड़े हुये हैं और किस-किस स्कूल के हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—केवल ३ मामले हैं जो जुलाई, सन् १९५९ में प्राप्त हुये हैं। संबंधित स्कूलों के नाम निम्नलिखित हैं—

१—श्री गांधी इंटर कालेज, विजयगढ़, अलीगढ़ ।
२—जी०एस०ए०एस० इंटर कालेज मुरसान, अलीगढ़ ।
३—श्री एस०एस० इंटर कालेज, वेसवां, अलीगढ़ ।

चकबन्दी कार्यालय, जिला गोरखपुर में अपराधी घोषित ए० सी० ओ०

*८०—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि चकबंदी कार्यालय जिला गोरखपुर में कुछ ऐसे ए०सी०ओ० अपने पदों पर पहले की तरह काम कर रहे हैं जिनको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अकबरपुर, जिला फैजाबाद ने धारा ४६६ आई०पी०सी० और २१८ आई०पी०सी० के मातहत अपराधी २०-४-५९ को घोषित किया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला गोरखपुर में केवल एक ऐसा ए० सी०ओ० है जिसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अकबरपुर ने धारा ४६६ आई०पी०सी० के अन्तर्गत नोटिस सुपुर्द किया है । दफा २१८ आई०पी०सी० के आरोप में उसे बरी किया गया है ।

स्वास्थ्य मंत्री पूर्तिनिधि से क्षय रोग संस्थाओं को सहायता

*८१—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन क्षय रोग संस्थाओं के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं जिन्हें स्वास्थ्य मंत्री के पूर्तिनिधि से सहायता हेतु धन दिया गया तथा उक्त संस्थाओं को ऊपर लिखे वित्तीय वर्षों में सहायता हेतु कितना धन दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—१९५६-५७ में टामस एमरी अस्पताल, मुरादाबाद को २,००० रु० दिया गया ।

१९५७-५८ में टी०बी० क्लीनिक, खीरी, रामपुर तथा अल्मोड़ा को क्रमशः १,५०० रु०, १,५०० रु० तथा २,००० रु० दिया गया ।

१९५८-५९ में टी०बी० क्लीनिक, अलमोड़ा खीरी तथा रामपुर को क्रमशः ५,८०० रु० व १,५०० रु० तथा ५,००० रु० दिया गया ।

हरदोई जिले के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में सहायता

*८२—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में १९५७ में सैलाब आने से कितने गांवों में फसल नष्ट हो गई और कितने गांवों में लगान माफ किया गया तथा उन्हें तकावी दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सन् १९५७ ई० में हरदोई जिले में सैलाब आने से ५९० ग्रामों में फसल को क्षति पहुंची। इनमें से २८९ ग्रामों में मालगुजारी में छूट दी गई और सभी ५९० ग्रामों में तकावी बांटी गई।

*८३—श्री उल्फतसिंह (जिला बदायं)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ४ सितम्बर, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

बरेली जिला चिकित्सालय को औषधियों के लिए अनुदान

*८४—श्री शिवराजबहादुर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला चिकित्सालय बरेली को सन् १९५८ ई० में कुल कितने रुपये की दवाइयां सरकार ने दी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला चिकित्सालय, बरेली को वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में दवाइयां खरीदने के हेतु कुल ६९,७२२ रु० की धनराशि स्वीकृत की गई।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव पर विधान परिषद् की सहमति की सूचना

सचिव, विधान सभा—मैं उत्तर प्रदेश जिला परिषद विधेयक, १९५९ को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के प्रस्ताव के संबंध में विधान परिषद् की सहमति की सूचना सदन को देता हूं, वह इस प्रकार है:—

संख्या ४३१४-स/वि०प०२७२-१९५९

प्रेषक,

श्री परमात्मा शरण पचौरी, एम०ए०, एल-एल० बी०,
सचिव, विधान परिषद,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश विधान सभा।

दिनांक लखनऊ, २७ अगस्त, १९५९।

महोदय,

आपके पत्र संख्या एल०ए० ८१०/एस० दिनांक १२ अगस्त, १९५९, के संदर्भ में तथा परिषद् की प्रक्रिया नियमावली के नियम, १९६(३) के अन्तर्गत मुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक २५ अगस्त, १९५९ की बैठक में स्वायत्त शासन मंत्री का यह संकल्प स्वीकार कर लिया है कि सन् १९५९ ई० का उत्तर प्रदेश जिला परिषद विधेयक को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया जाय।

[सचिव, विधान सभा]

२--परिषद ने अपनी उसी दिन की बैठक में उक्त प्रवर समिति पर कार्य करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को निर्धारित किया है:--

१--श्री तेलू राम
२--श्री राम सूरत सिंह
३--श्री सकटू मल
४--श्री अब्दुस्सलाम शाह
५--श्री इंद्र सिंह नयाल
६--श्री पीताम्बर दास
७--श्री नवल किशोर गुरुदेव
८--श्री अब्दुर रऊफ

चुनाव के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आपके सामने शिकायत रखी थी चुनाव के संबंध में तो आपने कहा था कि आज व्यवस्था दूंगा।

श्री अध्यक्ष---मैं व्यवस्था यहां नहीं दूंगा, अपने कमरे में दूंगा। मैं उसकी तहकीकात कर रहा हूं।

किरावली तहसील में वाटर लागिंग के फलस्वरूप किसानों की भयंकर परिस्थिति के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव स्वामी विश्वेश्वरानन्द का आया है जिसमें वह कहते हैं कि "किरावली तहसील में पिछले साल वाटरलागिंग हो गई थी, पानी भर गया था, उसी तरह से इस साल फिर भर गया है और उस संबंध में कोई उचित कार्यवाही न किये जाने के कारण हजारों किसान तथा खेतिहर मजदूर परिवारों के सामने एक भयंकर स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि इन लोगों के पास और कोई साधन जीवन निर्वाह का नहीं है। अतः इसके ऊपर वाद-विवाद करने के लिये यह सदन आजका कार्य स्थगित करता है" ऐसा उनका प्रस्ताव है।

इसके संबंध में निश्चितता के बारे में और महत्व के बारे में तो ठीक है, अगर निश्चित है तो महत्व भी होगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह कोई वक्तव्य देंगे।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--मुझे कोई नोटिस नहीं मिली है अभी।

श्री अध्यक्ष--तो मैं इसको सोमवार तक के लिये स्थगित करता हूं ताकि आपके पास नोटिस भी पहुंच जाय।

मिर्जापुर नगरपालिका द्वारा बर्तन व्यवसाय में चुंगी में वृद्धि के फलस्वरूप हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत स्वायत्त शासन मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---इसके अलावा श्री झारखंडेराय जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट करने के लिये प्रश्न उपस्थित किया है। कल उन्होंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में उसको दिया था, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया था, उसको नियम ५२ में मैं स्वीकार करता हूं। माननीय मंत्री जी कोई वक्तव्य देना चाहें तो दें। वह इस प्रकार से है:--

"मिर्जापुर नगर के समस्त बर्तन व्यवसायियों तथा श्रमिकों ने धातु बनाने पर ८ आने से २ रुपया मन तक पालिका द्वारा प्रस्तावित चुंगी के विरोध में हड़ताल कर दी है। नगर का सारा बर्तन व्यवसाय गत २४ अगस्त से बंद है। हड़ताल से १० हजार व्यक्ति प्रभावित हैं। हड़ताल को अनिश्चित काल तक चलाने का निश्चय किया गया है। अभी तक कच्चे माल पर चुंगी नहीं है। अब सभी प्रकार के कच्चे पक्के माल पर चुंगी का प्रस्ताव है। इसी का विरोध है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं नियम ५२ के अन्तर्गत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।'

अगर मंत्री जी के पास जानकारी हो तो वह दे दें नहीं तो मैं कोई दूसरा दिन तय कर दूंगा।

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)--श्रीमन्, मेरा इतना निवेदन है कि इस विषय में डिस्कशन होने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--इसमें लाभ से कोई मतलब नहीं है। आप कृपा करके नियम को पढ़ लें। आपको वक्तव्य इस बात का देना है कि नियम ५२ के अनुसार अगर कोई महत्वपूर्ण विषय हो तो उसकी तरफ माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया जाता है इसलिये कि वह संबंधित स्थान से सूचना प्राप्त करके सदन को सूचित कर दें। नियम के अनुसार मैंने इसकी स्वीकृति दे दी है और इसकी सूचना मंगानी आवश्यक है। अगर आपके पास सूचना मौजूद न हो तो आप कोई दूसरा दिन बतायें जिस दिन आप मंगाकर यहां पर दे दें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा--श्रीमन्, कमिश्नर के पास से सूचना मंगानी होगी इस लिये उसमें ५-७ दिन जरूर लगेंगे।

श्री अध्यक्ष--सोमवार, मंगल तक आप सूचना मंगा लीजियेगा?

श्री विचित्र नारायण शर्मा--अगर फोन पर सूचना मंगाऊंगा तो शायद पर्याप्त सूचना नहीं आ पायेगी।

श्री अध्यक्ष--मंगल तक आप सूचना देंगे?

श्री विचित्रनारायण शर्मा--मैं मंगाने की कोशिश करूंगा।

श्री अध्यक्ष--अन्दाजा यह है कि ३-४ दिन लगेंगे। मैं मंगल का दिन नियत करता हूं।

नियम ५२ के अन्तर्गत २५ अगस्त, १९५९ को रात में विधान परिषद् के सभापति के डाकुओं से घिर जाने के सम्बन्ध में गृह मंत्री का वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मिली है वह इस प्रकार है--"स्वतंत्र भारत" के प्रतिनिधि श्री शिव सिंह सरोज ने २५ अगस्त को रात को साढ़े ग्यारह बजे कोतवाली के फ्लाइंड स्क्वाड को एक रिपोर्ट लिखाई टेलीफोन पर, कि जब वह फैजाबाद रोड पर बाराबंकी से लौट रहे तो चिनहट और गाजीपुर गांवों के बीच में एक डाकू उनकी गाड़ी के सामने आ गया और सड़क पर लेट गया। ड्राइवर ने गाड़ी को रोका नहीं, बल्कि लेटे हुए आदमी को बचाकर अपनी चाल तेज करके बगल से निकल गया। वहां ३,४ आदमी और थे जो डाकू थे। वे गाड़ी को आगे निकलती हुई देखकर भाग गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

थोड़ी दूर और आगे जाने पर उन्हें कुछ पुलिस वाले मिले जो लखनऊ की ओर से आ रहे थे और उन्होंने २,३ डाकुओं को गिरफ्तार कर रखा था। उनमें से एक डाकू के पास बंदूक भी थी। उन्होंने यह भी सूचना दी कि लेजिस्लेटिव कौंसिल के हमारे अध्यक्ष जी, श्री धुलेकर जी, भी गाड़ी में आ रहे हैं, तो उसका कुछ प्रबन्ध किया जाय क्योंकि कहीं वह खतरे में न पड़ जावें। थोड़ी देर बाद उन्होंने यह सूचना भी दी कि श्री धुलेकर जी सकुशल लखनऊ पहुंच गये हैं। इस सूचना को पाते ही तुरन्त फ्लाइंग स्क्वाड का एक सब-इंस्पेक्टर अपने साथियों के साथ चिनहट और गाजीपुर गावों की ओर रवाना हुआ। चिनहट में पुलिस आउट पोस्ट है। रास्ते में उसके हेड कांस्टेबिल उन्हें बादशाहनगर रेलवे स्टेशन के पास मिले। फ्लाइंग स्क्वाड के लोगों ने उनसे पूछा कि यहां कोई घटना हुई है और उन्होंने उनसे यह भी कहा कि यह सूचना रिपोर्ट से मिली है कि गाजीपुर और चिनहट के बीच में एक आती हुई गाड़ी के सामने कोई आदमी गाड़ी रोकने के इरादे से, लेट गया, ३/४ आदमी और वहां थे, लेकिन चूंकि ड्राइवर बगल से गाड़ी निकाल कर तेजी के साथ चला गया तो वे आदमी भागते हुए दिखाई पड़े। हेड कांस्टेबिल ने यह बताया कि गाजीपुर और चिनहट के पास कांटा गांव में एक पागल रहता है, जिसकी कई बार ऐसी घटनायें हो चुकी हैं कि वह सड़क पर घूमता रहता है और कभी-कभी गाड़ियों के सामने लेट जाता है। मुमकिन है कि उस पागल की यह कार्यवाही हो। फ्लाइंग स्क्वाड वहां से कांटा गांव में गया और जांच की। गांव वालों ने यह बताया कि ऐसा एक पागल है जो कभी-कभी इस तरह की शरारत कर देता है। जो पुलिस के आदमी श्री शिवसिंह सरोज को मिले थे ३,४ आदमियों को पकड़े हुए, उनके बारे में भी हेड कांस्टेबिल ने यह बतलाया कि २,३ आदमियों को उन्होंने दफा १५१, सी०आर०पी०सी०, में गिरफ्तार किया था और पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। उन पुलिस वालों में से किसी के पास बंदूक नहीं थी।

यह रिपोर्ट उस दिन रात को जो कुछ पता लग सका उसकी उन्हें मिली है। परन्तु शिव सिंह जी की इस रिपोर्ट के सामने रहते हुए वहां तफतीश जारी है कि इसका और पता लगाया जाय। साथ ही साथ चिनहट और गाजीपुर के बीच में उस सड़क पर आर्म्ड गार्ड का पैट्रोलिंग शुरू कर दिया गया है ताकि किसी तरह का खतरा लोगों को न रहे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी ने अध्यक्ष, विधान परिषद् माननीय श्री धुलेकर से भी पूछा और क्या यह सही है कि जिस कार में धुलेकर जी थे उसी में शिवसिंह सरोज थे और वही गाड़ी रोकी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी---उनसे लखनऊ के ए० डी० एम ने बात की। माननीय अध्यक्ष जी का भी यह खयाल है वे डाकू ही थे और सड़क पर लेटने वाले का शायद यह जाल रहा कि गाड़ी रोक ले क्योंकि ३,४ आदमी और आसपास थे और वे सशस्त्र दिखाई पड़े थे। उनकी यह धारणा रही है। वहां पूरी जांच-पड़ताल हो रही है। यह बात भी सही है कि श्री शिवसिंह ने जो रिपोर्ट की थी वह उन्होंने ने टेलीफोन पर की थी, उसकी नकल मेरे पास है। मुमकिन है कि रिपोर्ट लिखने वाले को भ्रांति रही हो, रिपोर्ट में यह है कि पीछे की गाड़ी में धुलेकर जी आ रहे हैं, लिहाजा वह किसी खतरे में न पड़ें। फिर बाद में अध्यक्ष जी से ही यह मालूम हुआ कि वह और शिवसिंह जी एक ही गाड़ी में थे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या इसकी भी जांच कराई है कि उस पागल के साथ जो ३,४ आदमी और थे वे भी पागल थे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने दो रिपोर्टों की बात कही। बाकया पूरी जांच होने के बाद मालूम होगा। अध्यक्ष जी की भी धारणा है कि जो आदमी वहां थे और भागे उनके हाथ में हथियार भी थे। फ्लाइंग स्क्वाड रिपोर्ट मिलने के २,३ मिनट बाद ही गया और वहां उसने घंटे दो घंटे घूमकर जो पता लगाया वह रिपोर्ट मैंने निवेदन कर दी। उसकी जांच पड़ताल जारी है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पुलिस की रिपोर्ट यह है कि एक ऐसा पागल है, उस पागल को पागलखाने में भिजवाने का प्रबन्ध किया, नहीं तो वह जनता के लिये खतरा होगा ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, इस विषय को भी अवश्य देखेंगे ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जो फ्लाइंग स्क्वाड गया क्या उसके जाने से पूर्व चेयरमैन साहब, विधान परिषद् से भी कुछ जानकारी हासिल की थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---रात को साढ़े ११ बजे शिवसिंह जी ने रिपोर्ट दी तो फिर फलाइंग स्क्वाड इतना वक्त बरबाद नहीं करना चाहता बल्कि उसको तुरन्त जाना चाहिये और वह मिनट डेढ़ मिनट के अन्दर चला गया । दूसरे दिन ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अध्यक्ष जी से बातचीत की और उनकी जो धारणा थी वह मैंने आपसे निवेदन की ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जब सभापति, विधान परिषद् से पूछा तो उनसे यह मालूम हुआ कि वे भी उसी कार में थे और रिपोर्ट जो लिखी गयी है उसमें यह है कि पीछे जो गाड़ी आ रही है उसमें हैं ? तो यह जो गलतबयानी इप्तदाई रिपोर्ट में है उसका पता उन्होंने लगाया कि यह गलती किस प्रकार से हुई और क्या इसकी वजह से जब मुकदमा इस सिलसिले में चलेगा तो उसमें खराबी नही होगी ?

श्री अध्यक्ष---यह बहस है । इसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास इसकी भी सूचना है कि पुलिस को पहले से कई बार लिखा गया था कि इस प्रकार का डाकुओं का गिरोह वहां पर है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी ।

श्री अध्यक्ष---यह इससे पैदा नहीं होता ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या यह सही है कि अध्यक्ष महोदय, विधान परिषद् ने इस बात को कहा है कि जब कार तेज स्पीड से पास हो गयी तो गाड़ी के पीछे उनको बन्दूक चलने की आवाज लगी थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं । इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---सरोज जी की रिपोर्ट में और पुलिस की बाद की रिपोर्ट में जो डिस्क्रीपेंसी है कि सरोज जी कहते हैं कि डाकू बन्दूक के साथ पकड़े गये और पुलिस की रिपोर्ट में हैं कि डाकुओं के पास बन्दूक नहीं पकड़ी गयी तो यह विरोधाभास क्यों है ? बन्दूक कहां चली गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने कहा कि इस विषय की जांच कर रहे हैं । जो दो आदमी गिरफ्तार करके लाये जा रहे थे हेडकांस्टेबिल के द्वारा, वह दफा १५१ सी० आर० पी० सी० में है । शिवसिंह जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखाया है कि उनमें से एक के हाथ में बन्दूक थी और जब यह फ्लाइंग स्क्वाड वहां गया तो उसने देखा कि जो दो आदमी गिरफ्तार थे और जो मौदा थाने की तरफ ले जाये जा रहे थे उनमें से किसी के पास बन्दूक नहीं थी । यह दोनों रिपोर्टें हैं । उनकी जांच हो रही है ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---गाड़ी में ये दोनों साहबान साथ आ रहे थे तो क्या जिस वक्त यह रिपोर्ट लिखाई थी उस वक्त दोनों साहबान साथ ही थे ?

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उन्होंने यह तो स्पष्ट बता दिया कि टेलीफोन से रिपोर्ट की थी मोटर से जाकर नहीं की। घर से की गयी है तो वे उस समय तक अलग-अलग हो गये होंगे।

श्री गेंदासिंह—रिपोर्ट कब लिखाई गई और किसने कहां जाकर लिखाई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२५ तारीख की रात को साढ़े ११ बजे सरोज जी ने टेलीफोन से कोतवाली के फलाइंग स्क्वाड को यह रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के तुरन्त बाद स्क्वाड वहां से रवाना हो गया।

श्री गेंदासिंह—इस रिपोर्ट के बाद सरोज जी का कोई बयान पुलिसवालों ने लिखा ? इसका क्या एतबार है कि उन्होंने ही रिपोर्ट लिखाई दूसरे ने नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मेरा खयाल है कि पुलिस ने इस विषय में जानकारी हासिल की होगी। लेकिन अभी तक सरोज जी ने इनकार भी नहीं किया है कि उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट नहीं लिखायी।

सिधौली में लगान वसूली में अत्याचार के विषय में डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा की सूचना पर न्याय मंत्री का वक्तव्य

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—अध्यक्ष महोदय, विधान सभा की ३१ मार्च, १९५९ की बैठक में डाक्टर अवधेश ने जिला सीतापुर की सिधौली तहसील में मालगुजारी वसूली के सिलसिले में की गयी ज्यादतियों के सम्बन्ध में एक कामरोको प्रस्ताव पेश किया था। उक्त कामरोको प्रस्ताव में जिले के ग्राम बगइया तथा धारापुरवा, परगना मनवां में नायब तहसीलदार की मौजूदगी में तहसील कर्मचारियों द्वारा सर्वश्री भगवानदीन, तुला रैदास, निवाजी रैदास, टिकई रैदास को पेड़ से बधवा कर पिटवाने तथा खूंटे से बांध कर घास खाने के लिये मजबूर करने के आरोप में लगाये गये थे। डाक्टर अवधेश के कामरोको प्रस्ताव को अध्यक्ष विधान सभा ने अस्वीकार कर दिया था परन्तु राजस्व मंत्री जी से कहा था कि यह मामला अत्यन्त गंभीर है इसलिये इस पर जांच करायी जाय तथा विस्तृत रिपोर्ट सदन के सम्मुख पेश की जाय। इस प्रस्ताव पर जांच करने के पश्चात् निम्नलिखित तथ्य पाये गये—

जिला सीतापुर के एस० डी० ओ०, सिधौली ने मौके पर जाकर जांच की। उन्होंने सर्वश्री भगवानदीन, निवाजी तथा टिकई एवं कुछ अन्य व्यक्तियों से पूछ-ताछ की। तुला उस दिन एक दाह क्रिया के सिलसिले में बाहर गये हुए थे। पूछपाछ करने के बाद मालूम हुआ कि उपर्युक्त व्यक्तियों के ऊपर लगान बकाया था। और उन्होंने कई बार स्मरण कराने पर भी लगान का भुगतान नहीं किया। भगवानदीन ने बताया कि उसको कलेक्शन कर्मचारियों ने ग्राम बाजार से गांव में बुलाया और उसको एक रस्सी से बांध कर सरोरा गांव में ले गये और वहां एक पेड़ से बांध दिया। इस कथन के पुष्टीकरण में वे एक भी गवाह पेश नहीं कर सके। उनकी मां जो कि लगान का बकाया जमा करने सरौरा ग्राम आयी थीं उन्होंने भी इस बात का पुष्टीकरण नहीं किया। इस घटना की किसी अधिकारी से भी शिकायत नहीं की गयी। यह वाकया मार्च, १९५९ के तीसरे हफ्ते में हुआ बताया जाता है। परन्तु ३० मार्च, की एक मीटिंग में जो एक हफ्ते बाद बगइया ग्राम में हुई और जिसमें भगवानदीन भी मौजूद थे इस घटना का उल्लेख नहीं किया गया था। इस के बाद एक और मीटिंग में भगवानदीन लाये गये और कुछ लोगों के कहने पर यह कहानी लिखी गयी। अतएव जांच से यह स्पष्ट हुआ कि यह एक मनगढ़न्त कहानी बाद में बनायी गयी। वास्तव में श्री भगवानदीन को सिर्फ थोड़ी देर के लिये लगान जमा करने के लिये बुलाया गया था और लगान दे देने के पश्चात् वह चला गया। श्री नेवाजी ने शिकायत की थी कि कलेक्शन कर्मचारियों ने उसके बैल खोल कर लगान जमा करने के लिये कहा। परन्तु श्री जरखान ने जो उसका रुपया जमा करने आये थे कहा कि बैल खोलने की सिर्फ धमकी दी

दी गयी थी। बैल खोले नहीं गये थे। श्री टिकई ने कहा कि उनके साथ कोई अत्याचार नहीं किया गया। श्री तुला के बारे में भी किसी ने उसके ऊपर अत्याचार किये जाने की गवाही नहीं दी। इस सम्बन्ध में जिलाधीश ने यह भी कहा है कि श्री महादेव प्रसाद ने बीज गोदाम से ६४७.७९ रु० के बीज अपने नाम कर्ज पर लिये। इसके अतिरिक्त सर्वश्री लालता प्रसाद तथा जगन प्रसाद के नाम से भी श्री महादेव प्रसाद ने १७९.२५ रुपया और ५९.७५ रु० का बीज धोखे से प्राप्त कर लिया। फसल कटने के समय उन लोगों ने बीज वापस नहीं किया। जब उपरोक्त तीनों व्यक्तियों से बीज का रुपया जमा करने के लिये कहा गया तथा सर्वश्री लालता प्रसाद और जगन प्रसाद ने कहा कि उन्होंने बीज उधार ही नहीं लिया, उस समय इस जालसाजी का पता चला। इसके अलावा यह भी मालूम हुआ कि श्री महादेव प्रसाद ने उस समय इस सम्बन्ध में कुर्क अमीन को पत्र लिखा कि वह बीज का पूरा रुपया खुद ही जमा करेंगे, साथ ही साथ उन्होंने वसूली को स्थगित करने की भी प्रार्थना की जो नामन्जूर कर दी गयी। कुछ अन्य व्यक्ति भी तहसीलदार के खिलाफ थे क्योंकि उन्होंने किसी लेखपाल का तबादला दूसरे हल्के में करने के लिये कहा। इस पर तहसीलदार ने उनसे लिखित प्रार्थना-पत्र देने के लिये कहा जिससे कि लेखपाल के खिलाफ जांच की जा सके। इस पर वे सन्तुष्ट नहीं हुए और यह मनगढ़ंत कहानी रची गयी।

श्री अध्यक्ष—अब इस विषय में प्रश्न नहीं होंगे। (श्री उग्रसेन के खड़े होने पर) आज के लिये मैंने केवल सूचना देने के लिये कहा था। अगर इसके विषय में आपको प्रश्न पूछना है तो आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न भेज सकते हैं।

जिला परिषद् विधेयक, १९५९ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये विधान सभा सदस्यों का निर्वाचन

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् विधेयक, १९५९ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये निम्न सदस्य निर्वाचित किये जायं :—

१—चौधरी चरण सिंह,
२—श्री मुजफ्फर हसन,
३—श्री वीर सेन,
४—श्रीमती सुनीता चौहान,
५—श्री अहमद बख्श,
६—श्री चन्द्रहास मिश्र,
७—श्री धर्मदत्त वैद्य,
८—श्री नेकराम शर्मा,
९—श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव,
१०—श्री जयराम वर्मा,
११—श्री त्रिलोकी सिंह,
१२—श्री राम नारायण त्रिपाठी,
१३—श्री राम शरण यादव,
१४—श्री उग्रसेन,
१५—श्री बलदेव सिंह और
१६—श्री यमुना प्रसाद शुक्ल।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद्, विधेयक, १९५९ की संयुक्त प्रवर समिति के लिये निम्नांकित सदस्य निर्वाचित किये जायं :—

१—चौधरी चरण सिंह,
२—श्री मुजफ्फर हसन,
३—श्री वीरसेन,
४—श्रीमती सुनीता चौहान,
५—श्री अहमद बख्श,
६—श्री चन्द्रहास मिश्र,
७—श्री धर्मदत्त वैद्य,
८—श्री नेकराम शर्मा,
९—श्री शिवशरण लाल श्रीवास्तव,
१०—श्री जयराम वर्मा,
११—श्री त्रिलोकी सिंह,
१२—श्री राम नारायण त्रिपाठी,
१३—श्री राम शरण यादव,
१४—श्री उग्रसेन,
१५—श्री बलदेव सिंह और
१६—श्री यमुना प्रसाद शुक्ल।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—पदेन सदस्य तो होंगे स्वायत्त शासन मंत्री जी; और श्री रामनारायण त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, यह नियम के अनुसार उसके अध्यक्ष होंगे ।

खाद्य परिस्थिति पर विवाद

श्री अध्यक्ष—अब राज्य की खाद्य परिस्थिति पर विवाद होगा । माननीय खाद्य मंत्री पहले अपना भाषण दें ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, भाषण के लिये समय विभाजन के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव यह है कि नेता विरोधी दल और मंत्री जी को २०–२० मिनट, दल के नेताओं को १५–१५ मिनट और बाकी सदस्यों को १०–१० मिनट का समय दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि पहला भाषण जो माननीय मंत्री जी का हो उसके लिये २० मिनट ठीक है और विरोधी दल के नेता के लिये भी २० मिनट होगा । बाकी नेताओं को १५ मिनट दिया जायगा, लेकिन जवाब देने के लिये मंत्री जी को तो जैसा डिबेट होगा उसी के हिसाब से समय दूंगा । सदस्यों के लिये १० मिनट का समय रहेगा ।

***खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)**—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका तथा विरोधी दल के नेता, श्री त्रिलोकी सिंह जी का अत्यंत आभारी हूं कि मुझे इस बात का अवसर प्रदान किया गया है कि मैं इस बात को अपने आंकड़े द्वारा सिद्ध करूं कि हमारे इस प्रदेश की खाद्य स्थिति सन्तोषजनक ही नहीं वरन् दृढ़ भी है ।

(व्यवधान)

मैं आपके द्वारा एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि मैं शान्ति के साथ विरोधी दल के सभी सदस्यों के भाषण सुनने की चेष्टा करूंगा और किसी तरह से उसमें बाधा नहीं डालूंगा, अतः वे भी सब्र के साथ सुन लें और उस पर जो उनको कहना हो कहें ।

मैं श्री ए० पी० जैन को जो केन्द्र में खाद्य मंत्री थे, उनको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पार्लियामेंट में यू० पी० का जिक्र किया । और मैं इसलिये उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बात को पार्लियामेंट में कहा. . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि २० मिनट का समय है इसलिये आप सिवा खाद्य समस्या के और किसी बात पर कोई बीच में टोके तो उसका जवाब न दीजियेगा नहीं तो उसमें समय निकल जायगा ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि उन्होंने हमारे विषय में जो कहा वह यह था कि हमारी एन्टी होर्डिंग नीति के कारण ही गल्ला बाजार में आना बन्द हो गया, इसलिये मैंने उसका रेफरेंस दिया । तो यह बात सही है, उसको मैं स्वीकार करता हूं कि हमने लगभग २५० केसेज, जिनका कि विवरण मैं पहले दे चुका था, उनके विरुद्ध चलाये हैं । अकेले आगरे में तीस केस चलाये गये जिनमें से १२ में कनविक्शन भी हुआ और १६ केस अभी चल रहे हैं । मैं इस बात पर इसलिये जोर दे रहा हूं कि समाचार-पत्रों में और अन्य माननीय सदस्यों ने बार बार यह कहा कि यू० पी० सरकार जखीरेबाजों को केवल धमकी देती है लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करती । इसलिये मैंने उदाहरण दिया कि हम ने जो कुछ उनके विरुद्ध हम कर सकते थे वह किया और प्राइस कंट्रोल और मूवमेंट के सम्बन्ध में भी कई केस चल रहे हैं और मैंने दो चार बातें भी उदाहरण स्वरूप बताईं और उन में कनविक्शन भी हुआ है ।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट और विशेषकर जैन साहब जब तक फूड मिनिस्टर थे उन्होंने हमें बड़ी मदद दी और हमें बड़ा भारी सहयोग प्रदान किया और हम दावे के साथ कह सकते हैं इस आधार पर कि हमारी स्थिति मजबूत है । पिछले साल आज की तारीख पर हमारे पास केवल ६०–६५ हजार टन गल्ले का स्टाक था लेकिन आज इस वक्त करीब डेढ़ लाख टन गल्ले का स्टाक हमारे पास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । इसके अलावा जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने भाषण में कहा था कि हम यू० पी० को ५०–६० हजार टन फी माह गल्ला दे रहे हैं, १८–२० हजार टन कबाल टाउन्स में जाता है, १६,००० टन रोलर फ्लोर मिल्स को गल्ला दिया जाता है, इस तरह से यह कोटा मिल रहा है । इसलिये अप्रैल से आज की अगस्त की तारीख तक हमने जो खर्च किया पिछले साल वह लगभग १,४७,३०१ टन के था जबकि इस साल इन्हीं मास में हमने १,७४,९७३ टन खर्च किया है यानी २० हजार टन पिछले साल से अधिक वितरण इस दौरान में हमने किया । अभी डेढ़ लाख टन स्टाक अनाज का हमारे पास है इसलिये यह निश्चित बात है कि हम आने वाले महीनों में किसी भी परिस्थिति का बड़ी सरलता के साथ मुकाबला कर सकते हैं ।

एक सदस्य—इसमें गेहूं कितना है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—गेहूं हर मास ५०,००० टन वितरित किया जाता है, ५०,००० टन सेन्टर से मिलता है । १,७४,००० टन हम बांट चुके हैं । (शोर) ।

मैंने आप से पहले ही अर्ज किया कि जरा शान्ति से सुन लीजिये । दूकानों पर हमारा वितरण कितना है, यह भी मैं आपको बता दूं । गत वर्ष जब फसल खराब थी और श्री गेंदा सिंह बहुत हल्ला मचा रहे थे उस वक्त ३,४२२ दूकाने सारे सूबे में थीं और उसी वक्त आज की तारीख में हमारे यहां ४,३७९ के करीब दूकानें हैं ।

एक सदस्य—फसल कैसी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—भगवान करे फसल अच्छी हो. . . . .

श्री अध्यक्ष—मैंने मंत्री जी से कहा था कि बीच में टोकने वालों का जवाब यदि वह देंगे तो वक्त निकल जायेगा, केवल २० मिनट आप के पास हैं । आप जारी रखें ।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपके सम्मुख मैंने आंकड़े रखे कि दूकानें भी अधिक हैं और स्टाक पोजीशन भी ठीक है । हमारे यहां टोटल राशनिंग नहीं है । टोटल राशनिंग के जमाने में ६०,००० टन अनाज बटता था । आज टोटल राशनिंग नहीं है । मगर इन्कम का कोई खयाल न करके हर शहर में २५० रु० आमदनी प्रति मास का भी कोई सवाल नहीं है । हर एक आदमी जो चाहे आटा ले ले । लेजिस्लेटर्स के लिये भी दुकान खोल दी कि चीनी और आटा ले लीजिये और खायें जितना खा सकें । लालबाग में दुकान खुल चुकी है और आपके कार्ड भी बन चुके हैं ।

जैन साहब ने हमको क्रेडिट दिया कि हमने ऐन्टी होर्डिंग स्टैप्स लिये । लेकिन मंडियों में कम आमद हुई और उसका कारण मैं बाद में बतलाऊंगा । प्राइसेज के बारे में आप देखेंगे कि तारीफ यह है कि एराइवल्स के कम होते हुये भी पिछले साल से इस समय बहुत कम कीमतें हैं । लखनऊ का ही उदाहरण है । पिछले साल आज की तारीख में २२ रुपये मन था जो आज २० रुपये मन है रिटेल में । किसी दुकान का पता चाहें त्रिलोकी सिंह जी तो मुरलीनगर से मैंने नमूना मंगाया है । मैं आम मारकेट की बात कह रहा हूं । हर जगह मैंने देखा है, कहीं ज्यादा नहीं है । इसके अलावा जिलों में प्राइवेट दुकानों की जरूरत नहीं है । मैं इतना आटा दे रहा हूं कि उठ नहीं रहा है और मिलों में पड़ा है और प्योर आटा है बावजूद इसके कि आमद कम है, कीमतें कम हैं । आमद कम क्यों हुई ? यह प्रश्न हो सकता है । इसका कारण क्या है कि पैदावार भी ज्यादा हुई, और कीमतें भी कम हैं । मगर आमद कम क्यों है ? यह पैराडाक्सीकल बात है, यह ठीक है । गत वर्ष, जो कि मानव के अधिकार की चीज नहीं थी आकस्मिक तौर पर अप्राकृतिक बात घट गई । चावलों का भाव हमेशा गेहूं से २५ परसेन्ट ऊपर रहता था और मोटे अनाज का भाव गेहूं से २५ परसेन्ट नीचे रहता था । पिछले साल यह सारा उल्टा हुआ । हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में यह बात अधिकांश तौर पर हुई । जब यह प्रश्न हुआ तो हमने इस बात की चेष्टा की और केन्द्र ने भी की कि हम उस

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

प्राकृतिक ढंग को पुनः ले आयें अर्थात् चावल की कीमत गेहूं से २५ परसेन्ट ऊपर रहे । इसलिये मजबूर होकर १३, १४, १५ कीमत रखनी पड़ी क्योंकि १६, १७, १८ हमने कंट्रोल प्राइस चावल की रखी, इसलिये २५ परसेन्ट लेस नैचुरल पैरिटी लाने के लिये करना पड़ा । गेहूं में आपको २–४ महीने लड़ना पड़ेगा । अगर आप चाहते हैं कि नैचुरल पैरिटी आये तो तीन महीने मुकाबला करना पड़ेगा जिससे कि कोर्स ग्रेन का भाव भी २५ पर सेन्ट लेस हो जाय ।

अगर आप इसको बारीकी से देखें तो मालूम होगा कि आज वह प्राकृतिक ढंग पर आ रहा है। चने का भाव गिर गया है । बाजरे का भाव गिर गया है । जौ का भाव गिर गया है और वह नैचुरल पैरिटी पर आ रहा है । जिस वक्त गेहूं का भाव निर्धारित हुआ था उस वक्त मोटे अनाज की कीमत ज्यादा थी । तो कोई काश्तकार इतना बेवकूफ नहीं हो सकता था कि जो उसको खुद न खाता और कम कीमत पर बाजार में बेचता । और मोटे अनाज को ज्यादा कीमत पर न बेचते तो काश्तकार ने जो मोटा अनाज ज्यादा कीमत लाता था उसको बेचा और गेहूं की कीमत में नैचुरल पैरिटी नहीं थी इसलिये उसने गेहूं को रोक लिया । अगर यह कहा जाय कि हमको चाहिये था कि हम २५ पर सेन्ट बढ़ाकर चने से ऊपर गेहूं रखते तो चना १७, १८, १९ रु० बिक रहा था तो गेहूं २५ रु० मन खरीदते या यह करते कि हम दोनों चावल और गेहूं की कीमत को तय कर देते । और हम आज सफल हैं, चने की खरीददारी बन्द कर दी है तो अब मार्केट में ९ रु० मन चना आयेगा । नैचुरल पैरिटी आ रही है । इसका मुकाबला करना पड़ता है दृढ़ता के साथ ।

मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी की बात को मानता हूं कि ओपेन बाजार में अगर दूकानदार २५ रु० मन गेहूं खरीदता है तो सरकार २६ रु० मन खरीदती । यह बात सही है, उन्होंने यह कहा था कि हम सब्सीडाइज करें, कनाडा और आस्ट्रेलिया का उदाहरण दिया । तो क्या जनता टैक्स देने को तैयार रहेगी कि इधर सरकार २६ रु० मन खरीदे और फिर १४ रु० मन में बेचें ? कम से कम सरकार ने इसको बुद्धिमानी की बात नहीं समझी । मगर डेमोक्रेसी है, अगर कोई उल्टी बात भी बहुमत से कही जाय तो माननी पड़ेगी ।

एक और आर्गूमेन्ट रखता हूं । कुछ पार्टी के नेता हैं उनसे मेरी बात हुई । मैंने कहा, आप चाहते क्या हैं ? अगर प्रोड्यूसर को ज्यादा दिया जाय तो कन्ज्यूमर को मंहगा मिलेगा । तो १३, १४, १५ रु० मन इसलिये रखा गया जिससे दोनों को सहायक रहे । उन्होंने यह भी कहा कि प्राइस को ध्यान में रखते हुये कल्टीवेटर को भी दिया जाय । तो कहने से ही समस्या हल हो नहीं सकती । कोई इस बात के लिये तैयार नहीं है । एक जबान से कहेंगे कि कीमतें ज्यादा ऊंची चली गईं और दूसरी तरफ कहेंगे कि कल्टीवेटर को कम दिया जा रहा है । तीसरी चीज यह है, हम प्रोड्यूसर को ज्यादा दें और कन्ज्यूमर को भी सस्ता दें और टैक्स न लगायें । तो १०, १२ करोड़ रु० कहां से आयेगा ? सब्सिडी देने के लिये कोई भी टैक्स देना पसन्द नहीं करेगा यह बात सोचने की है । सारी चीज को केन्द्रीय सरकार फिर से विचार कर रही है, ५ सितम्बर को जोन्स के मामले में, मूवमेंट के मामले में पुनः बैठक हो रही है और निर्णय होगा ।

मैं तीन भागों में विभाजित करता हूं, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन । तो जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है वह बढ़ा है, लगभग १०० लाख टन से ऊपर हमारे यहां का प्रोडक्शन है इस साल––मगर यह काफी नहीं है, मार्जिनल है । मैं प्रोडक्शन के विषय में ज्यादा यों नहीं कहता क्योंकि यह ऐग्रीकल्चर से ज्यादा सम्बन्ध रखता है । प्रोडक्शन में फिशरीज भी आ सकती है, हार्टिकल्चर भी आ सकता है, डेयरी फार्मिंग भी आ सकती है, खाने की पचासों चीजें हैं । मगर जहां तक प्रोक्योरमेंट का सवाल है, इस वक्त तक लगभग १ लाख टन चावल, २५ लाख टन गेहूं और २० हजार टन के करीब कोर्स ग्रेन हम ओपेन मार्केट में प्रोक्योर कर चुके हैं । इस वक्त किसी मार्केट में कमी नहीं है । माननीय पालीवाल जी को शिकायत थी कि हम लोग देहातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, शहरी क्षेत्रों में ही सब दुकानें खोलते हैं । मैं आपके द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि इस वक्त दुकानों की संख्या देहातों में ज्यादा है, शहरों में

कम है । एक बात यह भी है कि ५० पर सेन्ट की लेवी हम किसानों पर तो करते नहीं हैं, हम उसी मार्केटेबिल सरप्लस पर करते हैं जो शहरों में आता है । इसलिये हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी शहरों के प्रति है क्योंकि उनका कहना है कि हम उनका हिस्सा जो कि दाजार में बिकने को आता है उसको ले लेते हैं । फिर भी हम देहात की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और जैसा कि मैंने बताया, पूर्वी जिलों में या और जिलों में जहां अन्न की कमी है हम चावल, गेहूं, मिलो, चना, ज्वार, बाजरा, सब दे रहे हैं । हमारे पास डेढ़ लाख टन अनाज है और हम इसके लिये प्रिपेयर्ड हैं, कहीं कोई भूखा नहीं मर सकता ।

शुगर की बाबत एक शब्द कह कर मैं बन्द करता हूं । सभी जिलों में करीब करीब-उसके वितरण की व्यवस्था हो गई है । मेरे पास चार्ट है, जिस वक्त रिप्लाई करूंगा बताऊंगा । हमने सब जगह व्यवस्था कर दी है । लखनऊ शहर में २०० शाप्स पर साढ़े १५ आने सेर के हिसाब से शक्कर मिलती है और लखनऊ के डी० एस० ओ० ने यह एलान किया है कि दुकानों से शक्कर उठ नहीं रही है । और हमारी साढ़े १५ आने सेर वाली शक्कर फर्स्ट क्लास है, मोटे दाने की । लेकिन फिर भी अगर लोग उसको न लेकर १ रुपया ३ आने सेर बाजार में खरीदें तो यह हमारी बदकिस्मती है और इससे अधिक मैं क्या कहूं ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—देहात में कितनी दुकानें खुल गई हैं ?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि इस परमावश्यक और अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की आज्ञा आपने दी । मैं माननीय खाद्य मंत्री का भी कृतज्ञ हूं कि उन्होंने अपने भाषण में जो बातें मैंने समय-समय पर इस सिलसिले में अर्ज की थीं उनका जिक्र किया जिससे मैंने इतना जरूर समझा कि दृढ़ चित्त होते हुए भी, अपनी खाद्य नीति को इतना मजबूत और सही समझते हुए भी वे दूसरों की कही हुई बातों पर विचार करते हैं । मेरे लिये इतनी ही बड़े संतोष की बात है ।

मान्यवर, खाद्य समस्या दो हिस्सों की है, एक तो उत्पादन की, दूसरे उसके वितरण की । आज के वाद-विवाद में मुख्यतः उसका वितरण है, लेकिन जब खाद्यान्न के वितरण का जिक्र हो तब अगर उत्पादन का जिक्र न हो तो मेरी राय में बात अधूरी रह जाती है । मैं इशारे के तौर पर माननीय खाद्य मंत्री की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनको यह नहीं भूलना चाहिये, हालांकि उनका वास्ता महज वितरण से है, कि उत्तर प्रदेश की आबादी सन् १९५१ में ६ करोड़ ३२ लाख थी जो फरवरी सन् १९६१ में, यानी डेढ़ साल बाद ७ करोड़ ४२ लाख हो जायगी । इन आदमियों को ठीक तरह से भोजन प्राप्त हो और वह ऐसा हो कि स्वास्थ्यप्रद हो । यह फूड मिनिस्ट्री का कर्त्तव्य है, मैं आशा करता था इस संकेत के बाद कि आज फूड डिबेट होगी, माननीय मंत्री ने ३,४०० से ४,००० दुकानें खोल दीं और साढ़े पंद्रह आने सेर शकर की दुकानें खोलीं, इसका जिक्र नहीं करेंगे बल्कि वह बतायेंगे कि किस तरह से वह इन आदमियों के खाने का प्रबंध कर रहे हैं ताकि उनका स्वास्थ्य कायम रहे, यह उनके जहन में है और उसे वह बतलायेंगे ।

उनके भाषण को सुनकर मुझे निहायत तकलीफ हुई । मैं यह सुनने नहीं आया था कि इतनी दुकानें खोलीं । यह तो मैं उनके स्टैनोग्राफर से टेलीफोन से इत्तिला ले सकता था और मुझे पूरा यकीन है कि ज्यादा मुकम्मिल इत्तिला मिल जाती । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उन्हें यह भूलना नहीं चाहिए कि हमारा उत्पादन, प्रोडक्शन दस हज़ार टन है; १९२१ में भी इतना ही प्रोडक्शन था । उस समय से १५ फीसदी रकबा अन्न बोने का बढ़ गया है लेकिन उत्पादन वैसा ही रहा । यह सोचने की बात है कि कैसे खाद्य मंत्री वितरण की समस्या को सुलझा सकते हैं जब कि उत्पादन की समस्या नहीं सुलझती हैं । मैं कृषि मंत्री का मशकूर हूं कि उन्होंने उपस्थित रहने की कृपा की है । उनकी मिनिस्ट्री की गरज क्या है । अगर उनकी मिनिस्ट्री की गरज यह नहीं है कि हर व्यक्ति जो इस प्रदेश में रहता है, उसको स्वास्थ्यप्रद भोजन प्राप्त हो सके तो उनकी मिनिस्ट्री का

[श्री त्रिलोकी सिंह]

काम अधूरा है। मिनिस्ट्री अपने लक्ष्य की प्राप्ति में असफल रही है। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि कभी उन्होंने इस बात पर गौर किया है कि कितने भोजन की एक आदमी को जरूरत होती है और कितना उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। फिर अगर प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है तो फूड मिनिस्ट्री का कर्त्तव्य है कि वह अन्न को इम्पोर्ट करे यानी बाहर से अन्न मंगाये। क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में जितने आदमी रहते हैं उनका ७।। छटांक प्रति आदमी के हिसाब से अन्न हमारे यहां पैदा होता है? अगर आदमी जेल चला जाय तो १४ छंटांक मिलता है और बाहर रहे तो साढ़े सात छटांक पाये और अगर सरकारी दुकान पर निर्भर रहे तो सवा चार छंटांक रोज ही मिलता है। क्या उनको मालूम नहीं है कि यह भुखमरी का भोजन है, फिर यह गुमान या बदगुमानी कहें कि किसी को मरने नहीं देंगे तो उनकी मिनिस्ट्री का यह कर्त्तव्य नहीं है कि किसी को मरने न दें बल्कि यह कर्त्तव्य है कि हर व्यक्ति को इतना अन्न मिले कि वह पुष्ट और बलवान बन सके। अगर उनका स्तर यह नहीं है तो मैं समझता हूं कि वह असफल रहे हैं, चाहे वह ४,००० के बजाय ४०,००० दुकानें खुलवा दें।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अजीब सिद्धान्त पर घटिया गेहूं का भाव १३ रु०, औसत का १४ रु० और बढ़िया का १५ रुपये मन रखा है। अभी दस दिन पहले माननीय मंत्री ने कहा था कि भाव तो केन्द्रीय सरकार नियत करती है। आज अंग्रेजी की वही मिसाल सामने आ गई "the cat is out of the bag" यानी आज भंडाफोड़ हो गया है। फरमाते हैं कि चावल का जो भाव नियत किया था उससे गेहूं का भाव २५ प्रतिशत कम होना चाहिए। चूंकि चावल का भाव नियत किया १८।। रुपये मन इसलिए गेहूं १४ रुपये मन कर दिया। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्या इकोनोमिक स्टैबिलिटी के लिए यह जरूरी है कि किसी चीज के उत्पादन पर जो लागत आये उससे कम दाम पर वह बिके? इसी तरह से इस प्रदेश की इकोनोमी को ठीक करना चाहते हैं? ८३ फीसदी इस प्रदेश में खेतिहर है। १४ रुपये मन दाम उनको गेहूं के दें, और १४ रुपये मन उनकी लागत हो। खुद भारत सरकार ने इस बात पर हस्ताक्षर किये हैं एफ० ए० ओ० में कि इकोनोमिक स्टेबिलिटी के लिए यह जरूरी है कि जितने पर माल का उत्पादन हो उससे ज्यादा दाम किसान को मिलें। किसान लंगोटी लगा कर भूखा रह कर पैदा करे और सरकार १४ रुपये मन उसकी लागत के दाम पर उसे खरीदे, लेवी लगायी है। टेन थाउजेंड टन्स का उत्तर प्रदेश में सीरियल्स का प्रोडक्शन है। पांच हंडरेड थाउजेंड टंस का उन्होंने इंतजाम किया है, यानी ५ प्रतिशत। उसमें इम्पोर्टेड फूडग्रेन्स भी शामिल हैं। उस पर यह तुर्रा। जब कि ९५ फी सदी हम बाजार से मंहगे दाम पर लाएं फिर भी उनका यह नाज कि ५ प्रतिशत सप्लाई कर के कमाल किया है। प्रोक्योरमेंट कितना हुआ? सवा प्रतिशत २२ हजार टन गेहूं और ८५,००० टन चावल प्रोक्योर किया था, १५ जुलाई तक था। ४, ६ हजार टन और हो गया होगा। सवा प्रतिशत प्रोक्योर करते हैं और पौने चार प्रतिशत इम्पोर्ट करते हैं। इस प्रकार ५ प्रतिशत माल से भावों को यह सरकार नियंत्रण कर लेगी? इतिहास के पन्ने उलटने पर ऐसी कोई भी मिसाल नहीं मिलेगी कि पांच प्रतिशत पूंजी लगा कर ९५ प्रति शत बाजार को कंट्रोल कर लिया गया हो और यह सरकार समझती है कि वह इसमें कामयाब होगी। मुझे अन्देशा है कि यह सरकार कामयाब होगी। जरूर असफल होगी। मैं उन्हीं की दी हुई मिसाल पेश करता हूं। गेहूं का प्रोकयोरमेंट हो रहा है। गेहूं का भाव ६ जून को १६.८७ रुपये प्रति मन था, हापुड़ में। आज दिन हापुड़ का भाव १८.५० से २० रुपये मन है यानी सवा दो से तीन रुपये प्रति मन जून से लेकर अगस्त तक भाव बढ़ गया। गेहूं पर कम्पल्सरी लेवी है। मगर चने के भावों में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है, जौ के भाव में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। भाव घटे हैं। यह सरकार की ट्रेडिंग का नतीजा है। जिस चीज पर इनके मुबारक कदम और हाथ लगे उसी के भाव बढ़े। जहां यह नहीं गये, भाव घटे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि चने का भाव ६ जून को १२.७५ रुपये मन

था, वह अब १२.३७ रु० मन है। जो १२ रुपये मन था, आज का भाव भी १२ रुपये मन है लेकिन गेहूं के भाव में सवा दो रु० तीन रुपये मन की बढ़ोत्तरी क्यों हुई हैं? और यह कब है? जब कि इनकी राय से पैदावार परसाल से अच्छी हुई है। गत वर्ष से १४ प्रति शत पैदावार अधिक हुई है। गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया से जो मिलता है, उन्हीं के आंकड़ों के अनुसार उसमें भी वृद्धि हुई है। तो माल ज्यादा, पैदावार ज्यादा। फिर भाव क्यों बढ़े? मुकाबला करते हैं पारसाल से। लेकिन पारसाल तो यह सरकार भी मानती है कि पैदावार कम हुई थी। पारसाल यह सरकार मानती है कि केन्द्रीय सरकार से कम प्राप्ति हुई थी। अबकी जब पैदावार में रेल-पेल है और केन्द्रीय सरकार भी इनको फराखदिली से दे रही है तो क्यों भाव ज्यादा हैं, इसको माननीय मंत्री जी जरा बताने की कृपा करें। क्यों वह पिछले साल से मुकाबला करते हैं? उनको तो चाहिए कि १८७७ में जब कहत पड़ा था उससे मुकाबिला कर लेते और कहते कि उस समय का भाव यह था और आज यह भाव है। मुकाबिला हमेशा बराबरी में होता है। यह अच्छी पैदावार के वर्ष से होना चाहिये। सन् ५४–५५ में जो अच्छी पैदावार का वर्ष है उससे मुकाबिला करें तो पता लग जायगा कि उनकी दलील में कुछ वजन नहीं है, सिर्फ वजन ही नहीं बल्कि इतना हल्कापन है कि एक सेकेंड के लिए भी उस पर गौर नहीं किया जा सकता।

मान्यवर, इन्होंने स्टेट ट्रेडिंग की बात कही और आज कुछ कैनाडा का भी जिक्र किया। मेरा खयाल यह है, मैं माफी के साथ अर्ज करना चाहता हूं, कि अगर उन्होंने कैनाडा के बारे में जो मैंने बात कही थी, महज उसी पर अपनी राय कायम की है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उनके पास किताब भेज दूं, जरा उसका मुलाहिजा फरमा लें, दो मिनट उस पर भी गौर कर लें। मैंने कहा है कि स्टेट ट्रेडिंग के मानी यह हैं कि मिनिमम प्राइस गारन्टी हो। इनकी सरकार मैक्सिम प्राइस गारन्टी करती है। यह क्या अन्धेर है? किसान के रक्षक, उनके हितों को सम्हालने वाले अधिकतम दाम नियत करते हैं, कम से कम नहीं करते हैं। गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि अगर वह स्टेट ट्रेडिंग करती है और किसान के हितों की रक्षा करना चाहती है तो मिनिमम प्राइस नियत करे। मान लीजिए यह तय करें कि १५ रुपया मन गेहूं का भाव हो और बाजार का भाव १३ रुपया मन हो तो चूंकि किसान की इकोनोमी को प्रिजर्व रखना है, दस करोड़ नहीं सौ करोड़, भी यदि खर्च हो जायं, अगर इस प्रदेश के पांच साढ़े पांच करोड़ किसानों को, इन्सानों को, दोनों वक्त रोटी पहुंचाना है और गान्धी जी के शब्दों में उनको सेमी-स्टार्व्ड डम्ब मिलियन की तरह से वर्ताव नहीं करना है तो हमें दस बीस-पच्चीस करोड़ की सब्सिडी उनको देनी पड़ेगी। अगर कैनाडा की सरकार सब्सिडी दे सकती है अपने किसानों को, आस्ट्रेलिया की सरकार दे सकती है, यू० के० की सरकार दे सकती है तो भारत के किसानों ने ऐसा कौन सा पाप किया है है कि उनको किसी प्रकार की सब्सिडी न दी जाय और वह घाटे पर अपना माल बेचें? मैं उनकी सेवा में बहुत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं।

डेफिश्यैंसी पेमेंट का अर्थ यही है कि अगर सरकार ने जो भाव नियत किया है उससे कम भाव बाजार का हो तो सारा माल सरकार ले ले और फिर उसको उचित मूल्य पर बेंचे और अगर बाजार का भाव ज्यादा हो तो प्रोड्यूसर का इन्टरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए वह महंगे दाम पर खरीदे और उसको बाजार में नियत भाव से बेंचे। इस तरह से वह कंट्रोल कर सकेंगी। मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि १० करोड़ तो लम्बी बात है, मैंने जो एक कमेटी की मीटिंग में कहा था कि ५० लाख रुपये के घाटे का सौदा अगर वह करें तो भाव गिर जायगा पन्द्रह दिन के अन्दर, उनका रेट है १४ रुपये, बाजार का साढ़े अठारह और बेचते हैं सवा पन्द्रह, फर्क है ४ रु० मन से कम। मगर माननीय मंत्री ने कहा कि चौदह और छब्बीस, यानी बारह रुपये का फर्क। कहां है यह फर्क? हम हवा में हैं या २८ अगस्त, सन् ५९ को इस आदरणीय सदन में बैठकर विचार कर रहे हैं? कहां १२ रु०

[श्री त्रिलोकीसिंह]

का फर्क है १३ रुपये का फर्क है और ३ रुपये का फर्क कोई ऐसा घाटा नहीं है कि जिसको इस प्रदेश के ५ करोड़ ५० लाख जीवों की रक्षा के लिए, उनको दोनों वक्त भोजन पहुंचाने के लिए बर्दाश्त न कर सकें।

मान्यवर, मैंने कुछ समय पूर्व अर्ज किया था कि २० रुपये मन पंजाब का गेहूं इन्होंने बेंचा। किसान का गेहूं मालूम होता है कि वह केवल बीज बिछा देता है और फिर बटोर लेता है, उससे खरीदेंगे १४ रुपये मन और बेचेंगे २० रुपये मन। कहेंगे कि गेहूं नहीं मोती के टुकड़े थे, पंजाब का गेहूं था और वह ऐसा गेहूं था, देखने में इतना खूबसूरत था कि लोग खुद ही ज्यादा दाम दे देते थे। लेकिन मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं, मान्यवर, आपके द्वारा कि क्या वह इससे इन्कार करते हैं कि उनकी जो दुकानें हैं, क्या मंत्री जी मेरी बात को ध्यान से सुनने की मेहरबानी फरमायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---खाद्य मंत्री जी, इस समय कोई व्यक्ति आप से मिलने बीच में नहीं आना चाहिये।

श्री त्रिलोकी सिंह---मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि क्या खाद्य मंत्री जी इस बात से इन्कार करते हैं कि जब खुले बाजार में १३ रुपये मन चना बिक रहा है, तो उनकी दुकानों पर १८ रु० मन बिक रहा है। वह इससे इन्कार नहीं कर सकते और अगर इन्कार करने वाले हों तो मेरे पास सरकुलर है, मैं उसको पढ़कर सुना दूंगा। जब इनका माल होता है तो उसको महंगा बेचते हैं और जो इनका माल नहीं है उसको सस्ते दाम पर ये लेना चाहते हैं।

थोड़ी-सी बात मैं चीनी के संबंध में कहना चाहता हूं। चीनी के भाव अप्रैल के आखिर से बढ़ने शुरू हुए। अब उसको ४ महीने हो गये हैं। चार महीने से अभी इसकी व्यवस्था हो रही है। लखनऊ में कहा गया कि २०० दुकानें खोल दी गईं और वहां पर चीनी नहीं उठ रही है। यह उनका कहना है कि मारकेट में चीनी की स्वेयरसिटी बहुत थी लेकिन अब चीनी लेने से लोग इन्कार करते हैं। इस राशनिंग व्यवस्था करने के बाद इन दुकानों से चीनी वही ले सकते हैं जिनके पास कार्ड हों। क्या मंत्री जी को इस बात से इन्कार है कि जिनकी १०० रुपये से कम आमदनी है या १५० रुपये से कम आमदनी है और जिनको चावल नहीं खाने को मिलता है और रोटी खाने को नहीं मिलती है तो वे चीनी लेकर खावेंगे ? जहां पर चीनी है वहां पर कोई खरीददार नहीं है और जहां पर खरीदार हैं वहां पर चीनी नहीं है। मंत्री जी फरमाते हैं कि उन्होंने दारुलशफा में चीनी की दुकान खुलवा दी। मुझे मालूम है कि मेम्बरों की माली हालत क्या है। हो सकता है कुछ की अच्छी हो लेकिन आमतौर पर मुझे अन्दाजा है। इनकी आमदनी २०० रुपये महीने की है और इस पर भी लखनऊ शहर का रहना है। रोटी दाल से ही परेशान रहते हैं। कपड़े बदन पर कभी-कभी फटे रहते हैं और बीमार पड़ने पर बीवी का इलाज तक नहीं करा पाते हैं। लड़कों की फीस माफ कराने के लिये दरख्वास्त देते हैं। मगर उसकी शिकायत है कि ये लोग चीनी नहीं खरीदते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था कर दें कि जो चीनी खरीदेगा उससे दाम नहीं लिया जायगा, उधार मिलेगा, तो फिर एक दाना भी चीनी का नहीं बचेगा।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि चीनी को उन्होंने कोआपरेटिव के सुपुर्द किया। कोआपरेटिव के हाथ १०३.६२ रुपये पर डी० २९ चीनी की एक बोरी दी और उसी को फिर १०५ पर व्यापारियों को दिया। यह क्यों ? एक रुपये कुछ नये पैसे का अन्तर करके कोआपरटिव को लाभ दिया गया ? मगर इन्हें तो सभी बातों से इन्कार है और थोड़े दिन में ये खुदा से भी इन्कार करने लगेंगे। मैंने तो यह बात सेक्रेटरी यानी सब से ऊंचे अधिकारी से बता

करके कही है। मगर कौन सुनता है ? बात है कि "अन्धा रोये और अपने नयन खोये"। मैंने वैरीफाइ करके यह बात यहां पर कही है। मगर हमारे मंत्री जी को इससे भी इन्कार है। मैं मंत्री जी के साथ हजरतगंज मारकेट में चलने के लिये तैयार हूं। उन्होंने मुरलीनगर में २० रुपये मन की बात कही कि इतने पर गेहूं बिकता है। मगर चीनी के लिये वह मेरे साथ हजरतगंज में चलें और काश्मीर फ्रूट मार्ट में पूछें कि चीनी का दाम क्या है। तो उनको पता लग जायगा कि १५ आना ६ पाई सेर चीनी नहीं है। फिर यह व्यवस्था क्या है ? २५ हजार टन केन्द्रीय सरकार ने भी दे दिया फिर भी उसका वितरण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अभी तजुर्बा कर रहे हैं। हम भूखों मरे जा रहे हैं और यह तजुर्बे कर रहे हैं ! मैं तो उनसे महज इतना कहूंगा कि अगर वह चाहते हैं कि उनकी बात चले तो साहस से कार्य करें। बिना इसके काम नहीं चलेगा। मैं इनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन्होंने गलतियां की हैं। यह आज भी गलती कर रहे हैं। उनकी दृढ़ता गलती की तरफ है। उनको सब्र और इतमिनान है, लेकिन यह जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इनसे कहूंगा कि परमात्मा के लिये अपनी बात पर पुनः सोचें वरना अपनी जिम्मेदारी छोड़ें और मैं इस बात पर भी तैयार हूं कि जहां इस प्रकार की कुव्यवस्था हो उससे अनारकी बेहतर है। अन्न के संबंध में इससे बदतर और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती।

श्री हरिशचन्द्रसिंह (जिला बदायूं)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कृपा कर आज बोलने का मौका दिया। १२ वर्ष हमारे देश को आजाद हुए हो चुके हैं और अब भी खाद्यान्न की कमी है और ऐसा महत्वपूर्ण विषय आज इस सदन में विवाद के लिये उपस्थित किया गया है। यह हमारे लिये, हमारे नेताओं के लिये और सभी के लिये बड़े शर्म की बात है कि १२ वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर, जो हमारे लिये जीवन मरण का प्रश्न है, हम केवल विवाद कर रहे हैं। हम इस चीज को देख रहे हैं कि हमारे यहां कमी है और कोई यह नहीं कह सकता कि कमी नहीं है, लेकिन यह क्यों है ? इसका कारण हमने जानने की कोशिश नहीं की और हम यही सोचते रहे कि हम कमी की पूर्ति के लिये गल्ला इधर से मंगायें, उधर से मंगायें या दो छंटाक दें, ४ छंटांक दें या ६ छंटांक दें और यही प्रश्न यहां विवाद के लिये आते हैं लेकिन इस चीज की तरफ ध्यान नहीं जाता कि गल्ले की कमी क्यों है। हम केवल दूसरों के सामने हाथ पसार कर संसार में अपने को बेइज्जत कर रहे हैं। यह प्रश्न हमारे लिये बड़े महत्व का प्रश्न है और जितने दूसरे प्रश्न हैं उनको स्थगित किया जा सकता है कुछ समय के लिये, लेकिन इस प्रश्न को जब तक वार लेविल पर नहीं सोचा जायगा, हम इस समस्या को हल नहीं कर सकेंगे। मैं सदन का अधिक समय न लेकर कुछ मामूली बातों पर ही अपने को केंद्रित रखूंगा।

हमको सबसे पहले प्रोडक्शन (Production) की तरफ देखना है। प्रोडक्शन के लिये ४ चीजों की आवश्यकता होती है। लैन्ड, लेबर, कैपिटल और एक्सचेंज-भूमि, श्रम, लागत और वितरण। इनमें सब से पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि हमारे यहां किस चीज की कमी है। मेरे ध्यान में हमारे यहां जमीन की कमी नहीं है, हमारे यहां श्रम की भी कमी नहीं है। लेकिन लागत और वितरण के ढंग से जरूर खराबियां हैं जिनकी वजह से हम उस मात्रा में अन्न नहीं पैदा कर पाते जिस मात्रा में हमको अन्न पैदा करना चाहिये।

मैं लागत की तरफ देखता हूं। पहले गांव में साहूकार हुआ करते थे। यह ठीक है कि वह कुछ लूटने की कोशिश करते थे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री गेंदासिंह, पीठासीन हुए।)

[श्री हरिश्चन्द्र सिंह]

लेकिन जब समय पर लागत की जरूरत हुआ करती थी तो वह लागत दिया करते थे। इस वक्त काश्तकार के पास लागत के लिए कोई साधन नहीं है। सैकड़ों कोआपरेटिव सोसाइटियां बन रही हैं और तकावियां दी जा रही हैं, लेकिन वह मात्रा में कम हैं और समय पर लागत नहीं मिलती है। मैं स्वयं भी काश्तकार हूं। मैं गांव में जब जाता हूं और काश्तकारों से पूछता हूं कि इन खेतों की तुम समय पर निराई क्यों नहीं करते, बुआई क्यों नहीं करते तो वे यही जवाब देते हैं कि हमारे पास लागत नहीं है।

लागत के साथ और बहुत सी चीजें हैं, जैसे पानी का होना, खाद का होना, अच्छे बीज का होना। मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने पानी के साधनों के इन्तजाम किये गये हैं वे बहुत नाकाफी हैं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं और जहां रहता हूं, वहां सरकार की तरफ से केवल १२ कुएं बने हैं। उनके एनर्जाइज हुए ३ वर्ष हो गये लेकिन आज तक गूलें नहीं बनी हैं। सब कुएं ऐसे ही बेकार पड़े हुए हैं। खास जेठ का महीना है और किसान पानी देने को तरसता है। वह चाहता है कि फसल जल्दी बोये ताकि वह जल्दी तैयार हो जाय और बाढ़ आने से पहले तैयार हो जाय, उसको बाढ़ का सब से बड़ा खतरा है, लेकिन वह क्या करे?

सरकार की तरफ से बड़ा भारी प्रोपेगेंडा किया गया है कि खाद मिलेगा। काश्तकार इधर उधर दरख्वास्त देता है, मारा मारा घूमता है और परेशान होता है और घर लौट आता है।

वितरण के वास्ते उसको यातायात के साधनों की कमी है, वह अपना सामान इधर से उधर नहीं ले जा सकता। गांव में जो व्यापारी आता है वह जिस भाव चाहता है, ले जाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर सरकार की यही नीति रही तो काश्तकार और सब चीज पैदा करेगा, गेहूं हरगिज पैदा नहीं करेगा। उसका कारण बताऊं, क्यों। गेहूं की फसल साल में एक मर्तबा खेत में होती है। उसको कम से कम २५–३० मर्तबा खेत जोतना पड़ता है। उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन १२—१३ रुपये मन आती है और उसकी कीमत १३—१४ रुपये मन मुकर्रर की गयी है। तो वह गेहूं क्यों पैदा करेगा? आप कहते हैं कि गेहूं बाजार में आता नहीं है, तो वह हरगिज नहीं आयेगा। इसलिए नहीं कि वह काश्तकार रोकना चाहता है। यह इकानामिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से काश्तकार गेहूं बाजार में नहीं लायेगा। उसकी मटर १२—१३ रुपया मन बिकी, चना ११—१२ रुपया मन बिका, अरहर १४—१५, १६ रुपया मन बिकी। उसने छोटे अनाजों को बाजार में लाकर बेच दिया जिनके ऊपर रेट मुकर्रर नहीं था, गेहूं वह खुद खायेगा। मटर क्यों खायेगा? गेहूं खायेगा, गेहूं! अगर यही नीति रही कि कास्ट आफ प्रोडक्शन के बराबर उसे कीमत बाजार में मिलेगी तो गेहूं उतना पैदा करेगा जितना स्वयं खायेगा और कंज्यूमर्स को, शहर के रहने वालों के लिए आप अमेरिका से मंगाइये, आस्ट्रेलिया से मंगाइये, कहीं से मंगाइये, लेकिन इस रेट पर बाजार में गेहूं नहीं आयेगा और आपको हमेशा के लिए पछताना पड़ेगा। इस वास्ते आपको गेहूं की तरफ अपनी नीति खास तौर से बदलनी पड़ेगी। जब गेहूं का प्रोडक्शन १२ रुपये मन है, यातायात के लिए उसको खर्च करना पड़ता है तो बाजार में लाकर १३—१४ रुपया मन गेहूं बेचने के लिए वह हरगिज तैयार नहीं हो सकता। यही एक रीजन है खासतौर से कि वह कैश क्राप्स बोयेगा, गेहूं नहीं बोयेगा। वह गन्ना बोयेगा, मूंगफली बोयेगा, आलू बोयेगा, तिलहन बोयेगा, जिसमें उसको ठीक कीमत मिलेगी वह बोयेगा, लेकिन गेहूं नहीं बोयेगा। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कुछ दिन तक के लिये काश्तकार को सब्सीडी दे, चाहे वह कन्ज्यूमर के लिये सब्सीडी दे

चाहे गेहूं का उत्पादन करने लिये सब्सीडी दे और उसको हिम्मत दिलाये जिससे वह उत्पादन करे । जब काश्तकार देखता है कि १०० रु० से ८० रु० की बचत फी बीघे कैश क्राप्स में हो सकती है तो एक, दो, तीन रुपये फी बीघे के फायदे के लिये वह गेहूं नहीं पैदा करेगा । गेहूं पैदा करके काश्तकार खुद खायेगा और मटर, चना, जौ, अरहर वह बोयेगा और सरकार को सदा के लिये गेहूं बाहर से मंगाना पड़ेगा अगर सरकार अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करेगी ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने मंत्री महोदय के भाषण को बड़े ध्यान से सुना । मैं उनकी वीरता और उनके साहस की प्रशंसा करता हूं कि ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने इतने बड़े-बड़े दावे किये लेकिन मैं, वास्तविकता का उनका जो ज्ञान है और उनकी बुद्धिमता की प्रशंसा करने में मजबूर हूं । सरकार की नीति की गलतियों का एक प्रमाण देने में, सत्ताधारी दल से जो अभी हमारे साथी श्री हरिशचन्द्र सिंह जी बोले हैं, उन्होंने मेरे काम को हल्का कर दिया है । उन्होंने बता दिया है कि गेहूं की पैदावार क्यों कम होगी, उन्होंने यह भी बता दिया है कि गेहूं बाजार में क्यों नहीं आयेगा क्योंकि सरकार की नीति गलत है । लेकिन मैं कुछ बातों की और माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने दावे किये हैं, उनके सम्बन्ध में ।

नेशनल न्यूट्रिशन कमेटी ने यह कहा है कि स्वास्थ्यप्रद और पुष्टिकर भोजन के लिये लिये २,७०० कैलोरीज चाहिये लेकिन उसी कमेटी का यह कहना है कि हमारे देश में सरकार २,७०० में से १,४०० कैलोरीज दे पाती है यानी पुष्टिकर भोजन के लिये जो आवश्यक है उसका आधा आप दे पाते हैं । इस तथ्य के होते हुये अगर आप यह कहते हैं कि आपकी नीति सफल हुई है तो मैं आपसे क्या कहूं ? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह जिस हिसाब से सस्ते गल्ले की दुकानों पर गल्ला दे रहे हैं, जो उन्होंने स्वयं इस सदन में बताया कि साढ़े ४ छटाक या ५ छटाक के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन जेलों के कैदियों को कितना गल्ला दे रहे हैं और फिर बतायें कि शहरियों के लिये जो गल्ला रखते हैं वह जेलों में जितना गल्ला कैदियों को दिया जाता है उसका आधा होता है या नहीं ? क्या यह बात शर्म की नहीं है ? क्या इसी पर दावा करते हैं कि हमने खाद्य समस्या को हल किया है ? मैं कहता हूं कि सरकार की खाद्य नीति की असफलता का इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि अभी इस सम्बन्ध में केन्द्र के खाद्य मन्त्री को इस्तीफा देने के लिये बाध्य होना पड़ा, इससे अधिक विफलता का और क्या प्रमाण चाहिये ? खाद्य मन्त्री ने जो यह कहा कि केन्द्रीय सरकार अपनी नीति को रेव्यू कर रही है, इससे ज्यादा सबूत इस बात का क्या चाहिये कि अब तक की जो नीति रही है वह गलत है, अगर गलत नहीं है तो पुनरीक्षण किस बात का किया जा रहा है । पुनरीक्षण होना ही इस बात का सबूत है कि सरकार की खाद्य समस्या की नीति अबतक गलत रही है ।

श्रीमन्, बहुत जोर दिया जाता है स्टेट ट्रेडिंग, राज्य व्यापार की योजना पर और सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने पर । हालांकि मैं इस योजना के पक्ष में नहीं हूं लेकिन फिर भी बहस के लिये मान लूं कि स्टेट ट्रेडिंग से समस्या हल हो सकती है तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सरकार में राज्य व्यापार की योजना को पूरा करने का साहस है ? क्या मन्त्री महोदय को यह नहीं मालूम है कि नेशनल डेवलपमेंट काउन्सिल ने नवम्बर, १९५८ में यह तय किया था कि जितने खाद्यान्न हैं उन सब होलसेल ट्रेड को पूरे व्यापार को सरकार अपने हाथ में ले लेकिन सरकार में नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल की इस योजना को मानने का साहस नहीं है । आप क्या कर रहे हैं ? आप उसके बजाय यह कर रहे हैं कि इतने खाद्यान्नों में से केवल गेहूं और चावल को स्टेट ट्रेडिंग के अन्तर्गत ले रहे हैं, बाकी को नहीं ले रहे हैं और गेहूं और चावल को भी पूरी योजना को अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं ।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

इन दोनों के मामले में भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। लाइसेंस्ड ट्रेडर्स के जरिये से उनसे मंगाते हैं और फिर कहते हैं कि इतने फीसदी, इतनी कीमत पर हमको दे दिया करो बाकी खुले बाजार में चाहे जिस कीमत पर बेचो। तो इससे साफ साफ जाहिर है कि सरकार को खुद विश्वास नहीं है कि राज व्यापार योजना से समस्या का ठीक हल हो सकता है।

इतना ही नहीं, सरकार ने नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल के सुझावों पर जब विचार किया तब खुद यह कहा कि तीन कारण हैं जिससे हम इस योजना को पूरा नहीं कर सकते। पहला कारण तो यह बताया कि हमारे पास पर्याप्त ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त प्रशासनीय प्रबन्ध नहीं है। दूसरा कारण यह बतलाया कि हमारे पास गल्ले को स्टोर करने के साधन नहीं है और तीसरा यह बताया कि हमारे पास वहां ऐडिक्वेट बफर स्टाक नहीं है कि हम इन तमाम चीजों की जिम्मेवारी अपने हाथ में ले लें और राज्य व्यापार योजना को पूरा कर सकें। जब सरकार खुद राज्य व्यापार योजना को पूर्णरूप से नहीं ले सकती तब यह खिलवाड़ कैसा? एक तरफ जनता को बेवकूफ बनाते हैं यह कह करके कि हम स्टेट ट्रेडिंग कर रहे हैं और नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल को यह कह कर बेवकूफ बनाते हैं कि हमारे पास साधन नहीं हैं इसलिये हम इसे पूरा नहीं कर सकते। यह दोनों नीतियां गलत हैं और इन्हीं गलत नीतियों के कारण आप अब तक खाद्य समस्या को हल नहीं कर पाये हैं। केवल तीन नीतियों से अब तक आपने काम लिया है। प्रो मोर फूड, वह अब तक नहीं हो पाया। दूसरी यह बाहर से गल्ला मंगाने की, उससे भी समस्या हल नहीं हो पायी और तीसरी यह राज्य व्यापार योजना। तीनों फेल हुई हैं और मैं अपने आपसे कहता हूं कि जब तक आप गल्ला पैदा करने वाले किसानों के साथ न्याय नहीं करेंगे, जब तक आप खेती करने वालों के मन में खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये उमंग नहीं पैदा करेंगे उसको उसके फायदे की चीज नहीं बनायेंगे तब तक हरगिज आप पैदावार को नहीं बढ़ा सकेंगे, तब तक मार्जिनल पैदावार रहेगी। आपने कहा कि अगर हम किसानों को उनके पैदावार की रिम्यूनरेटिव प्राइस देंगे तो उत्पादनों के लिये मूल्य भी ज्यादा बढ़ता है। अतः कन्ज्यूमर्स को जो भाव बढ़ जायगा उसका भी हमें अपने सामने ख्याल रखना है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार को और खाद्य मंत्री जी महोदय को कंज्यूमर्स का ख्याल कब से आ गया? क्या खाद्य मंत्री जी इससे इन्कार कर सकते हैं कि आज जो महंगी बढ़ी है वह सरकार की नीतियों का परिणाम नहीं है? यह सरकार की गलत नीतियों का डाइरेक्ट फल है। यह सरकार की नीतियों के कारण बढ़ रही है। डेफिसिट फाइनेंसिंग के कारण बढ़ रही है। आज की डेवलपमेंट योजनाओं से बढ़ रही है। आप जब महंगाई बढ़ाते हैं तब आपको कंज्यूमर्स का ख्याल नहीं आता लेकिन किसानों को उनकी पैदावार की सही कीमत देने में आपका कंज्यूमर्स का प्रेम बड़े जोर से फुसफुसाता है। यह दोनों बातें "हंसब ठठाव फुलाउब गालू" एक साथ नहीं हो सकते। या तो सच्चाई के साथ किसानों का फायदा कीजिये या फिर सच्चाई के साथ कंज्यूमर्स का फायदा कीजिये। लेकिन दोनों का फायदा किया जा सकता है और पैदावार को भी बढ़ाया जा सकता है।

पैदावार बढ़ने के दो ही तरीके हैं जो आपने अब तक नहीं किये। किसानों की पैदावार बढ़ाने में जिन साधनों की कमी है वह पूरी कीजिये। उनको भरपूर खाद दीजिये, उनकी सिंचाई के लिये पूरा इन्तजाम कीजिये, उनके लिये औजारों का इंतजाम कीजिये, उनके लिये अच्छे बीज का इन्तजाम कीजिये और उनके लिये समय पर धन की सहायता पहुंचाने का इन्तजाम कीजिये जिससे खेती की पैदावार बढ़ सके। अपने इन कर्त्तव्यों में से आपने एक का भी पालन नहीं किया है। आप इस राज्य व्यापार के चोचलों द्वारा जो इस समस्या का हल करना चाहते हैं, वह नहीं हो सकता। आप यह याद रखें कि जब तक आप उत्पादकों के साथ न्याय नहीं करेंगे तब तक उपभोक्ताओं के साथ भी न्याय नहीं कर सकेंगे। माननीय खाद्य

मंत्री ने कहा कि ओपिन मारकेट में खरीदने से बहुत कीमत बढ़ जायगी और उपभोक्ता को बड़ी हानि होगी। अगर आप उपभोक्ताओं का ख्याल करते हैं तो सब्सीडी दें। लेकिन उसमें आप कहते हैं कि १०-१२ करोड़ रुपये की हानि होगी। मैं माननीय खाद्य मंत्री जी से पूछता हूं कि विदेशों से जो आप गल्ला मंगाते हैं उससे आपको कितने करोड़ रुपये का नुकसान होता है। क्या आप का ध्यान उसकी ओर भी गया ? अगर उतना रुपया आप काश्तकारों को सही कीमत दिलाने और उसको सहायता करने के लिये दें तो आपके यहां की पैदावार ड्योढ़ी और दुगनी हो जायगी। और जब हमारी पैदावार बढ़ जायगी तो फिर बाहर से गल्ला मंगाने की आवश्यकता न होगी, डिस्ट्रिब्यूशन की आवश्यकता न होगी। इसलिये समस्या का हल वह नहीं है जो आप कर रहे हैं। इसलिये पैदावार बढ़ाने के लिये किसानों को सहायता दीजिये, किसानों को सही कीमत दीजिये। समस्या का सही हल पैदावार के बढ़ाने में ही है। अगर आप पैदावार बढ़ाते हैं तो न तो सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की आवश्यकता होगी और न स्टेट ट्रेडिंग की आवश्यकता होगी। कंपटीशन में भाव अपने आप ठीक हो जायेंगे। इसलिये किसान के साथ आप खिलवाड़ न कीजिये। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे अपने प्रदेश के ६७ प्रतिशत किसानों के साथ कन्ज्यूमर्स का नाम लेकर, अन्याय करके पैदावार नहीं बढ़ा सकती।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि फोर्ड फाउन्डेशन कमेटी ने क्या कोई सिफारिशें पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में की है ? क्या सरकार ने उसके उन रचनात्मक उपायों को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया है ? अगर नहीं किया है तो आपको यह कहने का क्या हक है कि आपने पैदावार बढ़ाने के अपने कर्त्तव्य का पालन किया है। जैसा मैंने बताया, पैदावार बढ़ाने का मार्ग ही एक मात्र उसका हल है और आपने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस फसल में भी नहीं किया है। जैसा माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कहा, आपने निम्न और फ्लोर प्राइसेज को फिक्स नहीं किया। आप इनको फिक्स करें और फसल से बहुत पहले करें ताकि किसान यह जान सके कि उसको कितने दाम मिलने वाले हैं और व्यापारियों के पंजे में वे फंस न सकें।

आपके सामने फारेन एक्सचेंज की बड़ी भारी कठिनाई है और आप कहते हैं कि उद्योगों के लिये सामान मंगाने के लिये फारेन एक्सचेंज हमारे पास नहीं है। लेकिन क्या आपको मालूम नहीं है कि गल्ले में कितना फारेन एक्सचेंज आप खा जाते हैं। अगर आपकी पैदावार बढ़ जाय और विदेश से गल्ला मंगाना बंद हो तो फारेन एक्सचेंज का मसला भी हल हो जाय। इसीलिये, अधिष्ठाता महोदय, मैं बार-बार कहता हूं कि इस संबंध में सरकार की जो नीति है वह बिल्कुल गलत है। जब तक सरकार उन गलत नीतियों को नहीं छोड़ेगी तब तक समस्या का हल नहीं हो सकता, १२ वर्ष में ही नहीं १२० वर्ष में भी समस्या का हल नहीं हो पायेगा।

स्टेट ट्रेडिंग के बारे में आपको यदि मेरी बात पर विश्वास न हो तो केन्द्र के खाद्य मंत्री श्री अजित प्रसाद जैन ने जो अपना अन्तिम भाषण पार्लियामेंट में दिया था, उसको देख लें। उन्होंने स्टेट ट्रेडिंग की जो आलोचना की है उसको पढ़ लीजिये। उन्होंने कहा है कि दोनों बातें नहीं हो सकतीं। कण्ट्रोल से आप डरें और दूसरी ओर आप स्टेट ट्रेडिंग भी लागू करना चाहते हैं, इतना साहस नहीं है कि राज्य व्यापार योजना को पूरी तरह साहस के साथ लागू करें। उनमें इतना साहस भी नहीं है कि जनता पर विश्वास करें, गांधी जी के तरीके को मानें, कंट्रोल को छोड़ें, राज्य व्यापार योजना को छोड़ें और किसानों और जनता के ऊपर छोड़ दें कि वे अपनी पैदावार को बढ़ा कर खाद्य समस्या को हल कर दें।

श्री ब्रजभूषणशरण (जिला देहरादून)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो खाद्य समस्या पर आज बहस जारी है इस पर जो भाषण हुए हैं उनको मैंने बड़े गौर से सुना। मैंने

[श्री ब्रजभूषणशरण]

अभी माननीय पालीवाल जी के भाषण को बड़े ही गौर से सुना और सब कुछ सुनने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यह जो खाद्य नीति पर हम लोग रोज यहां बहस करते रहते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वह कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में हो, चाहे इसके लिये कोई खास दिन निकाल कर, तो आखिर हम चाहते क्या हैं ? एक बात खासतौर से देखनी है कि अगर महंगाई के खिलाफ आवाज है तो इस तरह से बात कीजिये, अगर काश्तकार के पक्ष करने की बात है तो दूसरी तरह से बात कीजिये । इसी तरह के भाषण जिसको सुनते सुबह से शाम हो जाती है और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, आखिर हम चाहते क्या है ? अगर हम महंगा गल्ला बाजार से खरीदेंगे या काश्तकार को २०, २२ रु० मन कीमत देंगे तो १५ रु० मन किस तरह से बाजार के कन्ज्यूमर्स को हम दे सकेंगे, यह मेरी समझ के बिल्कुल बाहर की बात है ।

माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि खाद्य समस्या के हल के लिये सिर्फ ५० लाख रु० से जुआ खेलने की बात है, ५० लाख रुपये में सब कुछ हो जायगा । उन्होंने कहा कि सिर्फ ३ रु० मन का फर्क पड़ता है । मेरी समझ में नहीं आया कि ३ रु० का कैसे फर्क है । माननीय खाद्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि तमाम प्रदेश में ४,२०० दूकानें खुली हैं । अगर एक दूकान पर २५ मन गल्ला के हिसाब से रखें तो करीब एक लाख मन गल्ला रोज होता है और इस तरह से ३ रु० मन के हिसाब से ३ लाख रु० रोज का फर्क पड़ता है जो महीने में जाकर ९० लाख पड़ता है और साल में जाकर १० करोड़ के करीब पड़ता है । फिर मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे उन्होंने कह दिया कि केवल ५० लाख रुपये का जुआ खेला जायगा तो यह खाद्य समस्या हल हो जायगी ? माननीय त्रिलोकी सिंह ने कैलोरी का जिक्र किया और कहा कि सरकार की तरफ से सवा ४ छंटाक के हिसाब से गल्ला दिया जाता है जब कि मिनिमम फी व्यक्ति के लिये साढ़े ७ छंटाँक गल्ला होना चाहिये । अगर ऐसा किया जाय तो बजाय १ लाख मन के २ लाख मन गल्ला रोज देना पड़ेगा और फिर ३ रु० मन के हिसाब से ६ लाख रुपया रोज का फर्क पड़ेगा । जितनी भी बातें कही जायं पहले उसका हिसाब लगा कर सोचना चाहिये कि हम क्या कहना चाहते हैं ।

अभी माननीय पालीवाल जी की तरफ से बड़ा जोरदार भाषण हुआ । माननीय पालीवाल जी वित्त के विशेषज्ञ हैं । उन्होंने कहा कि जो करोड़ों रुपया बाहर से गल्ला खरीदने में खर्च किया जाता है अगर उसे सबसिडी के रूप में यहां के किसानों को दिया जाय तो उसमें क्या नुकसान की बात है ? मैं पालीवाल जी को यह बतला दूं कि चाहे दिल्ली के खाद्यमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री हों, यह उनके वश की बात नहीं है कि वे उस रुपये को फारेन एक्सचेंज से बचा कर यहां के काश्तकारों को पैदावार बढ़ाने के लिये बांट दें । कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें बाहर एक्सपोर्ट करना पड़ता है और उसके बदले में हमको वहां की चीजें लेनी पड़ती हैं । किसी मुल्क को हम बाध्य नहीं कर सकते कि जो चीजें वे हमारी लेते हैं उसके बदले में वे हमको सोना ही या हमारे मन की चीज ही कीमत के रूप में दें । बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो हमारी चीजें खरीदते हैं तो उसके बदले में उनका अनाज हमको लेना पड़ता है । ऐसा नहीं है कि अगर वे हमारे यहां की चीजें न लें तो उनका काम नहीं चल सकता । तो ट्रेड बैलेंस को मेनटेन रखने के लिये भी हमको अनाज लेना ही पड़ता है । माननीय हरिश्चन्द्र सिंह ने कहा कि काश्तकारों को गेहूं की पूरी कीमत नहीं दी जाती है जिससे वे मटर, ज्वार, मसूर आदि बोते हैं क्योंकि उसकी कीमत उनको ज्यादा मिलती है । लेकिन माननीय हरिश्चन्द्र सिंह जी ने यह नहीं बतलाया कि एक बीघे में कितना गेहूं पैदा होना चाहिये और उसमें कितना कास्ट पड़ना चाहिये । मैं खुद काश्तकार नहीं हूं लेकिन बहरहाल कामनसेंस रखते हुये.. (व्यवधान) हर आदमी को अख्तियार है अपनी राय रखने का । मैं समझता हूं कि गेहूं की खेती के लिये ७—८ जुताई होनी चाहिये या ९ होनी चाहिये तो २ रु० जुताई के हिसाब से १८ रु० बीघा जुताई की कीमत हुई, ५ रुपया प्रति बीघा ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की कीमत, ५ रुपया खाद की कीमत होती है यह सब व्यय होता है और दूसरी तरफ

अगर ढाई मन गेहूं पैदा होता है एक बीघे में तो उस के दाम ४० रुपया हुये । इस के अलावा अगर गन्ने की बात कही जाय या जूट की बात कही जाय तो फिर काश्मीर की जाफरान का हिसाब क्यों न लगाया जाय । अगर काश्तकार केवल अपने खाने के लिये ही बो ले तो कोई एतराज नहीं है, जैसा कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने बताया कि हमारे यहां ५ करोड़ ६० लाख काश्तकार हैं वह सब अपना गल्ला पैदा कर के खुद खा लें तब हमें ज्यादा से ज्यादा १ करोड़ आदमियों के लिये गल्ले की जरूरत रह जायगी जो शहर में रहते हैं । माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमारे यहां ४,२००दूकानें गल्ले की हैं और सवा ४ छंटाक के हिसाब से गल्ला दिया जा रहा है । कहा गया कि साढ़े ७ छंटाक मिलना चाहिये यह बहुत कम है और मिसाल भी जेल की दी गई और कहा कि १४ छंटाक मिलना चाहिये, लेकिन वह यह नहीं जानते कि जेल में मेहनत होती है, हम लोग तो केवल भाषण देते हैं, हमारा पेट ४ छंटाक में भर जाता है, शहर के लोगों का तो भर जाता है, थोड़ा बहुत डायट को सप्लीमेंट करना पड़ता है ।

कहा जाता है कि हम गरीब हैं, इलाज भी नहीं कर सकते, बड़े परेशान हैं । हमें तो परेशानी नहीं महसूस होती और न हम समझते हैं कि सब सदस्य ऐसे अपाहिज हैं कि यहां के २००रुपये पर ही पल रहे हैं, उनके कोई साधन नहीं हैं । कहा गया कि लोगों में क्रय शक्ति नहीं है, जब हम ऐसी बात कहें तो हमें एक नेशनल व्यू से चीजों को देखना चाहिये । हमें वितरण की तरफ देखना होगा, जब हम देखते हैं तो सवाल शहरों का आता है । माननीय हरिश्चन्द्र सिंह जी ने कहा कि गांव वाले तो खुद पैदा करके खा लेते हैं, प्रश्न शहर के लोगों का रह जाता है । जो कुछ इंतजाम हो सकता था वह किया गया है । न कोई भूख से मरा है और न कोई बंगाल जैसी परिस्थिति ही आई है कि भारी कहत पड़ गया हो । मैं एक ऐसे जिले से आता हूं कि जो एक डेफिसिट क्षेत्र है, लेकिन मैंने अपने यहां की एक दूकान को एक, एक मास पहले देखा, वहां पर हालत यह थी कि २५ मन गेहूं जो दिया जाता था वह पूरा बिकता नहीं था, कहीं १५ मन, कहीं २० मन बिक रहा है । विरोध में जो भाषण किये जाते हैं तो कह दिया जाता है कि खरीदने की शक्ति ही लोगों में नहीं है । जब यह बात कही जाती है तो इस बात पर भी जरा माननीय सदस्य ध्यान दें कि जब ५ सेर का गेहूं बिकता था तो ढाई आने में मजदूर मिलता था और ८-१०आने में राज मिल जाता था, जब कि आज डेढ़, पौने दो रुपये में मजदूर और ५ साढ़े ५ रुपये में राज और बढ़ई मिलता है । आज सौ रुपया कमाने वाले को ५०० रुपया मिलते हैं । जब वेतन लेने की बात होती है या मजदूरी लेने की बात होती है तब महंगाई का जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन जब गल्ले की दूकान पर जाते हैं तो मंहगाई नजर आती है । वहां पर जो लोग नफा कमाते थे और जिन का नुक्सान हुआ है, वह सब मिल जाते हैं और कहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग से सब खराबी हो गई और इतनी महंगाई हो रही है कि २५ रुपया मन अनाज बिक रहा है गरीब लोग मरे जा रहे हैं । इस तरह से वह लोग गरीब का नाम लेकर अपने मन का बुग्ज निकालते हैं । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसान, मजदूर को कोई परेशानी नहीं है, आज जो परेशानी है वह उन्हीं को है जो पहले नफा मारते थे गल्ले की कमी के कारण से रोज कामरोको प्रस्ताव लाये जाते हैं, किसान अब खुद गेहूं खाता है, शहर वालों के लिये कमी है, वही गांव वालों का और गरीबों का नाम लेकर चिल्लाते पुकारते हैं । अच्छा हो कि सही पर्सपेक्टिव में सोचने के बाद इन तमाम बातों पर गौर करने के बाद ही माननीय सदस्य अपने मत को निर्धारित किया करें ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब प्रदेश की खाद्य स्थिति पर यह सदन विचार करने बैठा हो तब भावावेश में आकर यदि गरमागरम भाषण न दिये जायं तो ज्यादा अच्छा है । मैं निवेदन करूंगा कि केवल एक बात की सफाई होनी चाहिये । प्रान्तीय सरकार की और केन्द्रीय सरकार की खाद्य नीति के किसी फर्क की ओर माननीय खाद्य मंत्री ने इशारा नहीं किया । जैन साहब द्वारा जो तारीफ हुई है, माननीय नेगी जी उसी के लिये अपनी प्रशंसा समझते हैं । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यहां की खाद्य नीति अच्छी थी, माननीय जैन साहब ने जिसकी प्रशंसा की तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया । इस्तीफा देकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि मुल्क की खाद्य समस्या का समाधान नहीं कर सकते । उसी नीति पर माननीय नेगी जी घमन्ड करते है और कहते हैं कि लोक सभा में हमारी तारीफ हुई ।

[श्री राजनारायण]

मैं समझता हूं कि यह बेहयाई है, निर्लज्जता है। बहुत ज्यादा विशेषण इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि हमने डिस्होरडिंग की, उसके लिये बड़ी तारीफ हुई। जैन साहब ने लोक सभा में इस बात को माना कि जब कि दूसरे सूबे में १४ से १६ रुपये मन तक गेहूं बिक रहा था तो उत्तर प्रदेश में १७ से २० रुपये मन तक था। जब साधारण तरीके पर बाजार में १७ से २० रुपये के अन्दर गेहूं आ रहा था तो १३ से १४ रुपये गेहूं का भाव नियंत्रित करना प्रोक्योरमेन्ट होगा या उसको विफल किया जायगा। जैन साहब ने इसी बात की ओर संकेत किया। मैं पूछना चाहता हूं--दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है - १३ रुपये मन किसान से जबर्दस्ती लेने पर क्या कोई किसान देगा? क्या माननीय नेगी जी ने कभी इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि किसान को एक मन गेहूं पैदा करने में कितनी लागत लगानी पड़ती है? उसकी तरफ खयाल किया है और अगर खयाल क्या होगा गरदन हिला रहे हैं - तो उनको मालूम होगा कि १३-१४-१५ रु० मन से कम लागत नहीं पड़ रही है। तो जितनी लागत है अगर सरकार उसी भाव पर गेहूं लेने की नीति तय करती है तो सफल होगी या असफल, होगी इसका उत्तर उनको जनता को देना चाहिए। यह सही है कि हमारे सदन के सभी सदस्यों ने खाद्य नीति में उत्पादन की बात की, वितरण की बात की, प्रोक्योरमेन्ट की बात की। मैं उसी के साथ एक चौथी बात भी जोड़ना चाहता हूं एडल्टरेशन (मिलावट) की। उसकी ओर ध्यान नहीं गया है। माननीय नेगी जी ने कहा था कि आटा भरा पड़ा है, कोई खरीदता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि जो सोप स्टोन है वह उसमें मिला हुआ है या नहीं? मुझे मालूम नहीं कि मंत्री जी वह आटा खाते हैं या नहीं। श्रीमान् सोप स्टोन फर्श में जितना प्रयोग होता है उससे ज्यादा यदि बिक्री होता है तो कहां जाता है? नमूना लेकर देखा जाय? श्रीमन्, सोप स्टोन आटे में, चीनी में, मिठाई में, हींग में और कत्थे में मिलाया जा रहा है। इस तरह से जो खाद्य सामग्री है उसको अखाद्य रूप में सरकार परिणत करके बिकवा रही है और यह इनकी जानकारी में है। एक बात और कहूंगा अभी कल हमारे पास कानपुर के आदमी आये, उनको मालूम था कि खाद्य पर बहस होने वाली है। उनका कहना है कि कानपुर बांदा, या और आसपास के जिलों में तमाम गल्ला जमीन में छिपा कर रखा गया है और यह सरकार की जानकारी में है। हमने उनसे कहा कि कल खाद्य पर बहस होने के बाद आइये और पुलिस लेकर साथ चलिये और पकड़वाइये। यह मालूम होना चाहिये कि इस तरह का छिपा हुआ गल्ला पड़ा हुआ है।

सरकार जब यह मानती है कि प्रोक्योरमेंट (वसूली गल्ला) और डिस्ट्रीब्यूशन आफ प्रोडक्शन (गल्ला वितरण) यह सब शामिल है तो उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की? हम बारबार कहते रहे कि अन्न सेना भरती करो। अगर वह सेना भरती की गई होती और नई जमीन तोड़ी गई होती तो क्या उत्पादन में वृद्धि न होती? जरूर होती। उसकी ओर सरकार ने क्या कदम उठाया, मैं पूंछना चाहता हूं। लगातार खाद्य समस्या विषम होती जा रही है। आज प्रदेश में करीब डेढ़ करोड़ आदमी ऐसे हैं जो भूखे रह जाते हैं, ढाई करोड़ आदमी ऐसे हैं जो एक जून खाते हैं, ऐसी स्थिति के रहते हुये यही सरकार गौरवान्वित हो सकती है। उत्पादन के खाद्य की क्या व्यवस्था हुई है? कृषि मंत्री जी चले गये। मैंने बताया था कि खाद की जगह मिट्टी दी जा रही है और उस मिट्टी को जब किसान खाद के एवज में देगा तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा? खतौली में जो मैन्योर बनाने वाली मिल बनी हुई थी, जिसने सूबे को, मध्य प्रदेश को मिट्टी दी जो कि डिपार्टमेंट की जानकारी में है लेकिन फिर भी विभाग ने नाजायज तरीके से लाखों रुपया कमवा दिया। मैं जानना चाहता हूं नलकूप की क्या व्यवस्था है, नहरों की क्या व्यवस्था है? इसी के साथ बाढ़, बूड़ा, गर्की, सूखा आदि से हिफाजत करने की सरकार ने क्या व्यवस्था की? क्या चारों ओर सरकार की नीति की असफलता सामने नहीं आई है? अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि यह सरकार बिल्कुल अनियंत्रित ढंग से चल रही है।

अलग-अलग नलकूपों के रेट हैं । गंगा ग्रिड क्षेत्र में ८० रु० प्रति हार्स पावर है, शारदा ग्रिड में १०० रु० प्रति हार्स पावर, सोहावल क्षेत्र में ११३ रु० प्रति हार्स पावर । इसका क्या हिसाब है ?

श्री अधिष्ठाता--बनारस की कुछ खबर है ?

श्री राजनारायण--जी हां, देवरिया की भी खबर है । बनारस, गाजीपुर, देवरिया, बलिया इन तमाम जगहों पर प्रति यूनिट के हिसाब से लिया जाता है । कहीं दो आना, कहीं ढाई आना और कहीं तीन आना । तो देखना चाहिये सरकार किस नीति पर चल रही है । यह बात मानी जा चुकी है महात्मा गांधी के युग से कि जब नियंत्रण होता है तो मुसीबत बढ़ती है और जब अनियंत्रित नियंत्रण होता है तो उससे ज्यादा बढ़कर मुसीबत कभी नहीं हो सकती । आज सरकार अनियंत्रित नियंत्रण कर रही है । तो जनता जरूर रोयेगी, चिल्लायेगी, उनकी अंतड़ियां भूख से तिलमिलायेंगी और माननीय मंत्री जी सरीखे लोग ऐशो इशरत की जिन्दगी बितायेंगे ।

नलकूप वगैरह के बारे में देखा जाय कि जितना एस्टीमेट बनाते हैं उस एस्टीमेट में डिजाइन करते हैं, २० फीसदी क्षेत्र सिंचाई के बारे में रखते हैं । क्या सेंट परसेंट डिजाइन नहीं बनाई जा सकती ? सरकार की नीति में कितनी खामियां हैं, मगर मंत्री जी फूले नहीं समा रहे हैं ।

इसी के साथ साथ मंत्री जी की जो चीनी उद्योग से सम्बन्धित नीति है उसको भी देखा जाय । चीनी के बारे में सरकार की क्या नीति है सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि सन् १९५१-५२ तक सरकार की नीति रहती थी कि गन्ने को भी नियंत्रित करें और चीनी की कीमत को भी नियंत्रित करें । मगर जब सन् ५२ का चुनाव होने वाला था, जब कि ३ करोड़ रुपया एक पार्टी के चुनाव के लिये चीनी मिल मालिकों से लिया गया तो उस समय गन्ना १ रुपया ५ आने के मन हिसाब से नियंत्रित हुआ, मगर चीनी पर से नियंत्रण हटा लिया गया, मिल मालिक जिस भाव से चाहें उस भाव से चीनी बेच सकते थे । मैं पूछना चाहता हूं कि यह सरकार किस की है, किसान की या मिल मालिक की ? अगर किसान की सरकार होगी तो किसान का हित साधन होगा और अगर मिल मालिक की सरकार होगी तो मिल मालिक का हित साधन होगा । उसके बाद जुलाई ३०, १९५८ को सेन्ट्रल गवर्नमेंट का शक्कर की एक्स-फैक्टरी प्राइस के बारे में एक नोटिफिकेशन हुआ जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश, नार्थ बिहार और पंजाब में ३६ रुपये मन का भाव निश्चित हुआ । गन्ने का नियंत्रित मूल्य १ रुपया ७ आने मन था । उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसकी मुखालिफत की या नहीं ? जब ३६ रुपये मन शक्कर की जेट प्राइस तय की गई तो क्या इस सरकार ने कोई कदम उठाया कि चीनी ४५, ५० और ६० रुपये मन न बिके ? क्या माननीय नेगी जी कह सकते हैं कि ४०, ४५ और ५४ रुपये मन चीनी नहीं बिकी ? इस सरकार की नीति का फल यह हो रहा है कि मिल मालिक मोटा होता जा रहा है और उपभोक्ता और किसान दोनों मर रहे हैं ।

इस सरकार की स्टेट ट्रेडिंग की नीति क्या है ? सरकार को बताया गया था कि इस सम्बन्ध में वह पैरिटी का सिद्धान्त अपनायें । संतुलन और समता का सिद्धान्त खेती से पैदा होने वाली सामग्री और कल कारखानों से पैदा होने वाली सामग्री के बारे में होना चाहिये । आज १२ साल इस सरकार को शासन में आये व्यतीत हुये मगर क्या सरकार ने इस नीति पर अमल किया ? आज कोई यह कहने का दम भरता है ? आज सबेरे माननीय उग्रसेन जी का सवाल आया हुआ था कि हमने सरकार को सुझाव दिया था कि अगर खाद्य समस्या का समाधान वह करना चाहती है तो उसको चाहिये कि किसान के गल्ले की कीमत उसकी लागत और उसकी सेवाओं का ध्यान रखते हुये निश्चित कर दे और यह भी निश्चित कर दे कि उससे दो, ढाई रुपये मन से ज्यादा भाव पर बिक्री नहीं होगी । अगर आज १७ रुपये मन गेहूं रहा होता जो वह खुले बाजार में आ रहा था, इसको माननीय खाद्य मंत्री ने भी कबूल किया है । क्या सरकार १७ रुपये मन से सस्ता गेहूं उपभोक्ताओं को दे रही है ? मैं एक कमिश्नरी का उदाहरण देता हूं ।

[श्री राजनारायण]

मेरठ को ही लीजिये । वहां ५ हजार मन माहवार औसत गेहूं का प्रोक्योरमेंट है । ५ हजार मन १४ रुपये के हिसाब से जोड़ लीजिये और उसके साथ साथ १ लाख रुपया माहवार खर्च है सरकारी कर्मचारियों का जो कि आज स्टेट ट्रेडिंग स्कीम में लगे हुये हैं । यह १ लाख रुपया किसी के बाप दादे के घर से नहीं जायगा । यह रुपया प्रदेश की गरीब जनता का रुपया है जो टैक्स के रूप में लिया जाता है । तो १ लाख ७० हजार रुपये के हिसाब से ३४ रुपये मन गेहूं पड़ रहा है । क्यों सरकार ने यह गलत नीति अख्तियार की ?

इसी तरह इस सरकार ने चावल के प्रोक्योरमेंट की योजना चलायी । देखा जाय तो सरकार को कुल १६,३५,९७५ मन चावल मिला । उसमें मुझे आश्चर्य हुआ कि वाराणसी और मुगलसराय में महज ६४४ मन ही मिला । मुगलसराय क्षेत्र चावल का है । चकिया का चावल वहां से आता है । इस सरकार की दकियानूसी और मंत्रियों के भाई, भतीजे आदि को खिलाने की नीति के कारण वहां चावल की आमद कम हो गई । चन्दौली में चावल पकड़ा गया । उसको इसलिये छोड़ दिया गया कि वे लोग सम्भवतः किसी मंत्री से सम्बन्धित थे । क्यों शहरों का कोटा बढ़ा दिया ? केवल हंसकर सारी बात को छिपा देना ही समुचित समाधान इसका नहीं हो सकता है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर तनिक भी हया है, तनिक भी शरम है और तनिक भी लज्जा है तो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को इस्तीफा देना चाहिये । यह नेगी जी क्या हैं ? अगर हम इनके इस्तीफे की मांग करें तो यह हमारे लिये ठीक नहीं है । मैं कहना चाहता हूं डाक्टर सम्पूर्णानन्द की पूरी की पूरी सरकार इस्तीफा दे जिसमें प्रदेश के गरीबों की अंतड़ियां तिलमिला रही हैं, औरतें चिथड़े पहन रही हैं, बच्चे नंगे डोल रहे हैं, न खाने को अन्न है और न पहनने को कपड़ा है, न पढ़ाई का इंतजाम है और न दवा दारू का ही इंतजाम है । हमारे जीवन की मौलिक आवश्यकतायें हम से छीनी जा रही हैं । ऐसी स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना चाहिये ।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—अधिष्ठाता महोदय, खाद्य स्थिति पर जो भाषण अब तक हुये उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना । मुझे ऐसा लगा कि उस तरफ से जितने भाषण हुये उन्होंने एक ऐसा नक्शा हमारे सामने खींचने की कोशिश की जैसे कि हमारे प्रदेश में एक बड़ी भीषण स्थिति हो और भयानक अकाल की स्थिति पहुंच चुकी हो । माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया वह बहुत आशापूर्ण था और आशाजनक था ।

(इस समय २ बजकर २ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए ।)

वास्तव में श्रीमन्, खाद्य स्थिति की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और वह पार्टीबन्दी या दलबन्दी से हल नहीं हो सकती है । उसके लिये तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा । मुझे इसको मानने में जरा भी संकोच नहीं है कि हमारे यहां की अन्न की पैदावार पर जितना धन व्यय किया गया और जितनी पैदावार बढ़ने की हम आशा करते थे उतनी नहीं बढ़ सकी । मुझे इसको भी मानने में संकोच नहीं है कि आज खाद्यान्न की जो कीमत है, बावजूद सरकार की तमाम कोशिशों के, जिस स्तर पर सरकार लाना चाहती थी उसमें ज्यादा कामयाबी नहीं हो सकी । लेकिन इनके साथ ही साथ यह भी अपनी जगह पर सही है कि सरकार ने सीमित साधनों के अन्दर यथाशक्ति कोशिश की कि इस गम्भीर तथा भयंकर स्थिति का समाधान किया जाय । यह अवश्य है, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि ४,२०० दुकानें खोली गई, मैं नहीं जानता कि वह काफी हैं या नहीं । लेकिन अपने क्षेत्र की बात जानता हूं कि हमारे यहां से बीसियों बार मांग की गई कि गांवों में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जायं । महीनों बीत गये लेकिन एक भी दुकान नहीं खोली गई । एक आध मित्र ने कहा कि फी दुकान २५ मन का कोटा है और १५ मन ही बिका । यह बड़ी गम्भीर बात है । इसके २–३ कारण हो सकते हैं । बाजार में सस्ता अनाज मिलता है या अनाज निकम्मा हो जिसे जनता खा न सकती हो । यदि यह नहीं है तो मेरी

समझ में यह बात नहीं आती कि जब बाजार में तेज मिलता है तो क्या वजह है कि सस्ते गल्ले की दुकान से अनाज उठता नहीं है । जरूर कोई न कोई चीज है । मेरा अपना ख्याल यह है कि जो गल्ला मिलता है उसे लोग पसन्द न करते होंगे ।

एक बात पैदावार की कही गई तो यह सही है कि सरकारी आंकड़ों में दावा किया जाता है कि हमारी पैदावार बढ़ी और बढ़ती जाती है । मैं नहीं जानता कि इन पर कहां तक विश्वास किया जाय क्योंकि मैं जानता हूं कि एक बार आंकड़े आते हैं कि इतनी पैदावार हुई, फिर इसके बाद घटाकर आंकड़े पेश किये जाते हैं । प्लानिंग कमीशन के दूसरे आंकड़े होते हैं, केन्द्रीय सरकार के दूसरे होते हैं और प्रदेशीय सरकार के आंकड़े दूसरे होते हैं । विभागों को देखा जाय तो जितने विभाग हैं उनके अपने-अपने आंकड़े होते हैं । तो यह भी हमें बड़ी कठिनाई होती है कि सही स्थिति का ज्ञान हो सके कि हमारी पैदावार कितनी हुई । एक बात सही है कि इस साल पिछले साल के मुकाबले में पैदावार अच्छी हुई, ज्यादा हुई । लेकिन साथ-साथ जैसा कि मंत्री जी ने भी कई बार माना है कि गेहूं पिछले साल के मुकाबले में मंडियों में कम आया और शायद २५ प्रतिशत पिछले साल के मुकाबले में कम आया ।

(व्यवधान)

मेरे भाई कहते हैं ६० प्रतिशत । हो सकता है । मैं नहीं कह सकता लेकिन पिछले साल के मुकाबले में कम आया । गेहूं क्यों कम आया ? जैसा कि अभी कहा गया और मेरा भी अनुभव है कि मेरे क्षेत्र की जो मार्केटिंग सोसाइटी हैं उन्होंने इस बात का आम तौर से ऐलान कर दिया कि तुम हमारे यहां गेहूं मत लाओ । वह जानते थे कि १३–१४ रुपये मन गेहूं के दाम देंगे जब कि १७–१८ रुपये मन उसको बाजार में मिल सकता है । काश्तकार ने एक पैसा या कितनी पेनाल्टी देकर मार्केटिंग सोसाइटीज के हाथ बेचना पसन्द नहीं किया । ठीक भी है । जब दालों के दाम १७ से २० रुपये मन हों तो गेहूं का १३ रुपये मन हो, यह बात मेरी बुद्धि में नहीं आती है ।

हमारे नेता विरोधी दल ने कहा कि कास्ट आफ प्रोडक्शन से नीचे नहीं बिकना चाहिये । मालूम नहीं कि कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है ? उनका ख्याल है कि कास्ट आफ प्रोडक्शन गेहूं की १४ रुपये मन आती है । गवर्नमेंट के ऐग्रीकल्चर और ऐनिमल हस्बैंडरी के बहुत से फार्म्स हैं । माननीय मंत्री जी उनसे कास्ट आफ प्रोडक्शन निकलवा सकते हैं । वह कास्ट आफ प्रोडक्शन हम को स्टैंडर्ड मान लेनी चाहिये क्योंकि वे बेहतरीन ऐक्सपर्टस् के प्रबन्ध में चलाये जाते हैं और उनको बेहतरीन फैसिलिटीज हैं । यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार ने जो गेहूं का भाव निर्धारित किया वह बहुत कम था । कुछ भाइयों ने कहा कि हम को कन्ज्यूमर का ध्यान रखना चाहिये । मगर साथ ही जो किसान गेहूं बोता है उसका भी खयाल रखना पड़ेगा । जब गन्ने का भाव १ रुपये ७ आने मन है और किसान की मांग है कि दो रुपये मन होना चाहिये उसके बाद वह गन्ना न बोय और १३ रु० मन का गेहूं बोये यह हो नहीं सकता । या फिर खेती के अन्दर कंट्रोल करना पड़ेगा कि कैश क्राप्स इतने से अधिक न बोई जा सकें । यह बात आपके देखने और सोचने की है । मान्यवर, यह बात तो सही है कि बावजूद हमारी कोशिशों के जितनी गल्ले की पैदावार बढ़नी चाहिये थी उतनी नहीं बढ़ रही हैं । लेकिन फिर भी यह सब लोग जानते हैं कि रबी कैम्पेन, खरीफ कैम्पेन में कर्मचारी बहुत कुछ करते हैं, इसमें कहां तक कामयाबी होगी यह आगे देखने की बात है, फिर भी प्रयास तो है ही ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जिसका जवाब माननीय मंत्री जी दें । अजित प्रसाद जैन जी ने अपना भाषण दिया और जो पार्लियामेंट में डिबेट हुआ वह इस बात का सबूत है कि आज इस प्रदेश की नहीं, सारे देश की खाद्य स्थिति बहुत गम्भीर है । इतनी गम्भीर है कि उसके ऊपर श्री अजित प्रसाद जैन को अपना त्यागपत्र भी देना पड़ा । वही नहीं । न जाने कितने खाद्य मंत्री इस देश में आये और चले गये, सिवा एक व्यक्ति को छोड़कर, यानी रफी साहब, जो कुछ सफल हो सके । मैं संकेत इसलिए करता हूं कि यह एक विषम स्थिति है जिस पर दोनों तरफ के आदमियों को बैठकर ठंडे दिमाग से इस समस्या का समाधान

[श्री नवलकिशोर]

करना पड़ेगा। अजित प्रसाद जैन जी ने यह भी कहा कि जो गेहूं मंडियों से गायब हो गया यह हमारी प्रदेशीय सरकार की नीति का ही कारण है। इसका जवाब माननीय मंत्री जी दें क्योंकि इतना बड़ा आरोप प्रदेशीय सरकार की खाद्य नीति के ऊपर केन्द्रीय सरकार के मंत्री ने किया है और मैं महसूस करता हूं कि सरकार का फर्ज है कि वह उसका जवाब दे।

दूसरी बात, मैं मान्यवर, शक्कर के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने यह बात मानी है और सही बात है कि इतना ज्यादा ब्लेक मार्केट के अन्दर हुआ है कि २२ रुपये से लेकर ३२ रुपये तक, एक एक बैग के ऊपर मिल मालिकों ने ब्लेक मार्केट किया है। आज भी बाजार के अन्दर १ रुपये ढाई आने से लेकर १ रुपये ५ आने तक इसका भाव है। यह सही है कि ९७ पैसे सेर के हिसाब से शक्कर आप अपनी दूकानों पर दे रहे हैं, लेकिन कितने प्रतिशत आदमियों के लिये दे पाये हैं? तो मान्यवर, मैं बहुत अधिक न कहकर केवल दो बात आखीर में कहना चाहता हूं। एक तो यह कि माननीय मंत्री जी के लिए यह सही है कि आशापूर्ण बात उनको कहनी चाहिये, अगर वह आप्टिमिस्ट नहीं होंगे तो मामला और गड़बड़ हो जायेगा लेकिन इसके साथ साथ काम्प्लेसेंसी का ऐटीट्यूड भी गवर्नमेंट के अन्दर डेवलप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि यह जो स्थिति है इसमें हम इधर से उठकर तारीफ करें और उधर वह हमारी बातों को काटें उससे भी यह खाद्य स्थिति ठीक होने वाली नहीं है। इसके ऊपर तो दोनों तरफ के लोगों को बैठकर ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या तरीके अख्तियार किये जायं जिनसे कि इसके वितरण की व्यवस्था ठीक हो सके।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज खाद्य समस्या पर जो विचार हो रहा है उसमें मैं सरकार का ध्यान केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व मंत्री, श्री अजित प्रसाद जैन, द्वारा इस प्रदेश की सरकार तथा बंगाल की सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की ओर दिलाना चाहता हूं। उनका आरोप यह था कि इन्होंने कंट्रोल तो लगा दिया और कीमतें भी तय कर दीं खाद्य सामग्री की परन्तु उसके परिणाम क्या हो सकते थे इसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं। जो दाम तय किये या अधूरा कंट्रोल लागू किया उसके परिणामों के सोचने के साथ साथ यह भी सोचना आवश्यक था कि उनके पास वैसी इफेक्टिव मशीनरी भी है या नहीं जो उसका अच्छी तरह से संचालन कर सके। हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह अनुभव करते हैं कि पिछले मर्तबा जो खाद्य संकट अपने प्रदेश की जनता को देखना पड़ा और जिसके लिए बड़ी भारी तकलीफ पूरे प्रदेश की जनता को उठानी पड़ी उसमें जहां एक कारण यह था कि गल्ले का उत्पादन कम हुआ था वहां एक बड़ा कारण यह भी था कि सरकार की नीतियां बहुत गलत थीं और सबूत के तौर पर मैं एक बात पेश करना चाहता हूं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव पश्चिमी यू० पी० की मंडियों का ऐसा है कि वहां गवर्नमेंट ने, जो अनाज व्यापारियों के पास था उसे जब्त किया। सरकारी ताला डाल दिया और करीब २५, २६ दिन तक उस अनाज को बन्दी बनाकर रखा। पूछा भी नहीं गया कि उसका होगा क्या। या तो यह हो सकता था कि अगर वह लिया जाना आवश्यक था तो उसको जनता में वितरित किया जाता। उसको लेकर के हम लोग एक डेपुटेशन के साथ अजित प्रसाद जी से मिले तो उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा गलत कदम है। अगर गवर्नमेंट ने अन्न को इस प्रकार से लिया है तो उसका उचित तरीके से वितरण कर देना चाहिए। मैं नहीं समझता कि वह जो स्टेप था वह कितना गलत था, इस बात को कहां तक हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री जी अनुभव करते हैं।

एक दूसरी बात जो नवल किशोर जी जब कह रहे थे, माननीय मंत्री जी उनसे और स्पष्ट कराना चाहते थे, मैं उसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं। वह यह है कि माननीय अजित प्रसाद जी ने इस सरकार के कुछ गलत कार्यों की तरफ संकेत किया है और उसकी आलोचना की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। माननीय मंत्री जी उन सुझावों के लिए धन्यवाद तो जरूर देना चाहते हैं लेकिन उनको कहां तक उन्होंने स्वीकार किया और आइन्दा वह गलत कदम नहीं दोहराये जायेंगे, इसके बारे में उनकी तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। एक बहुत विश्वासपूर्ण ध्वनि में उन्होंने कुछ बातें कहीं कि आत्म विश्वास खाद्य मंत्री को रहना चाहिए जिसके लिये हम उनको बधाई देते हैं और यदि आत्मविश्वास रहेगा तो उचित दिशा में कदम उठते रहेंगे। परन्तु प्रश्न यह है कि बहुत जोरदार तरीके से पैरवी करने से कोई केस सचमुच मजबूत नहीं हो जाता है। यदि पैरवी करने के लिये वह आत्म-विश्वास है तो मैं उसकी आलोचना करता हूं और यदि वस्तु स्थिति को समझने के लिये आत्मविश्वास है तो मैं उसके लिये बधाई देता हूं। सवाल यह है कि जो कदम सरकार की तरफ से उठाये गये वह कदम कितने सही थे।

असल में जो राजकीय व्यापार का प्रश्न है वह केवल सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है बल्कि व्यवहार का प्रश्न है और यदि यह सवाल उठता है और लागू किया जाता है और सरकार उसके ऊपर बहुत गलत तरीके से अमल करती है तो यह केवल जनता को ही संकट में नहीं डालती है बल्कि उस सिद्धान्त की भी हत्या होती है। लोगों को और आम जनता को उस सही सिद्धान्त का विरोध करने का मौका मिलता है। सरकार यदि आज बदकिस्मती से अपने हाथ में सोना उठाती है तो वह सोना मिट्टी हो जाता है। इस प्रकार की गलत पालिसी के ही कारनामे आज दिखाई पड़ते हैं जिसका परिणाम यहां पर हम देखते हैं। अगर राजकीय नियंत्रण व्यापार के ऊपर और अनाज के संग्रह के ऊपर और उत्पादन के संबंध में सही पालिसी अख्तियार की जाय तो उससे वितरण का झंझट दूर हो सकता है। इस संबंध में माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने एक सुझाव दिया और उसका विरोध करने के लिये माननीय खाद्य मंत्री के पास कोई आधार नहीं था। वह यह था कि अगर सरकार अपने बजट में से एक अंश इस प्रदेश को सस्ता अनाज प्रदान करने के लिये तथा जो किसान अनाज पैदा करता है उसको सही मूल्य प्रदान करने के लिये देती है तो उससे कोई अनैतिकता हो जाय या सरकार के ऊपर कोई आर्थिक संकट हो जाय, ऐसी चीज मैं नहीं सोचता हूं।

खासतौर पर बहुत-सी योजनायें सरकार की तरफ से आती हैं जैसे कि अधिक अन्न उपजाओ योजना है। आप किसी भी देहात में चले जाइये, किसी छोटे-मोटे कस्बे में चले जाइये तो वहां पर हम यह देखते हैं कि वहां पर १०, १२ आदमी फिरते हैं। वह शहरी आदमी मालूम होते हैं। उनसे पूछते हैं तो वे बताते हैं कि खरीफ आन्दोलन में वह आये हैं वह खरीफ आन्दोलन में जाकर क्या करते हैं? वह अपनी श्रम शक्ति का अपव्यय करते हैं और राष्ट्रीय धन का अपव्यय करते हैं। उनकी तरफ से २, ४ सेर अनाज भी बढ़ा हो ऐसी मुझे आशा नहीं है। अगर इस प्रकार से सरकार की तरफ से १ या १।। करोड़ रुपया खर्च किया जाता है तो उसमें कुछ इजाफा और करके सरकार किसानों को इसके बारे में सहायता दे और उनसे उचित दाम पर अनाज खरीदे और कंज्यूमर को कम दाम पर अनाज देने लगे तो इसमें लोककल्याणकारी राज्य के लिये ठीक ही है।

अगर गरीब जनता के लिये कोई कदम उठाया जाता है तो वह उसके कल्याण के लिये होना चाहिए। यहां पर जो कदम सरकार गरीब जनता के हित के लिये उठाती है उससे गरीब जनता का नुकसान होता है। किसान कहते हैं कि १ रुपया १२ आना मन गन्ने का दाम होना चाहिये। उसके लिये यहां पर विधान सभा ने प्रस्ताव पास कर दिया है। मगर प्रदेशीय सरकार में इतनी नैतिकता नहीं है कि वह केन्द्रीय सरकार से बार-बार जाकर इस बात की सिफारिश करे कि इतना दाम तय होना चाहिये। एक तरफ तो यह बात है और दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि आज चीनी के दाम बराबर बढ़ते जाने से सही बात गलत ही नहीं हो जाती है बल्कि असलियत यह है कि यदि ५० या ५५ रुपये फी मन के भाव से कुछ समय के लिये भी चीनी बिकती है तो हमारी प्रदेशीय सरकार को बहुत गहरे तरीके से इसकी तरफ निरीक्षण करना चाहिए और सोचना

[आचार्य दीपंकर]

चाहिए कि उसके तमाम कंट्रोल और उसके तमाम कायदे और कानून गरीब जनता पर पूरे तौर पर लागू किये जाते हैं। मगर वह लोग जो जनता का शोषण करते हैं उनके लिये ये कंट्रोल और नियम नहीं रहते।

आज जो उत्पादन का हाल है वह हमारे प्रदेश की जनता और यह सदन अच्छी तरह से जानता है। जहां तक संग्रह का सवाल है मैं समझता हूं कि अन्न का संकट किसी तरह से भी वितरण के सवाल से, संग्रह के सवाल से, उत्पादन के सवाल से जुदा करके नहीं देखा जा सकता। अन्न का उत्पादन यह सही बात है कि पिछले साल की अपेक्षा अधिक हुआ है। लेकिन यह उत्पादन भी क्या सचमुच हमारे प्रयासों से हुआ है? प्रान्तीय सरकार के जो वालंटियर्स घूमते हैं तनख्वाहयाफ्ता, उनकी वजह से हुआ है, या प्राकृतिक तौर तरीकों से हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसमें संदेह ही है कि इसमें कारण सरकार के एफर्ट्स हैं। असल बात यह है कि उत्पादन उसी प्रकार बढ़ा है जिस प्रकार कि वह गिरा था और आज जब अन्न के संग्रह का सवाल है, गल्ला इकट्ठा करने के लिये सरकार के पास केवल एक ही ऐजेंसी है। जो लाइसेंसशुदा व्यापारी है, किसान जो गल्ला उसको बेचता है उसका आधा माल सरकार ले लेगी और जिसके पास लाइसेंस नहीं है उस व्यापारी को अगर किसान गल्ला बेचता है तो उसको उस अनाज का आधा या चौथाई भाग नहीं देना पड़ेगा। कोआपरेटिव सोसाइटियों को कोई अनाज सरकार को नहीं देना पड़ेगा। उनसे अनाज लेने की कोई एजेन्सी सरकार के पास नहीं है। जो लाइसेंसी है अगर उसके पास दो मन अनाज आता है तो उसमें से सरकार एक मन ले लेगी। तो अनाज का एक बहुत छोटा अंश सरकार के पास संग्रह के लिये जमा हो पाता है और जब सरकार के पास संग्रह के लिये अन्न नहीं है तो वितरण की व्यवस्था सही ढंग से कैसे चालू होगी इसको आसानी से सोचा जा सकता है।

मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी के कथन से बिलकुल सहमत हूं कि अगर वितरण के लिये सरकार के पास खाद्य सामग्री नहीं है तो वह वितरण व्यवस्था पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। एफेक्टिव कंट्रोल के लिये या तो सरकार कह दे कि हमारे हाथ में कोई शक्ति नहीं है, हमारे पास कोई योजना नहीं है, जिस तरह से चाहो खरीदो, जिस तरह से चाहो बेचो, जिस तरह से चाहो पैदा करो, हमें और दूसरे काम करने हैं और खाद्य के संबंध में हमको कोई विशेष चिन्ता नहीं करनी है। तो एक प्राकृतिक नियम होता है और उसके अनुसार लोग जिन्दा रहेंगे और जीवन के लिये संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन अगर इसमें सही तरीके से उत्पादन, संग्रह और वितरण का सवाल है तो मैं खासतौर से अपने खाद्य मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले समय में जब गेहूं के दाम ३७ रुपये मन थे उस समय मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि जिलों के देहातों और कस्बों से यह आवाज उठी थी कि वहां भी सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं और वहां सरकार की तरफ से एक भी दूकान नहीं खोली गयी और अगर खोली गयी है तो मैं खाद्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस बारे में फैक्ट्स को बयान करने की कृपा करें। यह बात खाली अगर मेरठ, मुजफ्फरनगर की होती तो कोई बात नहीं थी, देवरिया से लेकर सहारनपुर तक यह ४,२०० दूकानें किस-किस प्रकार खुली हैं और जिन पर कहा जाता है कि २५ मन अनाज बिक नहीं पाता, यह देखने की चीज है। चीनी की दूकानें भी बहुत से कस्बों में खुलीं और बजाय इसके कि वह और खोली जातीं बहुत जगहों पर उनका खुलना बन्द हो गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर अगर देखा जाय तो मैं समझता हूं कि मान लीजिये ४,२०० दूकानें हैं और यह २५ या ५० मन अनाज रोज बेचती हैं, तो यह प्रदेश की जनता की आवश्यकता को देखते हुए उसका कितना प्रतिशत बैठता है। इन सब चीजों को देखते हुए आखिरी बात यह है कि जिसके कारण माननीय अजित प्रसाद जी को त्याग-पत्र देना पड़ा। मैं यह आशा करता हूं कि माननीय हमारे खाद्य मंत्री जी को

त्याग पत्र न देना पड़े यह सोचना पड़ेगा कि अन्न के उत्पादन के लिये इस प्रदेश में हमारी सरकार क्या करती है। यदि अनाज का संग्रह करना वह आवश्यक समझते हैं तो उसके लिए वह कौन सी मैशीनरी सेट-अप करते हैं ? जो इस वक्त है कि लाइसेंस हासिल करने वालों के पास जो अनाज देगा उसका आधा हिस्सा सरकार ले लेगी तो उनके पास बेचने वाले क्यों आयेंगे ? पास में एक दूकान है जिसके पास लाइसेंस नहीं है वहां अगर वह गेहूं बेचते हैं तो उन्हें १७–१८ रुपये मन गेहूं के मिलते हैं और लाइसेंस वाले के यहां जहां पर सरकार के आदमी बैठे होते हैं वहां १४ रुपये मन मिलता है। वह क्यों वहां आयेगा ? तो अगर आज गवर्नमेंट संग्रह के मामले में, प्रोक्योरमेंट के मामले में, गल्ला वसूली के सिलसिले में पुरानी १९४६–४७ की तानाशाही नीति बरतना चाहती है तो वह कामयाब नहीं होगी। किसान किसी कीमत पर भी उस शर्त पर अनाज देने के लिये तैयार नहीं होगा। इसलिए कि आज जब किसान को खरीद कर गेहूं खाना पड़ता है तो वह ३२ रुपये मन खरीदता है और उससे कहा जाय कि १४ रुपये के भाव से सरकार को दीजिये, इसलिए कि सरकार दूकान खोलेगी जिससे कम कीमत पर अनाज लोगों को मिल सके, तो कैसे वह तैयार हो सकता है ? यह न तो कोई नैतिकता है, न राजनीति है, न अर्थ-शास्त्र है, केवल व्हिम्स हैं, दिमागी खयाल है और उन पर कभी अमल नहीं हो सकता। इसलिए अगर कंट्रोल व्यवस्था चालू करनी है तो उसके लिए सरकार को मैशीनरी सेट-अप करनी चाहिए। उसके बारे में माननीय खाद्य मंत्री ने अब तक कोई विचार सरकार की तरफ से पेश नहीं किया है।

इसी तरीके से जिन चीजों पर कंट्रोल है उनके बारे में एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूं कि पूरा विरोधी पक्ष इस प्रकार की एक चार्जशीट सरकार पर लगाते हैं कि उनके तमाम कंट्रोल अगर मिल मालिकों पर उनको लागू करना होता है तो वह इनइफेक्टिव हो जाते हैं। अगर आज गवर्नमेंट छोटे-छोटे आढ़तियों को मजबूर करती है कि वह अनाज दें और किसानों को मजबूर किया जाता है कि १४ रुपये मन के हिसाब से अनाज बेंचे तो यह नीति कभी सफल नहीं हो सकती। मिलों से निकल कर चीनी ४०–४५ रुपये मन के भाव से बिकती है। इसलिए अगर सरकार सही तरीके से संतुलित दृष्टिकोण से कदम रखती है तो उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती है, वितरण में भी अधिक सामयिक न्याय स्थापित हो सकता है और संग्रह के लिए भी एक अच्छी मैशीनरी सेट-अप हो सकती है और सरकार को सस्ता अनाज मिल सकता है। लेकिन यह सोच करके कि सब ठीक हो जायगा हमारी सरकार निश्चिन्त रहती है और हमारे खाद्य मंत्री गाहे बगाहे आते हैं और आत्मविश्वास प्रकट कर जाते हैं। आत्मविश्वास तो अच्छी चीज है, लेकिन सवाल यह है कि अपनी सरकार को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करके एक ऐसी मैशीनरी के सेट-अप करने में वह सफल हो सके हैं या नहीं जो जनता को न्याय दे सके और जो जनता का क्रूर शोषण करते हैं उनके ऊपर कोई अंकुश स्थापित हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं खाद्य मंत्री जी का ध्यान इन चीजों की ओर आपके जरिये से आकर्षित चाहता हूं।

कृषि उपमंत्री (श्री कालीचरण अग्रवाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़े गौर के साथ अपने भाइयों के भाषणों को सुना। मैं सोचता था कि कोई नवीन बात हमारे सामने आयेगी, नवीन दृष्टिकोण देखने को मिलेगा खाद्य स्थिति पर जिस पर आज हम बहस कर रहे हैं लेकिन निष्कर्ष उल्टा निकला। मैंने सारे भाषणों को सुना और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे कोई नयी बात इसमें नहीं मालूम होती। इससे पहले प्रश्नों के संबंध में, राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में प्रस्तावों द्वारा, जब अविश्वास का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विमुख आया तो उसमें ये सब बातें कही गयीं और रोज कही जाती हैं माननीय सदन के सामने। इसलिए अगर आज कोई नयी बात हमारे सामने होती तो मैं विचार करता और उसके ऊपर कोई जवाब देता।

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

मैं माननीय सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न जो हमारे सामने खाद्यान्न का प्रश्न है, उसके दो रूप हैं। जैसा कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी और पालीवाल जी ने कहा, एक तो उत्पादन का प्रश्न है और दूसरा वितरण का। जहां तक उत्पादन का प्रश्न है, मैं एक कृषि उपमंत्री के नाते चन्द बातें माननीय सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमको इसकी पृष्ठभूमि भी थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा हुआ था उस वक्त हमारी क्या हालत थी? हमको जो जनसंख्या मिली खाना खिलाने के लिये जिसको हम ८० फीसदी जनसंख्या कह सकते हैं। हमको जो खेत मिले उनमें कितने मन अनाज पैदा हो सका, यह बात जब हमारे सामने आई तो हमने देखा कि ऐसा क्षेत्र मिला जिसमें ६८ फीसदी केवल चावल पैदा होता था और ६५ फीसदी गेहूं पैदा होता था। तो ८० आदमियों को हमें खिलाना था जबकि सिर्फ ६५ या ६८ आदमियों के लिये खाना मिला। उसके पहले सन् १९३९ में बर्मा का विभाजन हुआ जहां से हमको प्रतिवर्ष २७ लाख टन चावल मिला करता था वह भी हमारे देश से निकल गया। तो यह पृष्ठभूमि मैंने इसलिए आपके सामने रखी कि सन् १९४७ में जब हमने राष्ट्र का संचालन अपने हाथ में लिया तो यह भयावह स्थिति हमारे सामने थी लेकिन इसका किस प्रकार से हमने मुकाबला किया इसको सदन जानता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारे सामने आयी, उसके काल में हमने देखा कि जब प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई उस समय हम देश में ६४.९ मिलियन टन की पैदावार करते थे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले सालों से तीन लाख टन अधिक थी। हमने यह देखा कि फी व्यक्ति को १६.७ आउन्स खाना मिला करता था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने संकल्प किया कि यह खाना १६.७ आउन्स से बढ़कर १९ आउन्स तक प्रति व्यक्ति मिल सके। उसका जब हिसाब लगाया गया तो १५.४ लाख टन नया अनाज और पैदा करना था। लेकिन हमने प्रदेश की आबादी को बढ़ते देखकर और इस बात का खयाल करके कि हम अपना सिर ऊंचा रख सकें, हमने टार्गेट अलग बनाया और हमने सोचा कि हमारे प्रदेश में २४ लाख टन पैदावार बढ़नी चाहिए। और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना आ रही है उसमें भी हमारा टार्गेट है कि हमारे यहां फूडग्रेन्स की पैदावार ११० मिलियन टन बढ़ जाय। तो जिस प्रगति से हम काम कर रहे हैं उसी तरह से काम करते रहें तो हमारे सामने यह लक्ष्य जरूर है कि हमको अपने प्रयासों को तिगुना करना है और अगर नहीं किया तो हम अपने टार्गेट से २८ लाख टन पीछे रह जायंगे।

माननीय पालीवाल जी ने हमारे सामने फोर्ड फाउन्डेशन की रिपोर्ट का जिक्र किया कि हमने उनकी किन-किन बातों को कार्यान्वित किया अपने प्रदेश में। फोर्ड फाउन्डेशन रिपोर्ट हमारे सामने है, वह हमारे पास अप्रैल, १९५९ में आयी और उस पर हम विचार कर रहे हैं। अभी इतना समय नहीं हुआ कि हम उस रिपोर्ट की सारी बातों को कार्यान्वित कर सकते। मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी पालीवाल जी कैसे सोच सकते हैं कि एक रिपोर्ट जो हमारे सामने अप्रैल या मई के महीने में आयी और जिसमें बड़ी भारी पालिसी का सम्बन्ध हो वह उसी महीने के अन्दर कार्यान्वित हो जाय। मैं समझता हूं कि ऐसी बात न तो पालीवाल जी सोच सकते हैं और न उनके साथी ही और न हम ही इस तरह की बात स्वयं सोच सकते हैं। फोर्ड फाउन्डेशन ने स्वयं हमारे प्रयासों को देखा है और उन्होंने यह लिखा है:—

"India is making steady progress in agricultural production. Since Independence, it has come far in its efforts to improve the conditions of its millions of rural people and farmers. Many important gains have been made."

तो उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि हमारे देश ने पूर्णरूप से तरक्की की है जितनी कि दूसरे देशों ने नहीं की। जो दूसरे देश से लोग आये उन्होंने यह बातें हमारे संबंध में कही हैं। तो हमें अपने कर्त्तव्य पर गर्व है और चाहे जितनी टीका-टिप्पणी की जाय,

हम अपने मार्ग से विचलित नहीं होने वाले हैं और शनैः शनैः उसी तरह से अपना कार्य करते जायेंगे और उस उत्तरदायित्व को पूरा करेंगे जो कि एक ट्रस्ट रूप में हमें दिया गया है। उसको हम अवश्य पूरा करेंगे।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आंकड़े लिये जायं यद्यपि मेरे मित्र कह सकते हैं कि यह आंकड़े गलत हैं—तो हम देखेंगे कि ५७–५८ के मुकाबले में ५८–५९ में एकरेज में ३.९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है और हमारा उत्पादन जो बढ़ा है वह १४.१ परसेन्ट खरीफ में और १५ परसेन्ट रबी में बढ़ा है। इस तरह से १४.६ परसेन्ट साल में बढ़ा है। तो जहां तक उत्पादन का प्रश्न है उसमें हमने इस प्रकार से उन्नति की है जहां तक स्टेट ट्रेडिंग का सवाल है, यह हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे यहां स्टेट ट्रेडिंग पोलीटिकल ट्रेडिंग के रूप में शुरू हो गयी है। हम टीका-टिप्पणी करते हैं कि हमारे यहां उन्नति नहीं हुई। हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि ३० करोड़ से ३९ करोड़ आबादी हो गयी जिसे हमें खिलाना पड़ता है। कोई आदमी आज भूखा मरता तो नजर नहीं आता तो कैसे ६० फीसदी खाने से हम १०० आदमियों का मुंह भर रहे हैं? इस बात का जबाब त्रिलोकी सिंह जी और माननीय पालीवाल जी दें। अगर वह गुमराह करना चाहते हैं हमारे किसानों को और हमारे प्रदेश के आदमियों को, तो बात दूसरी है। बार-बार यह कहना कि हमारे यहां गल्ला पैदा नहीं होता है, भ्रष्टाचार, बढ़ता जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह देश के प्रति पाप है, देशद्रोह है। हम योजनायें बनाकर देश को आगे ले जा रहे हैं और आप जनता का और हमारा मारल खराब करना चाहते हैं। मैं आपके द्वारा प्रश्न करता हूं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कि आखिर उनका भी तो कुछ फर्ज है। संसार में जहां कहीं भी जनतंत्र है, वहां सारा काम सरकारें ही नहीं करती हैं। विरोधी दल भी सहयोग देता है। चाहे पालिसी पर मतभेद हो, परन्तु निर्माण के कार्यों में सभी का सहयोग रहता है। विरोधी पक्ष यहां अपने कर्त्तव्य में क्यों कसर रखता है? आइये, आप हमारे साथ गांवों में चलिये, खेतों में चलिये, जंगलों में चलिये। जो हमारी बड़ी-बड़ी योजनायें चल रही हैं उनमें आप सहयोग दीजिये। जहां हमें अभी इतनी ज्यादा पैदावार और बढ़ानी है, उसमें विरोधी पक्ष क्या कर रहा है? केवल भाषणों से और देश का मारल बिगाड़ने से अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ जायगा। उसके लिये सक्रिय कदम उठाने होंगे।

दूसरा प्रश्न पैदा होता है वितरण का कि वितरण में कहीं खराबी तो नहीं है। अगर हमारी पैदावार अच्छी है तो फिर क्या कारण है कि स्थिति भयावह है? मैं स्थिति को भयावह नहीं मानता हूं। हमारे यहां एक सांप के रूप का जानवर होता है जिसे दुमुंई कहते हैं। उसके दो मुंह होते हैं। वही हालत आज हमारे विरोधी दल के भाइयों की है। शहरवालों से कहते हैं कि आज गेहूं १९ रुपये और २० रुपये मन बिक रहा है और बड़ी भारी परेशानी हो रही है। स्टेट ट्रेडिंग के लिये व्यापारियों से कहते हैं कि सरकार तुम्हारा सत्यानाश कर रही है, तुम्हारा व्यापार ठप्प कर रही है, उसे छीनकर अपने हाथ में ले रही है। वही हमारे साथी जब देहात में जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा गेहूं सरकार १४ रुपये मन और १५ रुपये मन पर छीन रही है और इतना पैसा तो तुम पैदा करने में खेत में ही लगा देते हो। तो फिर बतलाइये कि यह क्या बात है? संसार के और अपने देश के और प्रदेश के इतिहास को ले लें, ३, ४ रुपये का अन्तर नीचे के और ऊंचे भावों में हमेशा रहा है। अगर यह नहीं होगा तो कोई व्यापार नहीं हो सकता है। त्रिलोकी सिंह जी ने आंकड़े पेश किये और कहा कि १६ जून को हापुड़ में जो भाव था वह बढ़कर ३, ४ रुपया ज्यादा हो गया। उनके पास आंकड़े शायद १ महीने पहले के हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब १८ से २० रुपये तक है। आज का भाव १६ रुपये से १८ रुपये मन का है। मेरे जिले में जहां मैं अक्सर टूर करता हूं, कासगंज, एटा और मथुरा में १६ रुपये मन का भाव गेहूं का चल रहा था और आज ही कासगंज से मेरे पास पत्र आया है कि वहां भाव १५ रुपये मन का है। अप्रैल में मटर का भाव २ सेर ११ छटांक और २ सेर १२ छटांक का था। मैं भी व्यापारी रहा हूं। उस समय यह भाव हमारे प्रदेश में प्रचलित था। अगर आज

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

थोड़ा बढ़ जाता है तो यह स्वाभाविक है। त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि १.२२ परसेन्ट हमने गल्ला प्रोक्योर किया है और यह नहीं कहा कि हमने बीच के आदमियों से काश्तकारों को बचाया है।

जहां तक फेयर प्राइस शाप्स का ताल्लुक है, वे तो हमने इसलिये खोली हैं कि भाव ऊंचे न बढ़ सकें। ये इसलिये नहीं है कि यहां पर राशनिंग है। सवाल पैदा होता है कि गेहूं बाजार में क्यों नहीं आया। उसका कारण यह है कि मटर के भाव हमारे यहां २ सेर ११ छटांक का था, अरहर का १८ और १९ रुपये मन का, सरसों का २९ रुपये मन का था। साधारण सी बात है कि किसान ने पहले उन चीजों को बेचा और गेहूं को बाद में बाजार में धीरे-धीरे लाया। तो एक तरफ तो विरोधी दल के लोग किसानों के हित की बात करते हैं कि वे किसानों के बड़े हितैषी हैं और दूसरी ओर वे बातें करते हैं जो किसानों के हित के खिलाफ जाती हैं।

मैंने ये सब बातें आपके सामने इसलिये रखीं कि हमें एक दृढ़ नीति पर, हमको और आपको दोनों को, चलना होगा और सहयोग के साथ काम करना होगा। मैं निमंत्रित करूंगा अपने विरोधी दलों के नेताओं को, जो स्वतंत्रता संग्राम में भी हमारे साथ रहे हैं, और भगवान के नाम पर, मानवता के नाम पर और देश के नाम पर उनसे कहूंगा कि वे हमारे साथ आवें। राजनारायण जी का आदर्श तो मैं नहीं कर सकता हूं। उनका रवैया हो गया है कि रोज दूसरे को गाली दें। परन्तु उससे काम नहीं चलेगा। हमको चैलेंज दिया जाता है बार बार कि संपूर्णानन्द मंत्रिमंडल स्तीफा दे। मैं चैलेंज करता हूं विरोधी दल के सभी सदस्यों को कि वह इस्तीफा देकर फूड के मसले पर चुनाव लड़ें। ५७ के चुनाव में बड़े-बड़े वीर धराशयी हो गये। (शोर हुआ)।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं लोक सभा के उन मेम्बरों को धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूं जिनके जबरदस्त हमले से अकाल मंत्री धराशायी हो गये और आज देश को उनसे छुट्टी मिल गयी। हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या भूख की है। भूख और खाद्य-समस्या धीरे-धीरे राष्ट्रीय संकट और असाध्य रोग का भयंकर रूप धारण करती जा रही है। इसके हल करने में पिछले १२ वर्षों के प्रयासों के बावजूद भी यह सरकार असफल रही। मुझे दुःख है कि यद्यपि असफलता को स्वीकार तो किया जाता है परन्तु समय रहते नहीं, कुछ दिन बीत जाने के बाद। आज जैसी महंगाई पिछले युद्ध के समय भी नहीं थी। २० रुपये मन चावल उस समय भी मिलता था जबकि बंगाल का भयंकर अकाल हुआ। १४ रुपया मन गेहूं उस समय भी मिल रहा था यानी उस मामले में आज स्थिति उससे अधिक बिगड़ी हुई है। कहा यह जाता है, विशेषज्ञों की राय है कि ९ फीसदी से ज्यादा की कमी हमारे देश में नहीं है। तब यह सवाल उठता है कि फिर यह इतनी महंगाई क्यों है? चाहे जैन साहब की स्पीच को पढ़ लीजिये या नेगी साहब की स्पीच को सुन लीजिये एक तर्क यह है कि इस साल हालत पारसाल से बेहतर है। बड़ा संतोष इससे इनको है। अब क्या कहूं दुस्साहस करना पड़ता है कहते हुये कि कभी-कभी किसी बच्चा को खिलौना दे दिया जाता है तो वह अपने को असली हालत से अलग करके उसी को देखने लगता है। मैं क्या कहूं इस आत्म प्रवंचना के लिये? आपको पूरा संतोष है अपनी स्थिति के ऊपर। यही संतोष पारसाल भी था और कमीवेश इसी प्रकार की स्पीच पारसाल भी हुई थी उधर से लेकिन उसके बारे में अजीतप्रसाद जी ने अब जो पंडित जी को खत में लिखा है उसके २ शब्द कितने मार्के के हैं :—

"The failure of the crop in 1957-58 was colossal and unprecedented in the history of the last 50 years."

यह "लास्ट ५० ईयर्स" जो हैं उस में बंगाल का अकाल भी शामिल है । आपको याद होगा कि स्पीचेज में वह कभी नहीं मानते थे कि भूखमरी की हालत है । आज अपने इस्तीफे में जैन साहब ने इस बात का जिक्र किया कि भारतवर्ष में पिछले ५० सालों में ऐसी हालत कभी नहीं पैदा हुई । इस सरकार की खाद्य नीति जन-विरोधी और अन्नचोरों की हिमायती है और यही वजह है कि पूरी स्पीच में बड़े जोरदार शब्दों में खाद्य मंत्री ने स्पीच दी है, उनके बारे में एक शब्द भी कहने की आपकी हिम्मत नहीं हुई । चोरों के लिये पैदा करने वालों और खानेवालों के बीच—जो गल्ला दबा कर रखे हुए हैं और चोरी कर रहे हैं, एक शब्द भी इन्होंने नहीं कहा है । उनके लिये यह कोई समस्या नहीं है तो कहें क्या ? वह सम्पत्तिदाता हैं, धनदाता हैं जिनके बल पर भारी भरकम मशीन कांग्रेस पार्टी की चलाई जाती है और जिनके बल पर चुनाव लड़े जाते हैं, फिर किस मुंह से गल्ला चोर व्यापारियों के विरुद्ध कहें ।

अनाज की स्थिति अच्छी खाद्य मंत्री ने कही थी । खरीफ की फसल बड़ी अच्छी हुई है यह इन्होंने बताया था लेकिन उसमें मुख्यतया धान की फसल, लेट पैडी विशेष रूप से अच्छी हुई थी, इसको सभी ने माना । लेकिन इसके बाद भी दाम में या तो कमी नहीं हुई या उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ । उसके बाद भी आज जो स्थिति है उस पर मंत्रीजी को संतोष है । इस तरह की हालत में मैं नहीं समझता कि हमारे सेकन्ड फाइव ईयर प्लान में जो टार्गेट है ८० मिलियन टन उन अन्न उत्पादन का वह कैसे पूरा होगा । इस रफ्तार से तीसरी योजना का जो टारगेट है ११० मिलियन टन का वह कैसे पूरा होगा । मैं समझता हूं कि हमारे खाद्य मंत्री जी एक ऐसे स्वर्ग में रहते हैं जहां उन्हें नहीं रहना चाहिये । प्रश्न यह नहीं था कि एक रुपया दाम घट गया अथवा २ रुपये घट गया । इससे हमको मंत्री जी संतोष दिलाते हैं और संतोष दिलाना चाहिये ६ करोड़ जनता को । मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है उनके लिये एक जिम्मेदार पद पर रहते हुए । सवाल यह है, हो सकता है कि खाद्य मंत्री जी को संतोष हो कि इस साल पारसाल से महंगाई कुछ कम है, पारसाल महंगाई कितनी थी, क्या वह नार्मल थी ? क्या वह महंगी नार्मल से बहुत ऊंची नहीं थी ? फिर उससे मुकाबला करके पैदावार के बारे में संतोष होना या महंगाई की रफ्तार के बारे में संतोष करना मैं इसको आत्म-प्रवंचना न कहूं तो क्या कहूं ?

उपाध्यक्ष महोदय, अन्नचोरों के बारे में कोई बात न कहना, यह इस बात का द्योतक है कि इस भयानक संकट के बारे में यह सरकार जागरूक नहीं है । जिस देश में विदेशी सरकार के जमाने में १५ लाख टन की कमी होती थी और आज कांग्रेसी राज्य में ६० लाख टन तक की कमी होती है उसके बारे में यदि इस तरह से कहा जाय तो वह आत्म प्रवंचना ही है । सब लोग इस बात को मानते हैं कि प्रतिवर्ष २५ लाख टन से कम अन्न बाहर से नहीं आता है, १२ वर्षों की हुकूमत में १२ अरब रुपयों से कम का गल्ला बाहर से नहीं आया । पारसाल भी ७७ करोड़ से कम का गल्ला नहीं आया और १३० करोड़ का गल्ला पहले १९५७ में आ चुका था । ऐसी भयंकर स्थिति के विषय में १-२ रुपया घटाबढ़ी पर संतोष प्रकट करना वस्तुस्थिति से आंखें मूंदना है अथवा स्थिति की महत्ता को पूरी तरह समझा नहीं जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, चीनी के दाम बढ़ गये और जिस रफ्तार से दाम बढ़े हैं उसके लिये मंत्रीजी को संतोष है कि साढ़े पन्द्रह आना सेर चीनी दिलाने के लिये इन्होंने दूकानें खोल दी हैं । लेकिन उसका प्रभाव प्रदेश की कितनी जनता पर पड़ रहा है । इसके अलावा आज भी सरकार यह मानने के लिये तैयार नहीं है कि जो गन्ने को पैदा करने वाला है उसके दाम भी बढ़ाये जायं बावजूद इसके कि बिहार और उत्तर प्रदेश की विधान सभाओं ने एकमत से यह प्रस्ताव पास किये कि गन्ने का दाम बढ़ाया जाय । इस प्रकार से १० करोड़ के करीब जनता की भावनाओं को ठुकराया गया है । मैं समझता हूं कि यह जनता को

[श्री झारखंडेराय]

एक चुनौती है, सदन के दोनों ओर के लोगों को यह चुनौती है, खास कर इस पक्ष के लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन इस चुनौती को अकेले अकेले स्वीकार नहीं किया जा सकता। सब मिला कर ही जन विरोधी, भयंकर नीति का सामना कर सकते हैं। दो साल से इस सदन की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के आंकड़ों के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि वास्तव में वे आंकड़े सही हैं। हमें इस सदन में आंकड़ों को सुनने की आदत सालों से हो गयी है लेकिन फिर भी सरकार जहां उनका सहारा लेती है हम भी उनका ही सहारा लेते हैं लेकिन जब उन आंकड़ों का मुकाबला वस्तुस्थिति से किया जाता है तब मेल नहीं बैठता है, जो असली तस्वीर है और जो तस्वीर यह आंकड़े बतलाते हैं, वह मेल नहीं खाती।

इस साल की पैदावार के बारे में संतोष प्रकट किया गया और २४ प्रतिशत बढ़ोत्तरी के आंकड़े भी बता दिये गये। लेकिन उसी पैदावार के बल पर, जो वर्षों बाद हुई, सरकार के यमदूत पिंडारी वसूली करने पहुंच गये और उनकी जो कुछ पैदावार थी सब ले ली। कम से कम पूर्व में जहां का अनुभव मुझे स्वयं है वही हालत बन गयी है जो पारसाल थी। बरसात के मौसम में यूं ही हालत खराब हो जाती है और ऐसी हालत में यमदूत पिंडारी वसूली करने पहुंच गये एक साथ पिछले सालों की सब क्योंकि आर्डर्स थे कि फसल अच्छी हुई है, वसूल करो, कहीं जनता के चेहरे पर रंग न चढ़ जाय। इसलिये जो कुछ पैदावार हुई थी वह सब समाप्त हो गयी। इस गंभीर स्थिति की ओर माननीय मंत्री जी का जो रुख है वह ठीक नहीं है। अंदेशा आगे के लिये और खतरनाक है। इस साल पानी की कमी सब जगह हुई है, पानी कम बरसा है। अभी भी कम है और जो बरसा है वह भी ठीक समय पर नहीं बरसा। नतीजा यह होगा कि खरीफ की फसल खराब हो रही है चाहे वह अर्ली पैडी हो या लेट पैडी। इसलिये मंत्री जी ने जो संतोष व्यक्त किया है वह उचित नहीं है। स्टेट ट्रेडिंग का जितना उपहास किया गया और उसकी भावना के साथ जितना बलात्कार किया गया उतना मुझे इस सरकार से विश्वास नहीं था। जब-जब इसकी चर्चा हुई थी तो आपको याद होगा, कई मर्तबा इसकी चर्चा हुई कि कुछ राज्य व्यापार किया जाय, कुछ कंट्रोल किया जाय, तो सरकार ने कहा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह किस तरह से मुमकिन है कि हम अन्न-व्यापार के लिये बिलकुल पैरेलल एक भारी भरकम मशीनरी बनावें। लेकिन जब नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल ने पास कर दिया तो वह सम्भव हो गया। डेढ़ लाख टन चावल और डेढ़ लाख टन गेहूं स्टाक करने की बात थी लेकिन वह भी टार्गेट पूरा नहीं हो सका। एक लाख टन चावल और २५ हजार टन ही गेहूं का स्टाक हो सका। फिर भी इस सरकार को और माननीय खाद्य मंत्री जी को संतोष है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको साफ करें। यों तो केन्द्रीय सरकार से इसका सम्बन्ध है कि किस ने स्टेट ट्रेडिंग को सैबोटेज कर दिया और गल्ला चोर, अन्न चोर, जिनके पैसे से यह पार्टी चलती है, उनके सामने सरकार ने घुटने टेक दिये और घुटने टेककर उस स्कीम को खत्म कर दिया। बफर स्टाक की बात भी आयी। जब स्टेट ट्रेडिंग की बात कही गयी थी तो हम सब को विश्वास था, पूरे हाउस को विश्वास था कि गल्ला व्यापार अगर पूरा नहीं लिया जायगा तो कम से कम जो बड़ा-बड़ा गल्ला व्यापार है, थोक व्यापार है उसको बिलकुल ले लिया जायगा। वह बात भी नहीं हुई। और बफर स्टाक में भी १ लाख टन चावल और २५ हजार टन ही गेहूं आया जिससे वह टार्गेट भी पूरा नहीं हो सका।

मैं समझता हूं कि यह सरकार महंगाई को रोकने में बिलकुल असमर्थ रही है और यह महंगाई डफिनिट फाइनेंसिंग की वजह से हुई है। स्टेट ट्रेडिंग को मजबूती के साथ लागू न करने की वजह से महंगाई हुई है। गल्ला संग्रह योजना में भी सरकार बिलकुल

असफल हुई है केन्द्र में भी और राज्यों में भी और स्टाक जमा करने का जो टार्गेट था वह भी बहुत कम जमा हुआ है । इसी वजह से सरकार महंगाई को कारगर तरीके से रोकने में असफल हुई है । खाद्यान्न के दाम रेगुलेट नहीं किये जा सके हैं और क्षेत्रीय योजना जो है, ऐसे तो यह प्रश्न सारे देश से सम्बन्धित है लेकिन यह योजना भी त्रुटिपूर्ण है जिसे बदलना होगा और इस तरह से सख्ती के साथ हमें उस ओर कदम बढ़ाना होगा जिससे हम महंगाई को रोक सकें और खाद्यान्न को बढ़ा सकें । श्रीमन्, आपको याद होगा कि यहां पर माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब ने एक बार अपने बजट भाषण में कहा था कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि खाद्यान्न के मामले में हमारा देश और प्रदेश आत्मनिर्भर हो गया है । श्रीमन्, उस समय आप यहां बैठते थे । लेकिन उसके बाद सब चीज खत्म हो गयी और जिस तरह से फर्स्ट फाईव इयर्स प्लान में कृषि की पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया जाता था उसी तरह से दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी है और तीसरी योजना में भी उसी पर जोर दिया जायगा । इससे यह बात साबित है कि हमारे यहां गल्ले की पैदावार बढ़ी नहीं है । माननीय मंत्री जी के भाषण से मालूम हुआ कि यहां की अन्न की समस्या हल हो गयी लेकिन असल बात यह है कि सरकार की खाद्य नीति बिलकुल असफल रही है और वह इसलिये कि उसकी जो खाद्य नीति है वह त्रुटिपूर्ण है । जो हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन का नारा था वह यह था कि "लैंड इज आफ दि टिलर" यानी जमीन उसको दी जाय जो मजबूती के साथ उसकी छाती फाड़ कर अनाज पैदा करे और इसीलिये हिन्दुस्तान के करोड़ों किसान राष्ट्रीय झंडे के नीचे आये थे । लेकिन वह नारा और वह सपना आज तक अधूरा है । जो बिल आ रहा है उस पर बहस होगी लेकिन वह तो बिलकुल धोखा है, आत्म प्रवंचना ही नहीं बल्कि जनता को धोखा देने के लिये एक टट्टी है ।

(श्री उपाध्यक्ष--श्री अब्दुल लतीफ नोमानी का नाम पुकारा गया)

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)--मेरा निवेदन है श्रीमन्, कि हम लोग जो इधर के बैठने वाले हैं. . . .

श्री उपाध्यक्ष--आप अभी बैठें, आप को फिर समय दिया जायगा ।

श्री टीकाराम पुजारी--मेरी बात सुन ली जाय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . . . .

श्री उपाध्यक्ष--व्यवस्था का क्या प्रश्न है वह बतलाइये ?

श्री टीकाराम पुजारी--मेरा प्रश्न यह है कि यह बुड्ढों की सरकार है नीचे से ऊपर तक । इसलिये बुड्ढों को समय मिलना चाहिये । लेकिन श्रीमन्, बुड्ढे दो प्रकार के होते हैं । एक होते हैं बालक बुड्ढे, जिनकी प्रकृति बच्चों की सी होती है, एक खिलौने से रीझ जाते हैं उनसे कह दिया जाता है कि फिर दूसरा खिलौना देंगे और एक बुड्ढे दूसरे प्रकार के होते हैं जो वाकई में बुड्ढे होते हैं, मैं उन बुड्ढों में से नहीं हूं जैसे चौधरी चरण सिंह हैं कि एक खिलौने से खीज गये अब फिर दूसरे खिलौने पर आ जायंगे । मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो बुड्ढे बच्चा प्रकृति के नहीं हैं उन्हें समय मिलना चाहिये . . . .

श्री उपाध्यक्ष--यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप अपना स्थान ग्रहण करें, माननीय नोमानी जी आप भाषण जारी करें । नोमानी साहब के बुड्ढे होने में आप को कोई सन्देह है क्या ? (हंसी) ।

***श्री अब्दुल लतीफ नोमानी** (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो गिजा के मसले पर बहस चल रही है उस पर मैं दोनों तरफ के बयानात और भाषणों को बातें गौर से सुनता रहा । सरकार की जो गिजाई पालिसी है उस की कामयाबी पर मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अब्दुल लतीफ नोमानी]

माननीय मंत्री जी को मुबारक बाद देता हूं । इसी हाउस में जब पिछले साल इन दिनों में ही हम बैठते थे तो रोजाना प्रश्नों के द्वारा और तहरीके इल्तवा के जरिये या किसी न किसी ढंग से सूबे के मुखतलिफ गोशों से ऐसी खबरें आती थीं कि फलां आदमी, फलां औरत या फलां बच्चा भूख से मर गया लेकिन आज जब से इस खाद्य स्थिति पर बहस शुरू हुई है ऐसी कोई बात किसी विरोधी दल के सदस्य ने नहीं बतायी कि एक आदमी भी कहीं इस तरह से मरा हो । यह चीज खुद इस अमर की एक रोशन दलील है कि आज गवर्नमेंट की खाद्य नीति कामयाबी के साथ चल रही है और हम दिन ब दिन कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं । यह बिलकुल दुरुस्त है कि सरकार ने गेहूं के भाव मुकर्रर किये और जो चावल के भाव मुकर्रर किये और जिस कीमत पर सरकार ने चावल व गेहूं लेना तय किया आज इन चीजों के बाजार में वह भाव नहीं हैं । गेहूं के भाव उस से ज्यादा हैं और इसी तरह से चावल के भाव भी उससे ज्यादा हैं । आज खुले बाजार में मुकर्रर भाव से ज्यादा दाम पर यह दोनों चीजें बिक रही हैं । लेकिन इसकी वजह सरकार की गिजाई पालिसी की नाकामी नहीं है बल्कि उसकी वजह यह है कि सरकार ने गेहूं और चावल की एक मकसूस मिकदार ही ली और एक खासी बड़ी मिकदार किसानों के यहां, व्यापारियों के यहां और थोक फरोश या खुर्दा-फरोशों के यहां रह गई । न उन्होंने उस गल्ले को सरकारी भाव पर खरीदा और न आज वह उसको सरकारी भाव पर बेच रहे हैं । अगर वह भाव जो गेहूं और चावल का मुकर्रर किया गया, उस के बारे में जो कहा जा रहा है कि वह किसानों के मफाद के खिलाफ था और किसानों की मेहनत और खर्च के लिहाज से जो भाव होना चाहिये था उस से कम रखा गया, गेहूं का भाव १५-१६ रुपया मन होना चाहिये था, सरकार ने १३ रुपया मन रखा । उस वक्त विरोधी दल के लोग हाउस में मंत्री महोदय के सामने यह बात उठाते तो जाहिर है कि इधर के लोग उस तरफ के लोगों से किसानों के कुछ कम खैरख्वाह नहीं हैं, उनके कम हमदर्द नहीं हैं--इस पर विचार किया जा सकता था । लेकिन जो भाव तय हुए और उस पर गल्ला खरीदा गया, आज उसके बारे में यह कहना कि वह भाव कम था इससे गल्ले की जो दिक्कतें हैं या उसकी जो नीति है उस पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता । यह तो गुजरी हुई बात है । सवाल यह है कि आप क्या समझते हैं इस नीति के सिलसिले में ? अगर बात वही है जो विरोधी दल के नेता ने फरमाई कि सरकार की गिजाई पालिसी यह होनी चाहिए कि सूबे के हर आदमी को उसकी जरूरत भर गिजा मिल सके जो उसकी सेहत के लिये लाभदायक हो तो सोचना यह पड़ेगा कि इसी बात के मुताबिक सचमुच क्या हमारे प्रदेश के लोगों को चाहे देहात में हों या शहर में हों, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों या व्यापारी हों, उनको जरूरत भर गल्ला मिल रहा है या नहीं ? गेहूं मिलता है कि नहीं, आटा मिलता है कि नहीं, चावल मिलता है कि नहीं, जो लोग मोटा अनाज खाते हैं उनको वह मिलता है या नहीं ? अगर मिलता है तो फिर भाव पर बहस करना गिजाई पालिसी के बारे में मैं समझता हूं कि बेकार है । हां, अगर न मिलता तो आपको कहना चाहिए था कि आपकी गिजाई पालिसी की वजह से ऐसी हालत पैदा हो गई है कि आज फलां गांव में इतने आदमी भूखे मर रहे हैं या इतने आदमी भूख की वजह से परेशान हैं ।

भाव के बारे में तो यह बात सबको मालूम है कि चीजों के भाव दूसरी चीजों को सामने रख कर--चाहे सरकार तय करे या खुले बाजार में तय हों--तय होते हैं । अगर ७-८ वर्ष पहले के गल्ले के भाव को लेकर आज यह कहें कि उस वक्त से दाम बढ़ गये लिहाजा सरकार की गिजाई पालिसी नाकामयाब हुई या १२ वर्ष आजादी को हो गये और गल्ले का भाव आज बंगाल के अकाल के जमाने से भी ज्यादा है इसलिये सरकार की नीति नाकामयाब हुई, यह ठीक नहीं है । देखना यह होगा कि हमारे मुल्क में जो निर्माण के काम हो रहे हैं इनकी वजह से रुपये का काफी फैलाव हो रहा है । वह रुपया किसानों तक पहुंचता है कि नहीं, कारीगरों तक पहुंचता है कि नहीं, इसकी बहस में मैं नहीं जाता । लेकिन रुपये का

फैलाव देश में पहले के मुकाबले ज्यादा है और जब रुपये का फैलाव ज्यादा होगा तो चीजों का भाव बढ़ेगा और जब कम हो जाएगा तो भाव नीचे आ जाएगा। यह एक बुनियादी चीज है। तो आज जो गल्ले का भाव है उसकी वजह यह नहीं है कि पैदावार कम है और न उसकी वजह यह है कि सरकार की नीति खराब है। उसकी वजह यह भी नहीं है कि सरकार ने जखीरेबाजों के गल्ले को बरामद नहीं किया। वजह यह है कि आपके देश में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उनकी वजह से पिछले सालों के मुकाबले में इफराते जर हैं और जब तक ये डेवलपमेंट के काम होते रहेंगे तब तक यह इफराते जर बढ़ती रहेगी। तब तक हमको तैयार रहना चाहिये कि गल्ले का भाव इतना ही रहेगा या कुछ ज्यादा हो जाएगा। इसलिये जितनी बातें कहीं गई हैं विरोधी पार्टी की तरफ से उससे रोशनी नहीं पड़ी कि गल्ले की सरकारी नीति में क्या नुक्स है और क्या वह चाहते हैं कि गिजा की जो खराबी है वह दूर हो जाय। यह बात साफ नहीं की गई और जब तक यह साफ नहीं की जायगी तो गल्ले के ऊपर बहस करके अपने देश तथा जनता की गल्ले की दुश्वारी को दूर नहीं कर सकते हैं।

श्री रामकुमार वैद्य (जिला मुरादाबाद)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण समस्या पर जिससे हमारे समूचे प्रान्त का जन जीवन आक्रान्त है अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, अभी मैंने माननीय खाद्य मंत्री के वक्तव्य को बड़ी आशा और उत्सुकता के साथ सुना। मैं समझता था कि मंत्री महोदय ने, जिन पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है खाद्य के वितरण वगैरह का, उन सभी साधनों का उपयोग किया जिससे हमारी खाद्य सामग्री जुटाई जाती है। मैं आशा करता था कि वे इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार योजना की सीमाओं में रहते हुये, किस प्रकार समस्या की तात्कालिकता को अनुभव करते हुये हमारी सरकार ने अब तक इस प्रकार के कदम उठाये हैं और इस तरह हम इस समस्या को हल करने जा रहे हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी निराशा हुई मंत्री जी के वक्तव्य को सुन कर। मैंने केवल उसको उसी स्तर का समझा जैसे हमारे यहां पश्चिमी जिलों में व्यापारियों की ओर से व्यापारियों को चिट्ठी जाती है जिसमें लिखा होता है कि आज के दिन इन-इन चीजों का भाव यह रहा और कल की राम जाने। मुझे आप क्षमा कीजियेगा मैं अपने विचार की बात कह दूं। मैं तो इस महान् प्रदेश के खाद्य मंत्री से कुछ और सुनने की आशा करता था। ठीक है कुछ उधर के सदस्यों ने उस आशा का मूलोच्छेद ही कर दिया। माननीय अग्रवाल जी ने कहा कि विरोधी दल का तो यह संस्कार बन गया है कि बार-बार यह प्रश्न उठाये कि लोग भूखों मर रहे हैं। ठीक है उनका यह आरोप सच हो सकता है। लेकिन मैं विशेषतः मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि माननीय अग्रवाल जी का यह अनुभव सही है और यह बदगुमानी हकबजानिब है तो फिर ४,२०० दूकानें किस मर्ज की दवा हैं? हो सकता है कि विरोधी पक्ष के सदस्य दुमुही सांप की तरह हों और यदि मुझे आज्ञा दें तो मैं कह दूं कि इस देश में उसको मंगलकारक जीव समझा जाता है।

ठीक है आप विरोधी पक्ष की बातों को स्वीकार न करें क्योंकि आपके पीछे सत्ता का बल है, आपको यह विश्वास है कि हम बहुसंख्यक हैं, लेकिन मैं मंत्रीजी से कहूंगा कि उस निरंतर होनेवाली पराजय पर भी दृष्टि रखें कि जब से केन्द्रीय सरकार बनी सर जे० पी० श्रीवास्तव आये, राजेन्द्र बाबू आये, जयरामदास दौलतराम आये और इसके उपरान्त अजित प्रसाद जैन आये। उन्होंने उस सत्य को स्वीकार करके निर्भीकता पूर्वक उस स्थिति को स्वीकार करके अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया। और कुछ सत्य हो या न हो, लेकिन यह तो निश्चित है कि प्रान्तीय सरकार इस समस्या के सुलझाने में सर्वांश में विफल रही है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय राजनारायण जी का तो यह व्यसन बन गया है कि वह सदैव कुछ कटु बातें कहते रहें। लेकिन मैं कहूंगा कि वे भी स्वयं वक्त की आवाज को सुनें। उन्हें इस बात का ध्यान होना चाहिये, मीमांसा और विवेचन करना चाहिये कि आखिर इतना असंतोष क्यों है? क्या कारण है कि कोई सर्वसम्मत हल खाद्य समस्या को हल करने का नहीं निकलता?

[श्री रामकुमार वैद्य]

बारबार आप यह कहें कि बहुत सी दूकानें खोल दीं, इतना चना बटवाया, इतना गेहूं बटवाया, लेकिन क्या यह लज्जाजनक बात नहीं है कि राशन की दूकानें होते हुये भी, जगह-जगह राशन की व्यवस्था कर दिये जाने के बाद भी हमारे प्रदेश में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ? इस समय भी चीनी का दाम सवा रुपया सेर है । अभी मैं जन्माष्टमी पर अपने यहां था और हिन्दुओं में जन्माष्टमी पर चीनी बहुत खर्च होती है । खुले बाजार चीनी १ रुपया ५ आना सेर बिक रही थी और राशन की दूकानों पर चीनी गायब थी । क्या खाद्य मंत्री जी ने कभी यह अनुभव किया कि राशन की दूकानों पर जो अनाचार होता है उसको तत्काल रोकने की आवश्यकता है और उसके लिये कोई एक स्क्वाड या इस तरह का स्टाफ मुकर्रर किया जाय कि जहां वह अनाचार देखे वहीं उसका दमन कर दे ? कहा जाता है कि हमने सभी पार्टियों से सहयोग चाहा इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर, युद्ध स्तर पर हल करने के लिये । पिछले साल एक खाद्य कमेटी बनी थी जिसमें इस आदरणीय सदन के योग्य और विशिष्ट सदस्य थे । मैं पूछना चाहता हूं कि उस कमेटी के कितने निर्णय कार्यान्वित हुये ? बहुत सी बातें होती हैं लेकिन उन सब से यदि हम किसी परिणाम पर नहीं पहुंचते तो उसे सिवाय एक बातचीत के, सिवाय एक व्यसन के अन्त में हम क्या कह सकेंगे ? मैं आशा करता था कि खाद्य मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि चूंकि हमारे देश में आज से ही नहीं बहुत दिनों से अन्न का उत्पादन आवश्यकता से कम है, उसकी पूर्ति करने के लिये हमने यह निश्चित कदम उठाये हैं । वे यह बतलायेंगे कि बीज की क्वालिटी को उन्नत करने के लिये हमने पर्याप्त प्रबन्ध कर दिया है । वे इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि हम सारी बातों को छोड़ कर आज सब से पहले यह प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्येक किसान को, चाहे वह ५ बीघे ही जमीन का मालिक क्यों न हो, जोताई के लिये अच्छे बैल मोहय्या कर देंगे । क्या उन्होंने इस बात की ओर कोई इशारा भी किया कि सिंचाई की व्यवस्था में हमने कितनी प्रगति की है । आज सिंचाई पर यद्यपि हम पहले से चार गुना खर्च कर रहे हैं लेकिन सत्य यह है कि चारों ओर जल संकट है और सिंचाई विभाग घाटे पर चल रहा है । शासन सत्ता अभी कुछ टिकी हुई है । उनको इस बात पर अहंकार है, वे इस आत्म प्रवंचना में पड़े हुये हैं कि हम जो करते हैं वह ठीक है । लेकिन आप क्या करते हैं ? आप जो भी करते हैं वह लक्ष्यहीन है, उससे कोई परिणाम निकलेगा या नहीं, इसकी आपको कोई चिन्ता नहीं है ।

माननीय खाद्य मंत्री जी ने एक शुभ संदेश दिया । मैं तो उसे नव सत्र का बड़ा आशापूर्ण संदेश समझता हूं । उन्होंने बताया कि विधायकों के लिये भी चीनी की दूकानें खुल गई हैं । संकट की गम्भीरता को किस सीमा तक उन्होंने आंका है कि लगभग ५३९ व्यक्तियों के लिये चीनी की व्यवस्था कर दी है । लेकिन क्या इससे लगभग ७ करोड़ जनता राहत महसूस करेगी ? आज चीनी तथा दूसरी खाने की चीजें बाजार में अदृश्य हो गई हैं मैं देखता हूं कि राशन की दूकानों पर लम्बी कतार लगी होती है, लेकिन एक निश्चित समय पर हजारों लोगों से कह दिया जाता है कि अब आज जितना देना था वह खत्म हो गया । तो यह उनकी स्पीच खाद्य जैसी गम्भीर समस्या के लिये न तो उचित है और न ही शासन के योग्य है और न कांग्रेस जैसी महान् संस्था के प्रतिनिधियों के योग्य आचरण है ।

कहा जाता है कि स्टाक कम है । लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ? जहां करोड़ों जनता के पेट का प्रश्न हो वहां आप क्यों कम और अस्थायी स्टाक रखते हैं ? कहा जाता है कि हमारा प्रोक्योरमेंट किसानों के असहयोग के कारण नहीं चल पाता है । जब उत्पादन लागत से भी कम कीमत किसानों को मिलेगी तो कौन किसान पागल है कि वह अपना अनाज बाजार में बेचने आयेगा ? क्या कारण है कि आप इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं जिससे शोषक वर्ग को तृप्ति मिले ? यह ठीक है कि उससे थोड़ा-सा आपकी पार्टी को समर्थन मिल सकता है, यह भी ठीक है कि शासन कुछ दिनों तक मोटी पूंजी के आधार पर चल सकता है, लेकिन इसका अन्त बड़ा भयंकर होगा । जब लोगों की आशायें कानून और सरकार की ओर से टूट जायंगी तो फिर लोग शासन को अपने हाथ में लेंगे जिसका परिणाम भयानक होगा । इसी अव्यवस्था को दूर करने के लिये खाद्य स्थिति पर बहस करने के लिये एक दिवस नियत हुआ । लेकिन

जैसा मैंने आपसे प्रारम्भ में निवेदन किया, मुझे दुःख है, मैं बड़ी निराशा और क्लेश के साथ कहता हूं कि सरकार ने जो नीति अपनाई है और खाद्य मंत्री के भाषण से जो प्रकट हुआ उससे मुझे जरा भी आशा नहीं हुई ।

विरोधी पक्ष की ओर से अनेक सुझाव इस सम्बन्ध में दिये गये । सरकार सारे साधनों को जुटाकर युद्ध स्तर पर समस्या को हल करने के लिये क्यों उत्सुक नहीं है और सरकार अपने पुराने व्यक्तियों के कार्यों की तरह कार्य करने के लिये क्यों तैयार नहीं है ? सरकार उनके बताये हुये मार्ग का क्यों अनुसरण नहीं करती है, उनके कहे हुये रास्तों पर क्यों नहीं चलती है ? श्रीमन्, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि हमारे प्रदेश के माननीय खाद्य मंत्री जी की खाद्य नीति आज विफल हो चुकी है । परन्तु मैं यहां पर इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं कि इनमें भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस समस्या का हल निकाला जब कि उसके पहले के खाद्य मंत्री विफल हो चुके थे । मैं उनका नाम बड़े आदर के साथ लेना चाहता हूं, वह हमारे किदवई साहब थे । उनमें समस्या के प्रति एक जागरूकता थी, उनके अन्दर जनता के कष्टों के लिये एक अनुभूति थी, उनमें शक्ति थी, साहस था, और उनमें पूंजीपतियों की सहायता करने की इच्छा नहीं थी, वह जनता के कष्टों को पहचानते थे, इसलिये उन्होंने जनस्तर पर काम किया, वह घर-घर घूमे, बाजार में गये और उन्होंने इसके पश्चात् ठोस कदम उठाये । देश में जो असंतोष फैल गया था और अन्न की एक भीषण समस्या खड़ी हो गई थी उसको दूर किया ।

हमारे दुर्भाग्य से वह आज हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन इतना तो हम समझते हैं कि एक महान् संस्था के हाथ में हमारे देश के शासन की बागडोर है । फिर क्या कारण है कि उसी संस्था के खाद्य मंत्री इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करते हैं ? हमें बाहर से अन्न मंगाना पड़ता है और उसमें करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है । फिर भी क्या कारण है कि लोगों को अन्न नहीं मिल पाता । अगर लोगों को ४ छटांक से संतोष नहीं होता तो उनको ६ छंटाक दिया जाय । उत्पादन की बात दूसरी हो सकती है लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि यह खरीदकर भी नहीं दे सकते हैं । इसमें भी लोगों को शिकायत है और यह बड़ा असंतोषजनक है । श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि हमारी सरकार गम्भीरता पूर्वक सुने और सभी पक्षों के सहयोग को सम्मिलित करके ऐसी व्यवस्था करे जिससे अन्न संकट, राष्ट्रीय संकट जो हमें आगे चलकर पतन की ओर ले जायगा और एक गर्त में गिरा देगा उसका कोई समुचित हल हो सके ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति को इस बात से इंकार नहीं हो सकता है कि किसी राज्य के लिये खाद्य समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है । हम कितने ही डैम बना दें, कितनी ही योजना बना दें, लेकिन जनता अवश्य हमें और हमारी नीति को इस मापदंड से नाप सकती हैं कि किस हद तक हम उसकी रोटी की समस्या को हल कर सकते हैं । मान्यवर, मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि हमारे प्रदेश में खाद्य समस्या बड़ी विषम रही है और उसे आज भी संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है । श्रीमन्, मैं इसको भी मानने के लिये तैयार हूं कि हमारी खाद्य समस्या में जो सरकारी नीति रही है उसमें गलती रही होगी । मेरा ऐसा विश्वास है कि कोई भी सरकार, देवता और जिनों की यदि कोई सरकार बन सके, उसकी बात मैं नहीं कहता, लेकिन जो मनुष्यों की सरकार है उसमें गलती जरूर होगी । इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है । लेकिन प्रश्न इतना ही है कि जिन परिस्थितियों में से होकर हमारा प्रदेश निकला है, उनमें रहते हुये जो कुछ सम्भव हो सकता था, वह किया गया है या नहीं और उसके ऊपर संतोष प्रकट किया जा सकता है या नहीं ।

मान्यवर, आज जो वादविवाद यहां पर सुना उससे यह सिद्ध हुआ कि जो सरकार की खाद्य नीति रही है वह संतोषजनक है, भले ही उसमें यहां या वहां आलोचना की गुंजाइश हो और आलोचना की गुंजाइश तो हर नीति में होती है । लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें किसी मौलिक और ठोस परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है । अगर होती तो मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे विरोधी दल के नेता या अन्य व्यक्ति जिन्होंने भाषण दिये हैं, वह इस ओर संकेत करते और इस ओर सरकार का ध्यान दिलाने का प्रयत्न करते ।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

श्रीमन्, मोटे तरीके से खाद्य समस्या को दो भागों में बांटा जा सकता है । एक लौंग टर्म पालिसी और दूसरी शौर्ट टर्म पालिसी । शार्ट टर्म पालिसी में श्रीमन्, हमारे वह स्टेप्स आयेंगे जो तात्कालिक समस्या को दूर करने के लिये लिये जा सकते हैं जैसे विषम स्थिति पैदा होनेपर वितरण इत्यादि का जिस तरह से संचालन किया गया और श्रीमन्, लौंग टर्म पालिसी में उन कामों को देखना पड़ेगा जो हमारे उत्पादन बढ़ाने के लिये किये गये और हमारी जो समस्या है उसकी रिलेटिव इम्पारटेन्स कितनी यहां के एग्रीकल्चर पर है, उस पर आयगी । जैसा कि हमारी सरकार का कार्य विभाजन है शार्ट टर्म का सम्बन्ध फूड मिनिस्ट्री से है और लौंग टर्म का सम्बन्ध ऐग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से है । आज ऐसा लगा कि जहां तक शार्ट टर्म उपायों का सम्बन्ध है, वितरण और नियंत्रण का सम्बन्ध है उसमें कदाचित कोई शिकायत नजर नहीं आती या बहुत कम नजर आती है। सबसे ज्यादा और लांग टर्म पालिसी के बारे में है और उसमें ज्यादा जोर सब्सिडी पर दिया गया । आज सरकार की नीति ऐसी हो कि जो किसान गल्ले की उपज करता है उसको सरकार सब्सिडी दे । मैं मानता हूं कि किसान को उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिये । लेकिन यह सोचने की बात होगी । माननीय नेता विरोधी दल ने यहां तक कह दिया कि १००, २०० करोड़ रुपये तक खर्च करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि वह कोई अलादीन का चिराग है जिसके द्वारा सरकार १००, २०० करोड़ रुपया इस आइटम पर खर्च कर देगी । अंग्रेजी की कहावत है कि "इफ विशेज वेयर हार्सेज, एवीबडी कुड राइड देम" । अगर यह सम्भव होता तो मेरा विश्वास है कि सरकार इस बात का यत्न लेती कि वह रुपया देकर ज्यादा से ज्यादा दाम उन लोगों को दिलाती जो वोटर्स हैं, जिनके वोटों पर हम चुन कर आये हैं । लेकिन प्रश्न तो यह है कि १०० करोड़ या २०० करोड़ रुपया इस बजट में इस कार्य के लिये कैसे निकाला जा सकता है ? मैं समझता हूं कि हमारी परिस्थितियों को देखते हुये प्रैक्टिकल स्टेप केवल यह है कि. . . .

श्री त्रिलोकीसिंह---५० लाख रुपया भी अगर मिल जाय तो सब मामला ठीक हो जायगा । १०० करोड़ की बात तो बहुत दूर की बात है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---ठीक है । माननीय नेता विरोधी दल ने अपनी राय बदल दी । अभी जब भाषण दे रहे थे तब करोड़ों की संख्या थी । अब लाखों में आ गई ।

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज यह सही नीति होगी कि हम अपनी प्राइस पालिसी ऐसी रखें कि अगर भाव तेज जा रहे हैं तो हम अपना अनाज बाजार में ला सकें और वह तेजी मंदी में परिणत हो सके । जब भाव सस्ता हो जाय तो खरीदना शुरू कर दें और बाजार के रेट को नीचा कर सकें । मैं नहीं समझ सका, एक तरफ तो भुखमरी की शिकायत है, यह कहा जाता है कि बंगाल के फेमिन से भी ज्यादा भाव तेज हो गये हैं । मुझे आश्चर्य हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माननीय झारखंडे राय को कैसे खुशी हुई बंगाल के फेमिन से तुलना करते हुये । कदाचित् इसलिये कि उस समय जब बंगाल में अकाल पड़ा था उस समय उनकी पार्टी उदासीन बैठी थी और उन्हीं लोगों का साथ दे रही थी जिनके ऊपर उत्तरदायित्व था उस फेमिन को लाने का । कदाचित् वह उस कमी को आज पूरा कर रहे हैं । बार-बार उसका जिक्र करना मैं समझ नहीं सका । वह इस बात को भूल गये हैं कि बंगाल के फेमिन में तीन लाख आदमी मार गये थे और आज भाव बढ़ते हुये तीन आदमी भी नहीं मरने पाये, हमारे प्रान्त में । इसके लिये अगर आप सरकार को क्रेडिट नहीं देते तो वास्तविकता से आंख मूंदना है । केरल को हम लें । केरल में जो दूकानें खुलीं उनका रोज का आफ टेक ढाई और पांच मन था इसलिये कि पार्टी के आदमियों को ज्यादा से ज्यादा दूकानें मिल सकें । हमारे एक आदरणीय नेता ने इस बात पर जोर दिया कि खाद्य मंत्री जैन साहब ने इस्तीफा दिया । इसका बार-बार चर्चा हुआ और कहा गया कि आज केन्द्रीय सरकार पुनर्विचार कर रही है अपनी नीतियों पर, यह उसकी असफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है । मैं इस दलील को समझ नहीं सका । जनतन्त्रात्मक युग में पुनर्निरीक्षण तो एक अनिवार्य चीज है ही । हर जनतांत्रिक सरकार से यही आशा की जानी चाहिये

और यही उसकी नीतियों की सफलता है कि वह रोज अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करे। जैसा कि एक विद्वान ने कहा है :—"My experience of today is that I was a fool of yesterday and it may lately be the same of tomorrow" यह ठीक बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना तो इस बात का द्योतक है कि सरकार जनता की भावनाओं के साथ चलना चाहती है। जैन साहब ने जो इस्तीफा दिया उसके भी केवल यही मानी हैं कि उन्होंने विरोधी दलों की भावनाओं का आदर किया कि अगर कुछ लोग भी ऐसे हैं कि जिनको उनकी नीति से असन्तोष है तो उनका आदर करते हुये उन्होंने इस्तीफा दिया।

अन्त में केवल शुगर की नीति के बारे में दो बातें कहकर मैं समाप्त करूंगा। मैं समझता हूं कि अगर सरकार यह दूकानें न खोलती इतनी बड़ी संख्या में तो भाव कम नहीं हो सकता था। यह हो सकता है कि आज किसी दूकान पर हजरतगंज में भाव १ रुपया ढाई आने हो जैसा कि विरोधी दल के नेता ने कहा लेकिन सरकारी दूकानों पर जहां पर कि इनकम ग्रुप को बढ़ाकर ढाई सौ से ऊपर तक कर दिया गया वहां पर शक्कर निर्धारित दाम पर मिल रही है। एक बात मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से कहूंगा, पता नहीं इसकी तरफ और लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया। जो खंडसारी शक्कर है उस पर केन्द्रीय सरकार ने कंट्रोल लगा रखा है और वह कंट्रोलमेरी राय में केवल मिलमालिकों के प्रभाववश लगा हुआ है। उसका फल यह है कि चीनी का भाव तेज हो रहा है। अगर वह कंट्रोल हट जाय तो जहां पर उसके कन्ज्यूमिंग सेन्टर्स हैं खांडसारी के वहां पर जो आज आर्टिफिशियल स्कर्यासिटी बनी हुई है वह घट सकती है और उसका असर शक्कर के दामों पर भी अवश्य पड़ेगा। मैं इसलिये मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें। मेरी केन्द्र के मंत्री से भी बात हुई थी। वह भी इस ओर देख रहे हैं और प्रदेशीय सरकार को उन्होंने सम्बोधित भी किया है। उसके हटा लेने से मुझे आशा है कि शक्कर के भाव में कुछ न कुछ अन्तर जरूर पड़ेगा।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश की खाद्य मंत्री जी को और जब उन्होंने जैन साहब की तारीफ की तो मुझे यह डर लगा कि जैन साहब ने जो काम किया है वह तो नहीं करेंगे नेगी साहब ? मैं समझता हूं कि जैन साहब ने जितना पाप किया है अपने जीवन में पिछले कई वर्षों में उतना पाप उन्होंने नहीं किया है और मैं उनसे कहूंगा कि अभी वह धीरज रखें। (व्यवधान) रास्ता तो वही है ही। श्रीमन्, वक्त कम है, इसलिये मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा।

उत्पादन तो बराबर बढ़ ही रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी राय है कि ज्यादा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। लेकिन सरकार सन्तुष्ट है और वह बराबर अपने हाथ से अपनी ही पीठ ठोंकती चली जा रही है। उसको रोके कौन ? लेकिन अगर उत्पादन बढ़ता ही चला जा रहा है तो जो संसार का नियम है कि उत्पादन बढ़ेगा तो दाम गिरेगा। जैसा कि ५७–५८ में उत्पादन गिर गया तो दाम चढ़ गए। तो जब १४ परसेंट उत्पादन इस समय बढ़ गया तो कीमत भी उसी हिसाब से गिरनी चाहिये। अब कीमत जो गिरी है वह आने पाई का हिसाब है और वह बिलकुल इस तरह से आंकी जायगी कि कीमत कितनी गिरी और क्या हुई। लेकिन सही बात यह है कि क्या सचमुच जिन बाजारों से कीमत हम मांगते हैं, कुछ बड़ी बड़ी मंडियों से कीमत हमारे सामने आती हैं, लेकिन उसके अलावा उपभोक्ता जिन बाजारों से खरीदकर खाता है, देहात के जिन बाजारों से वह खरीदकर खाता है, उनकी कीमत भी सामने आ सके इसका कोई तरीका है सरकार के पास ?

मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। दुनिया का और कोना तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन अपने सूबे को देखा है। हम हर डिपार्टमेंट पर रिलाई कर सकते हैं लेकिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट पर मैं रिलाई नहीं करूंगा। यह ब्लैक मार्केटिंग की नींव डालता है। मैं नहीं जानता मार्केटिंग विभाग का क्या काम है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

यहां पर भी है और हर जिले में खुला हुआ है पर पता नहीं वह क्या करते हैं। एक बात मुझे मालूम है कि जितनी रिश्वत लेना यह विभाग सिखाता है अपने से छोटे विभागों को और छोटे लोगों को, दूसरे महकमे वालों को और कोई उतना नहीं सिखाता है। इस बात के करने में वह कभी नहीं चूकता है। मैं इसके लिये तैयार हूं, अगर मुझ से कहा जाय कि २, ४ पकड़ कर दिखाओ तो दिखा सकता हूं। मैं राशनिंग वालों के लिये नहीं कह रहा हूं। मार्केटिंग वालों की बात करता हूं। ये हमारे पास बाजार भाव भेजते हैं।

एक बात कही गई कि उत्पादन अनाज का बढ़ा है और वह किसानों ने होर्ड कर लिया है। किसान बाजार से नहीं लेता है इसलिये कि बाजार से महंगा आयेगा। किसान बड़ा बदनाम है। वह सरकार का हुक्म नहीं मानता है लेकिन जो चीनी के मिल वाले ६८ मिल-मालिक आपके दोस्त हैं वह क्यों नहीं मानते ? यह ६८ मिलमालिक तो सरकार के दोस्त हैं उनको सरकार की बात माननी चाहिये। आज ही मैंने देखा कि बाजार रेट छपे हुये हैं और रोज छपते हैं, नेगी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब उनको जरूर देखते होंगे और पढ़ते होंगे। मैंने देखा कि आज भी ११७ रुपये का बोरा, ११९ रुपये का बोरा, १२० रुपये का बोरा, १२४ रुपये का बोरा और १३० रुपये तक चीनी के बोरे के दाम छपे हुये हैं और मिल का नाम उनके सामने लिखा हुआ है कि फलां मिल की इतने रुपये बोरा पर चीनी बिकी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या यह लिखने वाला झूठ है और अगर झूठ है तो यह लिखने वाले सरकार को बदनाम करते हैं। अगर लिखने वाले झूठ नहीं हैं तो फिर उसके बाद मैं समझता हूं कि जिस मिल के लिये यह भाव छपे हैं उस मिल से कभी पूछा गया ? अगर एक मिल से भी पूछा गया हो तो मुझे बता दिया जाय कि किस मिल से आपने पूछा और उसने कहा हो कि ११७ रुपये बोरे पर हमारा नाम छपा हुआ है। कानपुर का रेट १२४ रुपया बोरा है और मिल का नाम छपा हुआ है। अब आप बताइये कि किस तरह से यह चीनी बिकती है ? मैं कहता हूं कि किसान को तो डर है आप जो चाहे कर सकते हैं और कन्ज्यूमर के ऊपर भी जोर डाल सकते हैं लेकिन जो ६८ मिलमालिक हैं, जिनको जगदीश शरण जी ने एकदम छोड़ दिया है, पता नहीं उनके साथ सरकार का क्या रिश्ता है कि उनके खिलाफ कोई कदम उठाने के लिये सरकार तैयार नहीं होती। आज भी २० आना सेर चीनी बिक रही है। मंत्री जी कहते हैं कि लखनऊ के बाजार में लोग चीनी नहीं ले रहे हैं। भगवान् जाने क्या हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमको जो सब से बड़ी शिकायत है वह यह है कि सरकार जो कर रही है वह तो कर रही है लेकिन उस नाव में बैठकर हम लोगों को न डुबा दे।

फूड एडवाइजरी कमेटी सूबे की बनाई गई। वह हर जिले में भी बनी हुई है। जो सूबे की कमेटी बनी हुई है वह तो त्रिलोकीसिंह जी, झारखंडेराय जी, पानीवाल जी और यादवेन्द्रदत्त जी जानें। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ वे लोग ही जान सकते हैं लेकिन वह लोग वहां जाते हैं तो क्या यही निजाम वहां से लाते हैं ? मैं इस बात को जानता हूं कि उन लोगों की सलाह को क्या वकत दी जाती है। यह अच्छा है अगर यह फूड एडवाइजरी कमेटी तोड़ दी जाय, यहां की भी और जिलों की भी। हम जिलों की भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं हैं। सरकार इस सारे पाप को करे और उसकी जिम्मेदारी उसके ही ऊपर हो। एक बात मैं यह कहता हूं कि जब यह आल पार्टी की कमेटी है और जब इस बात की दुहाई दी जाती है कि वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिये तो फिर मैं निवेदन करता हूं कि यह राजनीति कहां से शुरू होती है। मेरे साथ राजनीति होती है। अगर मेरे साथ होती है तो मैं दूसरे लोगों की बात क्या कहूं। माननीय नेगी जी ने इस बात को स्वीकार किया है। मेरे जिले की बात है। मैं एक मर्तबा नहीं बल्कि अनेक मर्तबा इस बात को कह चुका कि क्या वजह है कि हमारे चन्द्रदेव तिवारी जी के इलाके में ३६ दुकानें खुली हुई हैं लेकिन गेंदा सिंह के इलाके में १९

दुकानें खुली हैं। रामायण राय जी के इलाके में उससे कम, ब्रजनारायण जी तिवारी के इलाके में उससे कम और उग्रसेन के इलाके में उससे भी कम। मैं यह हरगिज नहीं कह सकता हूं कि चन्द्रदेव जी तिवारी के एरिया में बेजातरीके पर दुकानें खोली गई हैं। नहीं, उससे ज्यादा दुकानें खुलनी चाहिये, लेकिन आखिर जब वह सीमा से स्केयरसिटी की तो क्यों कोरीडर एरिया बना दिया गया। १४ लाख की आबादी जो उस इलाके में है उसके लिये क्या बन्दोबस्त है सरकार का। २० सेर से ज्यादा कोई भी वहां अनाज ले जा, ले आ नहीं सकता। कोई बनिया मंडी में अपना अनाज बेचने के लिये नहीं ले जा सकता। अनाज के रेट बहुत ज्यादा हैं। २५, २६ रुपये मन वहां गेहूं मिल रहा है। मैं यह साबित करने के लिये तैयार हूं, चलने के लिये तैयार हूं, अगर माननीय नेगी जी चलने को तैयार हों। हमने और वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ७०, ८० मील का दौरा किया और २७ रुपये मन पर कहीं भी चावल दिखाई दिया मोटे से मोटा ? गेहूं तो नायाब है, लेकिन अगर मिल सकता है तो २५, और २६ रुपये मन। देहातों में दूकानों पर गेहूं नहीं जाता।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि सरकार बहुत फिक्रमंद थी कि भाव न बढ़ने पाये, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि यह दूकानें सब को खिला नहीं सकतीं। कुछ को अन्न दे सकती हैं और यह कर सकती हैं कि भाव जो बहुत ऊंचे चढ़ गये हैं उनको न चढ़ने दें। लेकिन मैं पूछता हूं कि सरकार का इरादा क्या है ? अप्रैल में सारी दूकानें बन्द कर दी गयीं कि रिआर्गनाइजेशन किया जायगा। मानता हूं कि सरकार की नीयत में खराबी नहीं है, वह कुछ सोचती होगी लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि आज जिन अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में दूकानें खुलने की सख्त आवश्यकता थी उनमें दूकानों के लिये नेगी जी ने कह दिया कि १०० दूकानें खोली गयी हैं। लेकिन कितनी दूकानों पर अनाज पहुंचा है ? गोरखपुर की मुझे जानकारी है, बस्ती से पूछा जाय, आजमगढ़ से पूछा जाय। मैं गांव की दूकानों के बारे में कह रहा हूं, जो अभावग्रस्त इलाके हैं उनके कोने-कोने से, चाहे वे पहाड़ में हों अथवा मैदान में, पूछा जाय कि कब दूकानें बंद की गयीं, कितने दिन बाद फूड एडवाइजरी कमेटी बैठी और क्या फैसला उनके बारे में हो रहा है और कब तक अनाज पहुंचाया जायगा ? यह बड़ा अहम प्रश्न है और इसका जवाब नेगी जी को देना चाहिये। अनाज के सवाल में पालिटिक्स की जरूरत नहीं है। चन्द्रदेव जी हमसे बहुत नाराज हो जाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर नाराज न होकर सरकार पर नाराज होइये। अगर हम चाहते हैं कि ४० दूकानें खुलें तो उसमें अयोध्या प्रसाद जी और शिववचन राव जी के साथ क्यों ज्यादती होती है। मैं समझता हूं कि उसमें ज्यादती नहीं होनी चाहिये। इसमें राजनीति दिखाई पड़ती है। पडरौना में हम लोग चार आदमी हैं। वह कह सकते हैं कि हम उल्लू के पट्ठे हैं, उनके यहां अनाज की दूकानें नहीं खुल सकतीं, अनाज हम दे सकते हैं, हम ठीक तरीके से तुम्हारा इंतजाम कर सकते हैं, तुमने इनको वोट दे कर बड़ी बेवकूफी का काम किया .....

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि "उल्लू का पट्ठा" शब्द ठीक नहीं है।

श्री गेंदासिंह--अपने को मैंने कहा था, लेकिन आपकी आज्ञा से मैं वापस लेता हूं। कुछ लोग तो समझे ही हुए हैं। जो जैसा है वैसा ही मुझको समझता है उसको मैं क्या करूं।

श्रीमन्, अंत में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और उसको बहुत धीरे से कहना चाहता हूं इसलिये कि एक तूफान बरपा होने वाला है। अनाज की तो बड़ी अच्छी हालत है पिछले साल से। ठीक है, संतोष कीजिये, हम हजार चिल्लायें, हमारे कहने से क्या होता है। मैं कहता हूं कि आम की फसल बहुत अच्छी हुई और अभावग्रस्त जिलों को उससे बड़ी राहत मिली। अब इसके आगे नहीं कहना चाहता। लेकिन जो गन्ने की कीमत और चीनी की कीमत की तुलना है, पिछले साल से बराबर यह बात कही गयी कि अगर हम गन्ने की कीमत बढ़ायेंगे तो चीनी की कीमत ऊंची चली जायगी, इसलिए चीनी की चूंकि बढ़ाना मुनासिब नहीं है इसलिए गन्ने की नहीं बढ़ायंगे। सरकार बिलकुल कटिबद्ध है कि हम १ रुपये ७ आने मन पर गन्ना लेंगे और ५० रुपये मन पर अगर कोई दोस्त चीनी बेचेगा

[श्री गेंदासिंह]

तो हम उसको नहीं रोकेंगे। ऐसी अवस्था में हमें भी अधिकार है कि हम इसका विरोध करें और एक ताकत के साथ विरोध करें और ऐसा विरोध करेंगे कि उस विरोध के बाद ४-६ महीने के भीतर मालूम होगा कि उसमें कितनी ताकत है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि सरकार इस विरोध से सावधान हो जाय और २० लाख जो गन्ना बोने वाले किसान हैं अगर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो अन्न की कमी वगैरह जो कुछ हो रही है उसको किसान बरदाश्त करने को तैयार नहीं है कि उसका गन्ना काट करके--चाहे गेहूं या गन्ने की कीमत में--दूसरे घरों में भरा जाय। तो मैं इतना कहते हुए फिर दोहराता हूं कि वह अशान्ति और उपद्रव का रास्ता न लें।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि खाद्य एक ऐसा विषय है कि देश और प्रदेश के संबंध में जब हम विचार करते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि भूत या वर्तमान दोनों दशाओं में क्या देश की परिस्थिति रही है और हम किन स्थितियों से गुजरे हैं उसके बाद क्या तरीके हो सकते हैं जिससे देश में खाद्य समस्या को हम अच्छी तरह से हल कर सकें। यह बात ठीक ही है कि उत्तर प्रदेश में गंगा की बाढ़, जमुना की बाढ़, नारायणी और राप्ती की बाढ़ ने लगातार प्रदेश में उत्पात मचाया और काफी क्षति पहुंची और वहां की हजारों एकड़ भूमि जिसपर फसल लगी हुई थी वह जल में डूब गयी। तो इस तरह से जब अन्न समाप्त हो जाय तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वह चीज वापस आ सकती है।

जहां तक अपोजीशन दल के भाई त्रिलोकी सिंह जी ने जो बात कही वह मेरी समझ में नहीं आयी। इतने भाषण में जो उन्होंने खाद्य समस्या पर प्रकाश डाला उसमें कोई भी योजना नहीं थी जिससे प्रदेश कोई लाभ उठा सके और मैं समझता हूं सरकार इस बात की ख्वाहिश रखती है कि कोई भी आदमी अगर सही तरीके से कोई योजना प्रस्तुत करे तो उसका वह अनुकरण करे। बीच में, उन्होंने कहा कि ५० लाख रुपये में यह समस्या वे हल कर सकते हैं। तो मैं खाद्य मंत्री जी और उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करूंगा कि वह उनकी उस स्कीम का स्वागत करें और उनको अवसर दें जिससे विरोधी दल के नेता उस योजना को प्रस्तुत करें और जल्दी से जल्दी हम उससे लाभ उठा सकें। लेकिन काल्पनिक चीज और होती है और व्यावहारिक चीज और होती है। इस प्रकार से कल्पना की बात करके हम रोज दाव पेंच के तरीके से धोखा नहीं दे सकते हैं।

हमारे भाई श्री झारखंडे राय जी ने भी एक बात कही। उनकी सरकार केरल में बनी है। वहां के खाद्य मंत्री ने चावल की जो स्थिति पैदा की थी उस संबंध में वहां की जनता ने जो कहा था उस पर झारखंडे राय जी जरा सोचेंगे। तो यह राजनीति का विषय नहीं है, सोचने समझने की बात है।

मैं देवरिया से आता हूं, वहां के लिए श्री गेंदा सिंह ने कुछ बात कही। उस संबंध में मैं कुछ बताना आवश्यक समझता हूं। यह दो नीति की बात, उपाध्यक्ष महोदय, हमेशा डगमग रहती है और वह रास्ता बहुत साफ नहीं होता। जिले में हम कुछ और बात कहें, मंत्री महोदय के सामने कुछ और सवाल रखें, प्रांत में कुछ और बात करें और प्रान्तीय नेता बनें, तो यह सिद्धान्त कहां तक मुनासिब है और कहां तक उससे जनता का हित हो सकता है? गांव में हम प्रान्त के नेता बनते हैं और जिलों में भाषण दे आते हैं, जनता के हितैषी होने की बात करते हैं और जब विधान सभा में बैठते हैं तो एक बिल्कुल सीमित दायरे में रह करके इस ढंग की बात करते हैं कि फलाने आदमी के क्षेत्र में कितनी दूकानें हैं। मैं समझता हूं कि देवरिया जिले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसी इलाके में कितनी भी दूकानें बढ़ा दी हों उनसे वहां की जनता लाभ ही उठाती होगी, नुकसान नहीं होता होगा। उन्होंने बार्डर एरिया की बात कही, कि डी० एस०

देवरिया के साथ सैकड़ों मील की यात्रा की, उन्होंने कहा कि सस्ते गल्ले की दूकानों से क्या लाभ है और गेहूं का क्या भाव है। श्रीमन्, मैं एक बहुत गरीब परिवार का आदमी हूं, मैंने गरीब लोगों को देखा है और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सस्ते गल्ले की दूकानें खोलकर देवरिया की बहुत बड़ी रक्षा की है, आज इस बात को कोई इन्कार नहीं कर सकता।

डिस्ट्रिक्ट फूड एडवायजरी कमेटी की बात गेंदा सिंह द्वारा कही गई। वहां जो उनकी राय थी वही हमारी भी राय थी। इस बात को कोई इन्कार नहीं कर सकता कि डी० एम० के यहां उसकी मीटिंग्ज हुई हैं, वह भी उपस्थित रहे हैं और मैं भी उपस्थित रहा हूं, वहां, जो उनका सिद्धान्त रहा है वही मेरा सिद्धान्त रहा है, जहां-जहां दूकानों की जरूरत थी उसको हम सब ने महसूस किया। आज वहां पर २२७ दूकानें देहाती क्षेत्र में हैं और ४१ दूकानें म्युनिसिपल एरिया में खुली हैं और जहां तक मेरी जानकारी है ५ दूकानें और खुलने वाली हैं। मैं महसूस करता हूं कि जिस क्षेत्र से गेंदा सिंह जी आये हैं उस क्षेत्र में भी आवश्यकतानुसार दूकानें हैं। अगर वह आरोप लगाते हैं कि दूसरी जगहों पर ज्यादा दूकानें हैं तो उन्हें फिर दूसरे क्षेत्रों की हालत को भी देखना पड़ेगा। जहां भयंकर और खराब स्थिति हो, जहां बाढ़ हो, देवरिया जिले के उस क्षेत्र में अगर कोई दूकान बढ़ जाती है तो यह कोई गलत काम नहीं है और अगर गेंदा सिंह जी इसको गलत कहते हैं तो वह देवरिया की जनता के प्रति अन्याय करते हैं। हम भी प्रतिनिधि हैं और वे भी प्रतिनिधि हैं, आप बार्डर एरिया की बात करते हैं, आप ईमानदारी के साथ बात करें कि बार्डर एरिया में दूकानें खुली हैं या नहीं....

श्री उपाध्यक्ष--"ईमानदारी के साथ बात करें" यह शब्द आपत्ति जनक हैं, माननीय सदस्य इन शब्दों को वापस लें। यहां पर हर सदस्य ईमानदारी के साथ बात करता है।

श्री शिवप्रसाद--अगर व्यवस्था के विपरीत कोई बात की हो तो उसको मैं महसूस करता हूं और भविष्य में नहीं कहूंगा।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)--श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। आपके निर्णय के बाद कि माननीय सदस्य इन शब्दों को वापिस लें, उन्होंने कहा कि भविष्य में नहीं कहूंगा, उन्होंने अभी शब्द वापस नहीं लिये।

श्री उपाध्यक्ष--आपने शब्द वापस ले लिये ?

श्री शिवप्रसाद--जी हां, मैंने वापस ले लिये। तो बार्डर एरिया की दूकानों के लिये यह कहना कि दूकानें दूसरे के क्षेत्र में खुली हैं, मैं समझता हूं कि किसी एक सम्मानित सदस्य के बारे में इस तरह की बात कही जाय, वह एक बहुत गलत चीज है। वहां पर सस्ते गल्ले की दूकानों से लाभ हुआ है, महंगे बढ़ते हुए भाव में कमी हुयी है और सरकार की इस कार्यवाही के लिये देवरिया ऋणी है, यह बात सब को महसूस करनी चाहिये। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं।

(इस समय ३ बजकर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक गल्ले की खरीदारी का सवाल है, किस रेट पर सरकार खरीदती है, तो सरकार सड़ने के लिये गल्ला नहीं खरीदती है, बल्कि इसलिये खरीदती है कि जनता में वितरण करे। गरीब लोग ही उससे लाभ उठाते हैं। लेकिन यह कहना कि एक-एक आदमी को राशन देकर हम जिलाते चलें, मैं समझता हूं कि यह नीति चाहे आपकी हो या हमारी हो, भविष्य के लिये वह एक खतरे की बात है। हमें देश के लोगों को इस तरह से निकम्मा नहीं बनाना चाहते। हम दूसरे देशों पर अपने को अवलम्बित नहीं रखना

[श्री शिवप्रसाद]

चाहते, हमें अपने देश की उपज को बढ़ाना होगा और अपने देश की संकट की हालत को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। कृषि का विकास करना होगा, कैसे वह हो सकेगा, केवल पोलिटिकल टैक्टिक्स से काम चलने वाला नहीं है। यह युग ऐसा है, परिस्थिति का तकाजा ऐसा है कि हमें व्यावहारिक रूप में आना होगा और जनता के सामने व्यावहारिक रूप से चलना होगा तभी देश का निर्माण हो सकता है, तभी देश स्वावलम्बी हो सकता है।

सरकार जब आवश्यकता समझती है तब दूसरे देशों से अन्न को मंगाती है लेकिन हम अमेरिका के ऊपर, रूस के ऊपर, चीन के ऊपर और दूसरे देशों से खाद्य लाकर इस देश को निकम्मा नहीं बनाना चाहते। सरकार इस ओर सतत प्रयत्नशील है और आगे बढ़ती चली जाती है। अगर कोई दोष हमें देखाई देता है तो उसको सहर्ष स्वीकार भी किया जाता है। अगर जैन साहब ने इस्तीफा दिया है तो वह कोई ऐसी बात नहीं है, वह जनता के सामने एक उदाहरण रखें हैं कि ऐसा त्याग होना चाहिये और यह कांग्रेस ही एक दल है कि उसके अन्दर ऐसे लोग हैं जो इतने त्यागी और तपस्वी हैं और अगर आप इसको किसी तरह से सोचते हैं तो यह गलत हैं। श्री झारखंडे राय जी ने भी कोई सुझाव नहीं दिया। दीपंकर जी भी बोले। मैं समझता हूं कि वे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनसे हमें कोई सुझाव मिलते और हम सरकार से कहते कि उन सुझावों पर काम किया जाय लेकिन सुझाव उन्होंने कोई दिये ही नहीं। श्री गेंदा सिंह जी गन्ने वाले मसले को लेकर बह गये। हम भी चाहते हैं कि गन्ने का भाव २ रुपये हो जाय। हम आपकी राय से इत्तिफाक रखते हैं, यह खुली हुई बात है, यह आप जानते हैं लेकिन वह उत्तर प्रदेश की सरकार के वश की बात नहीं है केन्द्रीय सरकार के वश की बात है। लेकिन क्या बातें उसके अन्दर हैं वह हम जानते हैं लेकिन जहां तक गल्ले की बात है उसमें हमारी आपकी दो राय नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि खाद्य परिस्थिति जो है वह पिछले वर्षों से अच्छी है और कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हम बहुत परेशान हो। हमारी सरकार के पास इतना गल्ला है कि वह प्रदेश के लोगों को ऐसे समय में बचा सकती है। लेकिन भगवान न करे ऐसा समय आवे जिससे हम दाने दाने के लिये परेशान हों।

श्री गेंदा सिंह---श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मैंने कभी यह नहीं कहा कि जिन सदस्य के क्षेत्र में अगर ज्यादा दूकानें खोल दी गयी हैं तो उनको हटा दिया जाय न कभी मेरा यह मंशा है कि उस प्रबन्ध में कमी हो लेकिन वही कसौटी सब के लिये रखी जाय जो दूसरे लोगों के लिये भी हो और दूसरे क्षेत्रों में भी उसी तरह की वितरण की व्यवस्था की जाय।

राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से इस गम्भीर विषय पर वाद-विवाद सुन रहा था और इस आशा से सुन रहा था कि इसमें वैयक्तिक कटुता या वैयक्तिक आक्षेप या किसी की ईमानदारी पर आक्षेप नहीं होंगे परन्तु मुझे बड़ा दुख है कि इस वादविवाद में कटुता आ गयी है। मैं किसी की ईमानदारी पर शक नहीं करता। आप भी चाहते हैं कि हमारे प्रान्त की खाद्य समस्या हल हो और हम भी चाहते हैं कि हमारे प्रान्त की खाद्य समस्या हल हो लेकिन अगर किसी की ईमानदारी पर आक्षेप किया जाय मैं समझता हूं कि यह बड़े दुख की बात है।

मैं तो श्रीमन्, यह समझ रहा था कि इस सरकार की ओर से अपनी खाद्य नीति की सफलता का विश्वास प्रकट किया जायगा। उस विश्वास को दिखाने की दृष्टि से आज मंत्री महोदय की ओर से प्रस्ताव आयेगा कि यह सदन सरकार की खाद्य नीति का समर्थन करता है। लेकिन श्रीमन् वास्तविकता यह है कि मंत्री महोदय को भी विश्वास अपनी खाद्य नीति की सफलता पर नहीं हैं। यह अगर होता तो इस प्रकार का प्रस्ताव निश्चित आया होता। प्रस्ताव का न लाना और केवल स्टेटमेंट पर ही विवाद को समाप्त करा देना इस

बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकारी पक्ष को भी, माननीय मंत्री जी को भी, अपनी नीति की असफलता पर विश्वास है, सफलता पर विश्वास नहीं है। श्रीमन्, इस खाद्य समस्या के बारे में संपूर्ण दृष्टियों से विचार होना चाहिये था। केवल उस क्षेत्र में इतनी दूकानें खुली हैं, इस नगर में इतनी दूकानें खुली हैं, केवल यही खाद्य समस्या का हल नहीं है। प्रदेश की अन्न समस्या में कृषि समस्या भी निहित है और मुझे आशा थी कि हमारे कृषि मंत्री जी भी सदन में इस समय विद्यमान होते। और कुछ नहीं तो इस विषय में अपने विचार तो हम लोगों के सामने इस पहलू पर रखते। लेकिन श्रीमन्, क्या प्रकाश डालें? जिन सज्जन के पास स्वयं और वास्तव में प्रकाश नहीं है वह क्या प्रकाश डालें? इसीलिये चुप रहना ही अच्छा है और उनका यह चुप रहना ही उनकी उस प्रकाशहीनता का द्योतक है। फिर हम उनसे क्या आशा कर सकते हैं?

बार-बार इस प्रांत में और इस सदन में यह कहा गया कि हमारे यहां खाद्यान्न इतना उत्पन्न हुआ है कि हम आत्म-निर्भर हो गये। राज्यपाल के संबोधनों में भी यह बात कही गयी। बार बार मुख्य मंत्रियों ने अपने भाषणों में इस बात को कहा। लेकिन आज हमारी वह आत्म-निर्भरता कहां गयी? क्या वह केवल प्रचारमात्र था? क्या वे तथ्य और सत्य से परे की बातें न थीं? कहा गया कि बम्पर क्राप हुई। बड़ा आनन्द का विषय है। लेकिन आज फिर यह समस्या क्यों आ खड़ी है? आपकी आत्म-निर्भरता और बम्पर क्राप कहां गयी? श्री अजीत प्रसाद जैन ने अपने भाषण में कहा है कि पिछले ५० वर्षों में इतनी भीषण सूखे की साइकिल नहीं आयी जब कि सन् ५७–५८ के बराबर भीषण सूखा पड़ा हो। यह विरोधाभास क्यों? प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार के मंत्रियों में यह विरोधाभास क्यों? इसलिये कि ढोल में पोल है? केवल शाब्दिक जंजाल है? शब्द जंजाल में फंसा कर मृग मरीचिका खड़ी की जाती है और सुखी और आनन्दित दिखाया जाता है। आप कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं? कैसे? आप कहते हैं खरीफ आन्दोलन करो, रबी आन्दोलन करो, और उस आन्दोलन का प्रभाव क्या है वह तो हम सब जानते ही हैं। समय पर जो चीज चाहिये वह मिलती नहीं है। जिनको आवश्यकता नहीं है उनको मिलती है और जिनको आवश्यकता है उनको मिलती नहीं है। अभी श्रीमन्, जौनपुर का प्रश्न उठा था। ४९८ बोरे चोरी से खाद्य भंडार से व्यापारियों के पास जा रहे थे। उस तथ्य को छिपाने के लिये उन्होंने कह दिया कि जांच हो रही है। लेकिन जो बोरे बन्द करके रखे गये हैं, दो महीने में वे मिट्टी हो जायेंगे और फिर किसानों के वे किस काम के रहेंगे? महीनों उस घटना को हो गये लेकिन पुलिस ने अभी जांच नहीं की है।

किसी को खाद बिना खेत के मिलती है और जिसको खाद की आवश्यकता है उसको मिलती नहीं है। मैं नाम लेना नहीं चाहता लेकिन उसका नाम बता सकता हूं। उनके पास आधा एकड़ जमीन है लेकिन जरा प्रभावी व्यक्ति हैं, नेता मंडली में हैं, उनको सैकड़ों बोरे खाद के दिये जाते हैं। आधे एकड़ में क्या सैकड़ों बोरे खाद पड़ेगी? और वह खाद ऊंचे दाम पर Black market में बेच दी जाती है। क्या कोई किसान ४०–५० रुपये के हिसाब की खाद डाल सकता है? श्रीमन्, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये इंटेंसिव फार्मिंग होना चाहिये था, सघनतम खेती के लिये किसानों को पर्याप्त साधन प्राप्त होने चाहिये थे। लेकिन वैसा कोई कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया गया। किसानों को सस्ते दाम पर जो फसल बेच देनी पड़ती है उसके लिये आपको मार्केटिंग सोसाइटीज बनाना चाहिये थीं। इसके अलावा रूरल क्रेडिट आर्गेनाईजेशन की भी आवश्यकता थी लेकिन उस ओर भी आपने कोई कदम नहीं उठाया। कोई प्रयास उस ओर नहीं हुआ। तो कैसे खाद्यान्न बढ़ेगा? और खाद्यान्न बढ़ेगा नहीं तो आपकी समस्या हल नहीं हो सकती। श्रीमन्, अभी हमारे मंत्री महोदय ने कहा कि हम सबसिडाइज्ड नहीं कर सकते हैं। यह तो श्रीमन्, ढाई वर्ष से मैं सदन में मांग करता आ रहा हूं कि खाद्यान्न की न्यूनतम प्राइस नियत होनी चाहिये, प्राइस सपोर्टेड पालिसी होनी चाहिये और श्रीमन् तर्क दिया जाता है कि हमारे पास साधन नहीं हैं। १२ अरब का गल्ला बाहर से मंगाने के लिये विदेशों को रुपया दिया जा सकता है लेकिन अपने

[राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे]

देश के बन्धुओं को, अपने देश के किसानों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिये सरकार २,४ या १० करोड़ रु० नहीं दे सकती तो यह मैं समझता हूं कि हमारे लिये लज्जा की बात है। श्रीमन्, एक बात और देखने में आती है। हमारे मित्रों ने कहा कि हम किसानों के लिये और समाज की भलाई के लिये बड़े प्रयत्नशील हैं लेकिन कभी यह विचार किया गया कि सारा आर्थिक उत्थान, सारा राष्ट्रीय उत्थान खाद्यान्न के ऊपर ही निर्भर है? आज जो हमारे कृषक हैं वे खाद्यान्न उत्पादन को छोड़ कर कैश क्राप की ओर भागते चले जा रहे हैं। आज हमारे सूबे के अन्दर कैश क्राप का उत्पादन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसका एकरेज बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से खाद्यान्न का एकरेज निकलता जा रहा है। यह क्यों निकलता जाता है? इससे यह सिद्ध है कि कैश क्राप से उनको ज्यादा पैसा मिलता है, इससे उनको ज्यादा मुनाफा है बनिस्बत अन्न पैदा करने के। इसलिये आवश्यकता यह है कि इस टेंडेंसी पर रोक लगावें जिससे लोग खाद्यान्न ज्यादा पैदा करें। इसके लिये आवश्यक यह है कि, खाद्यान्न का मूल्य कैश क्राप के मूल्य को ध्यान में रखते हुए नियत करना चाहिये। उसमें इतना अधिक अन्तर न होना चाहिये कि लोग खाद्यान्न बोने के लिये प्रोत्साहित न हों। जब गेहूं का दाम आप १३, १४ रु० मन निश्चित करेंगे तो उसे कोई बोने के लिये तैयार नहीं होगा जब कि वास्तविक लागत किसान की १६,१७ रु० मन के हिसाब से पड़ती है। ऐसी हालत में कोई भी किसान आपको गल्ला देने के लिये तैयार नहीं होगा। माननीय मंत्री जी ने अपनी ऐंटी होर्डिंग नीति की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि हमारी उस नीति का ही यह परिणाम है कि होर्डिंग होनी रुक गयी। लेकिन मेरा कहना है कि आपकी इस ऐंटी होर्डिंग नीति के कारण ही आज गल्ला किसान बाजार में नहीं ला रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि हमारा गल्ला कम दाम में ले लिया जायगा। इस तरह से आपकी इस नीति के कारण ही आज गल्ला दबा दिया गया है और वह मार्केट में नहीं आ रहा है। आज आप रोग को दबाने चले थे लेकिन वह दबने के बदले और बढ़ गया है। इसके लिये मैं तो यही कहूंगा कि भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे, इसके सिवा मैं दूसरा और क्या कहूं?

जहां तक खाद्यान्न के प्रोक्योरमेंट का पहलू है उसके आधार पर स्टेट ट्रेडिंग की असफलता को सेंटर के खाद्य मंत्री ने स्वीकार किया है। जनसंघ ने बराबर स्पष्ट कहा है कि स्टेट ट्रेडिंग के लिये आवश्यक है कि हमारे पास ट्रेड परसोनेल हों और इकोनामिक व्यापार हो। क्या हमारे पास इस प्रकार के साधन हैं कि जिससे हम स्टेट ट्रेडिंग को सफल कर सकते हैं? इसकी सफलता के लिये आवश्यक है कम्पलीट राशनिंग और कम्पलीट कंट्रोल। न हमारे पास इतने वेयर हाउसेस हैं, न खरीदने के लिये इतने workers हैं, तो उसके चलाने के लिये एक स्टेट्यूटरी बाडी स्टेट ट्रेडिंग को रन करने की दृष्टि से बना लें जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल ढंग को न रखते हुए सहयोग Business lines के ढंग से रन की जा सके, जो राजनीतिक प्रेशर पर नहीं बल्कि केवल आर्थिक प्रेशर पर चलती तो कुछ बात समझ में आती। परन्तु स्टेट ट्रेडिंग का फल क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो गल्ला आने वाला था वह भी गायब हो गया और जिन के हित के लिये आप ने एक काम को शुरू किया उन का अहित हुआ और जो जनता के खून से खेलने वाले गल्ले के चोर थे उनका हित हुआ है इस स्टेट ट्रेडिंग से ब्यूरोक्रेसी से इस तरह की चीज को चलाया जायगा तो वह असफलता को एक न्योता है।

मैं केवल एक ही इशारा करूंगा कि आज चीनी के दाम इस सूबे में बढ़ाने की जिम्मेदारी किस की है, मंत्री जी भी जानते हैं कि एक सज्जन जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, सब जानते हैं, स्कीम के बाद स्कीम वह लाये और रद्द करते चले गये और इधर चीनी के दाम बढ़े और कारण यही था कि उन का गठबंधन था चीनी के मिलमालिकों से, बड़े बड़े मुनाफे कमाये गये लेकिन न सरकार, न केंद्रीय सरकार का मंत्रिमंडल और न यह मंत्रिमंडल इस चीज को रोक सका। इसलिये स्टेट ट्रेडिंग भी अगर हो तो जनहित की दृष्टि से होना चाहिये। इस

का एक दूसरा पहलू और है कि जहां ब्यूरोक्रेसी हो वहां पूरा स्टेट कंट्रोल हो। हमें अपने यहां किस प्रकार की समाज रचना करना है ? क्या हम अपने राज्य के व्यक्ति-व्यक्ति को सरकारी अधिकारियों का गुलाम बनाना चाहते हैं कि हर बात के लिये सुबह से शाम तक फरमान निकला करें कि आज ऐसे सोओ, ऐसे जागो, यह खाओ, यह करो और अगर फरमान के अनुसार नहीं करोगे को दंड मिलेगा। क्या इसी तरह से आप अपने यहां स्वतंत्र, साधन सम्पन्न, पुरुषार्थी और कर्मठ व्यक्तियों का और चरित्र का निर्माण करेंगे ? किस प्रकार का सृजन आप चाहते हैं ? प्रश्न तो यह है कि "Whether the man is to be the slave of the State or the State is to be an instrument to protect the man" ? यदि आप अपने यहां स्टेट ट्रेडिंग को चलाना चाहते हैं तो अन्त में आपको अवश्य ही पूरे प्रोक्योरमेंट की तरफ जाना होगा। (लाल बत्ती जलने पर) मुझे श्रीमन ५ मिनट और दे दें।

श्री अध्यक्ष—बस मैं २ ही मिनट और दे सकता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—आपको उस हालत में किसानों से जबरन वसूली करनी होगी। दुनिया के एक ही देश में कम्पलसरी प्रोक्योरमेंट की मिसाल मिलती है और उस के लिये न मालूम वहां कितने लाख किसानों को गोली मारी गई, या तो आप को भी उसी सीमा तक जाना होगा और अपने अहिंसा के सिद्धांत को त्याग कर हिंसा करनी होगी या आप को स्टेट ट्रेडिंग की नीति को छोड़ना होगा। हमने पहले भी कहा था कि जो हमारे जन संघ की नीति है कि आप एक तरफ बफर स्टाक बनाइये और दूसरी तरफ नार्मल ट्रेड चलने दीजिये और आप का वह बफर स्टाक इतना हो कि सब प्रकार की आपत्ति के बाद भी आप साल भर तक प्रदेश के लोगों को गल्ला दे सकें और आराम से खिला सकें। इतना बड़ा बफर स्टाक आप बनायें। आप को आश्चर्य होगा यह जानकर कि इजिप्ट बहुत पुराना देश है, वहां पर आज से ३,००० वर्ष पूर्व फेरो के जमाने में ७ साल तक लोगों को बफर स्टाक के भांडारों से खिलाया गया। कहा जाता है जब मोजेज ने क्रुद्ध होकर curse किया कि ७ साल तक पानी नहीं बरसेगा तो अकाल के समय सारे राज्य को ७ वर्ष तक गल्ला बफर स्टाक से खिलाया गया। हमारी सरकार सवा लाख टन के स्टाक पर गर्व करती है, यह उनका टोटल प्रोक्योरमेंट है परन्तु आज से ३,००० वर्ष पहले एक पुराने राज्य ने जिस को आज के सभ्य लोग असभ्य युग कहते हैं उसने ७ साल तक लोगों को अपने बफर स्टाक से खिलाया और एक आदमी को भी भूख से नहीं मरने दिया। आज यह बड़ा सभ्य राज्य, बड़े साधनों से युक्त राज्य का सवा लाख टन का स्टाक है जिस पर उन्हें बड़ा गर्व है जब कि आज ३–४ लाख टन की प्रदेश की आवश्यकता है, यानी आप एक तिहाई भी स्टाक नहीं कर पा रहे हैं, यह आप के प्रोक्योरमेंट की हालत है। इस में कोई दुराग्रह करने की बात नहीं है। सरकार अपनी गलत नीति को छोड़े। गलत नीति के कारण ही आज हमारे सामने असफलता खड़ी हुई है। कब तक हम उस को सफेदी से धोते रहेंगे ? कब तक हम इस तरह के अस्थायी हल निकालते रहेंगे ?

जहां तक वितरण का संबंध है, मैं उसके ब्योरे में नहीं जाऊंगा कि कहां सस्ते गल्ले की दूकानें खुलीं या नहीं खुलीं, वह बहुत झंझट की बात है, बहुत से लोग कह चुके हैं। मैं केवल दो बातें और कहूंगा। आज के समाचारपत्रों में है कि कानपुर में सड़ा हुआ आटा सस्ते गल्ले की दूकानों पर मौजूद है। यह इनके डिस्ट्रीब्यूशन के भीषण पराक्रम का फल है। पहाड़ खोदा और मरी हुई चुहिया निकली। यह मजाक है या डिस्ट्रीब्यूशन है ? सस्ते गल्ले की दुकानों की बात लीजिये। श्रीमन्, मैं आरोप लगाता हूं कि पोलिटिकल प्रोटेक्शन के आधार पर बांटी गई है। नियम है पोलिटीकल सफरर्स को दूकान दी जाय। लेकिन वह दूसरों को दी गई हैं और उसमें मुनाफे पर शेयर लिया जा रहा है। दुकानदारों से हजार, दो हजार, तीन हजार स्माल सेविंग्ज में जमा कराया जाता है। दुकानदारों को २०० रुपया ईमानदारी से मुनाफा होता है और अगर वह हिस्सा देता है तो वह जरूर ब्लैक मार्केटिंग करेगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस गलत नीति को छोड़ कर वास्तविक नीति के आधार पर काम करे।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द (जिला आगरा)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार आज खाद्य समस्या के बारे में यहां विवाद चल रहा है इस सदन में कई बार मैंने इस समस्या के बारे में विचार चुने हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है। मैं आपके द्वारा सदन के सामने कुछ सही तथ्य रखना चाहता हूं और साथ ही साथ यह आशा भी सरकार से करता हूं कि वह उस बात की जांच करेगी जिसके लिये मैं पहले भी सदन में निवेदन कर चुका हूं। आगरे जिले में चावल और चीनी की स्मगलिंग हो रही है। उसके साथ ही साथ राज्य सरकार की अन्न व्यापार योजना को सरकारी कर्मचारी व्यापारियों से मिल कर फेल कर रहे हैं, कहा जाता है कि मंडियों में गेहूं की आमद बन्द है, गेहूं किसानों ने रोक लिया है लेकिन बात ऐसी नहीं है, गेहूं मंडियों में आ रहा है और छुपाया जा रहा है। अगर आप सहयोग दें तो मैं आपको बता सकता हूं कि गेहूं कहां छिपा हुआ पड़ा है।

मान्यवर, मुझे इस बात का बेहद दुख है कि विरोधी दल जो कि इस प्रदेश की जनता ने ही इस सरकार के लिये आइने के रूप में यहां पर भेजा है उसका आज तक इस २॥ साल के समय में मैंने अपमान ही देखा। कोई भी सुझाव दिया गया हो, लेकिन उसका उपहास ही किया गया। मैं बताना चाहता हूं सरकार को कि अभी हाल में उसे एक जबरदस्त चेतावनी मिल ही गई है। अब थोड़ा ही समय है, अगर आपने गंभीरतापूर्वक इस समस्या पर विचार नहीं किया तो इस खद्दर की खाल में इन कुर्सियों की प्राप्ति आपको हरगिज नहीं होगी।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों और इस लोक प्रिय कही जाने वाली सरकार को बताना चाहता हूं कि उत्पादन और वितरण खाद्य समस्या के दो मुख्य पहलू हैं और सबसे प्रथम पहलू उत्पादन का है। इसकी ओर आज तक इस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कई माननीय मंत्री इस सदन में कृषि से संबंध रखने वाले हैं। माल मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, सिंचाई मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं और विकास मंत्री हैं। मैंने पहले भी कहा कि जब तक इन में सामंजस्य नहीं होगा तब तक किसानों की समस्या हल नहीं होगी। मैं कई बार सिंचाई मंत्री, माल मंत्री और कृषि मंत्री के पास पहुंचा और मैंने लिखा भी तो मुझे उत्तर मिला कि यह चीज सिंचाई मंत्री से संबंधित है और वह कहते हैं कि माल मंत्री से संबंधित है।

मेरे जिले में तहसील किरावली में २८ ड्रेंस बनने को थीं और कई साल से माननीय सिंचाई मंत्री, माल मंत्री और विकास मंत्री महोदय के सामने यह समस्या बार-बार लायी गयी। इस सदन में भी अवसर मिला वहां की कठिनाइयों को सामने रखने का। लेकिन मुझे जो दुख है वह मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं। मंत्री जी जरा बातें बन्द कर दें, आप की भी जिम्मेदारी है कि यह देखें कहां-कहां, किस-किस जगह पैदावार की कमी क्यों हुई है। केवल वितरण की जिम्मेदारी को ही लेकर सुबुकदोष होने की बात न सोचिये। आप देखें किस क्षेत्र में, कहां पर, किस किस वजह से पैदावार में कमी है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जितने नाले बनने वाले थे उनकी दशा क्या है, वह इनकम्पलीट पड़े हुए हैं, सिंचाई विभाग के कर्मचारी लूट रहे हैं। जो काम हुआ है वह आज भी मौजूद है अगर मुझे थोड़ा समय दें तो मैं दिखा सकता हूं। किस तरह पैदावार हो सकती है, किसान चिल्ला रहा है हमारे खेतों में से पानी निकाला जाय। समस्या हल हो सकती है लेकिन कोई ध्यान दिया नहीं जाता।

श्री अध्यक्ष--आपने यह इच्छा प्रकट की थी कि जो तस्कर उद्योग चल रहा है उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं इसीलिये मैंने आपको मौका दिया।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द--मान्यवर, यह खाद्य समस्या से ही संबंधित था इसलिये मैंने कह दिया। अब मैं यह कहना चाहता हूं कि तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार को जो कदम उठाना चाहिये आज एक ही वर्ग को मौका मिल रहा है, वह मालदार बनता चला जा रहा है। सरकार उनके खिलाफ कदम नहीं उठा रही है। एक ठेले में चावल के ८० बोरे आते हैं जिसमें १,००० रु० की बचत होती है। आज आगरे से राजस्थान गल्ला जा रहा है।

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि आगरे में चावल भेजने की क्या जरूरत पड़ती है। मैं जानना चाहता हूं इंटर स्टेट जो प्रतिबन्ध लगा रखा है कि राजस्थान में चावल नहीं जा सकता फिर भी वहां चावल क्यों आप आगरे से भेज रहे हैं ? सरकारी कर्मचारी व्यापारियों से मिले हुए हैं, वह मामला अदालत में चल रहा है इसलिये मैं उस पर कुछ अधिक नहीं कहना चाहता और न मैं अपने बचाव की बात करना चाहता हूं। लेकिन मेरे साथ वह गरीब भी पिस रहे हैं जिनके पास एक पाई भी नहीं है। अगर मैं बदमाश हूं सरकार की नजर में तो मुझे जेल में रखा जाय, फांसी दी जाय, मैं खुशी से उसको स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मुझे अफसोस है राम राज्य कहलाने वाली सरकार को इतना तो सोचना चाहिये था कि मुकदमा चलाने से पहले यह जांच की जाती कि मामला क्या है। अफसरान ने जा कर वहां डंडे चलाये और एक स्थान पर जहां चावल, चीनी वगैरह चोरी का रक्खा हुआ था उसको हमने चाहा सरकारी कर्मचारी पकड़ें, लेकिन उसको पकड़ने के बजाय सरकारी कर्मचारियों ने हमारे ऊपर डंडे चलाये, मुकदमा चलाया और उन्होंने इस बात की तकलीफ गवारा नहीं की कि उस माल को पकड़ते। और पुलिस के पहरे में ही वह माल गया और उसका अंजाम हमें भोगना पड़ रहा है। तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वे खाद्य समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो इस तस्कर व्यापार को रोकें जो अब भी हो रहा है। आप इस बात के लिये खुश न हों कि अनाज कुछ सस्ता हो गया। थोड़े ही दिन के बाद आप देखेंगे मंहगाई किस दर्जे पर पहुंचती है, जनता को परेशानी होगी। आप डींग मारते हैं कि सस्ते गल्ले की दूकानें खोल रखी हैं। जनता ने चावल पकड़ा और उसका नतीजा यह निकला कि राजस्थान में जाकर उन ठेलों के भरतपुर और धौलपुर के परमिट बनवाये गये उस चोरी को छिपाने के लिये। आगरे में एक सब-इंसपेक्टर की आमदनी २,००० रुपये रोज से कम नहीं है। जिलाधीश, एस० एस० पी० जो मौजूद हैं और श्री जोशी जो ट्रांसफर हो कर चले आयें सबसे मैंने इस बात को कहा, उनके नोटिस में लाया लेकिन आज तक उन्होंने कोई परवाह नहीं की।

श्री अध्यक्ष---आप किसी का नाम लेकर हमला न कीजिये।

स्वामी विश्वेश्वरानन्द---मैं नाम नहीं लेना चाहता और अगर मैंने नाम ले दिया है किसी का भूल से तो मैं उसको वापस लेता हूं। मैं उन अधिकारियों की तरफ इशारा कर रहा हूं जो जिम्मेदार कहे जाते हैं उनके नोटिस में कई बार यह बात लायी गई। एक अधिकारी ने मुझ से यह कहा कि सदन में आप क्यों नहीं इस बात को कहते कि चावल आगरा क्यों भेजा जा रहा है। हमने कहा कि बार-बार कहा, अगर आप इसको जुर्म समझते हैं तो आप उसको रोकें। उसका कोई परिणाम नहीं निकला और उल्टे हम पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं।

***श्री दीनदयालु शर्मा** (जिला बुलन्दशहर)---अध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या हकीकत में इन्सान की मौत और जिन्दगी की समस्या है। हम समझते हैं कि जब हम जनता के नुमायन्दे हो कर यहां पर आते हैं और प्रदेश का शासन चलाते हैं तो उनके जीवन की रक्षा का भार हमारी जिम्मेदारी है और हमें विचार करना चाहिये कि कैसे सुचारु रूप से उसे चला सकते हैं। इस समस्या पर विचार करने के लिये कितने ही अवसर आये और आज भी हम उसी पर विचार कर रहे हैं। आज जब हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि क्या हम में गम्भीरता है। तब हमारा ध्यान उन प्रतिनिधियों की तरफ जाता है जो हमारे विरोधी भाई हैं, वे १४४ की तादाद में होते हुए भी केवल १५-२० की तादाद में इस समय मेरे सामने बैठे हैं। अगर यह समस्या एक गम्भीर समस्या होती तो डेढ़ लाख जनता द्वारा चुन कर आये हुए केवल १५-२० की तादाद में ही हमारे विरोधी भाई यहां न बैठे होते। यहां कभी खाद्य समस्या हुआ करती थी और उसके साथ प्रदर्शन भी हुआ करते थे और बालक लाकर यहां बिठा दिये जाते थे। हमारे भाई गेंदा सिंह जी उसमें बहुत हिस्सा लेते रहे और मैं उनकी सराहना करता हूं कि वे इस मामले में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। पंत जी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दीनदयालु शर्मा]

के जमाने में हम यहां बालकों को बैठे हुए देखते थे और वे बालक ऐसे होते थे कि उनकी तरफ देखते ही बनता था। मगर आज वे सब समस्यायें कहां हैं? आज क्या हम हकीकत में कह सकते हैं कि उस समस्या को लेकर आये हैं या हम केवल एक वाग्युद्ध करना चाहते हैं और अपने प्रदेश के अन्दर एक खाई पैदा करना चाहते हैं जिससे लोगों के अन्दर एक निराशा पैदा हो और उनकी हिम्मत पस्त हो जाय? इस तरह की बातें करना हम प्रतिनिधियों के लिये उचित नहीं है। अगर हकीकत में यह समस्या होती तो मैं गेंदासिंह जी से एक बात कहना चाहता हूं और पहले भी मैंने इल्तजा की थी कि जो भी थोड़ी बहुत खाद्य समस्या है वह प्रयत्न करने से हल हो सकती है। मैंने कहा था कि प्रदेश के दो तिहाई या इससे भी ज्यादा हिस्से में जो पावर वाले हैं, राजा, महाराजा, ब्राह्मण, ठाकुर और लाला लोग हैं वे खुद खेती नहीं करते मगर खेती रखते हैं। आप यह प्रचार करिये कि वे भी जा कर कमावें। वे दूसरों की कमाई खाते हैं, उनका हिस्सा लेते हैं और यहां आकर खाद्य समस्या की बातें करते हैं। माननीय गेंदा सिंह जी ने उस समाज को सुधारने के लिये कितनी मीटिंगें कीं?

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या किसी सदस्य का किसी जाति विशेष पर आक्षेप करना उचित है?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने किसी जाति पर आक्षेप नहीं किया है, बल्कि जातियों को सही रास्ता बतलाया है।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री अध्यक्ष—कोई नहीं, आप कृपा करके बैठिये।

श्री दीनदयालु शर्मा—श्रीमन्, मैंने थोड़ी-सी बात आपके सामने रखी जिससे प्रदेश की यह समस्या हकीकत में हल हो सकती है। मैं उस कमेटी से कहूंगा जो प्रदेश की एडवायजरी कमेटी है, जिसमें हमारे भाई त्रिलोकी सिंह जी भी हैं कि इस बात को सरकार के सामने रखें कि समाज में नई प्रवृत्ति लाना है अगर समस्या को हल करना है। पर श्रीमन्, कोई समस्या है? आज इतना है कि एक दिन के सेशन के लिये १० हजार रुपया खर्च होता है और हम देखते हैं कि आज विरोधी दल वालों की बेंचेज खाली पड़ी हैं तो कौन-सी समस्या है? मैं श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भाइयों को सहयोग करना चाहिये था। श्रीमन्, मैं केवल एक घटना बताना चाहता हूं। हमारे यहां अनाज ३० रुपये मन बिक रहा था। वह मार्च के महीने में १६ रुपये मन तक आ गया। जिस समय किसानों की फसल आ गई थी और गाड़ियां आ रही थीं और हालत यह थी कि १२ रुपये मन तक गल्ले के आ जाने का अन्दाजा था, लेकिन सरकार ने एक आर्डर निकाल दिया कि १४ रुपये मन वह खरीदेगी।

अध्यक्ष महोदय, गौर करें कि ३० रुपये मन से अनाज का भाव १६ रुपये तक आ गया उस समय तक तो गाड़ियां बराबर आती थीं लेकिन जब १४ रुपये हो गया तो किसानों ने गल्ला लाना रोक दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि दो रुपये मन कम होने पर गाड़ियां बन्द हो गयीं। यह देखने की जरूरत है कि इसके पीछे क्या बात है? बात यह थी कि हमारे भाई घरों से निकल पड़े और गांव-गांव में जाकर प्रचार करने लगे कि गल्ला तेज होगा, इसलिये बाजार में मत ले जाओ और सरकार से तेज कराने की कोशिश करो। मैं अपने जिले की बात जानता हूं। इस तरह से हमारे भाइयों ने प्रचार किया। इस तरह से वह देश की भलाई करने के लिये लगे हुए हैं। श्रीमन्, हकीकत यह है कि.....

श्री अध्यक्ष---आप का समय समाप्त हो गया। माननीय खाद्य मंत्री।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमान् जी.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर बैठें। (माननीय मंत्री जी से) आप जारी रखें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने....

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, सदन की मर्यादा के खिलाफ चीज है मेरा व्यवस्था का प्रश्न इतना कमजोर है कि सुना नहीं जाता है। आपके हाथ में सदन की बागडोर है....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर बैठ जायं।

श्री टीकाराम पुजारी---श्रीमन्, आप ही इस सदन के सरकार हैं। मेरे प्रस्ताव पर भी आप को खयाल करना चाहिये। मैंने कल कहा था कि हमको समय नहीं मिलेगा और आगे वाले नेता लोग समय ले जायेंगे। श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि सदन का एक घंटा समय बढ़ा दिया जाय और मुझे १५ मिनट मिलने चाहिये। श्रीमन्, नेता लोग....

श्री अध्यक्ष---जी नहीं, आप कृपा कर बैठें।

श्री टीकाराम पुजारी---मेरा प्रस्ताव है श्रीमन्, कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं। (खाद्य मंत्री से) आप जारी रखें।

*श्री जगमोहनसिंह नेगी---अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है धन्यवाद देता हूं। उन्होंने अपने सुझाव भी दिये और मैं उन सुझावों को बड़े गौर से सुनता भी रहा। माननीय यादवेन्द्रदत्त जी ने एक प्रश्न उठाया कि अगर मुझे अपनी नीति पर भरोसा होता तो मैं इसे प्रस्ताव के रूप में लाता। जैसा कि अध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय था कि इस तरह से होगा। मैंने उसी परम्परा के मुताबिक रखा। वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं थी।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप मुझे बीच में न लायें, क्योंकि आपकी इच्छा पर ही सब बात निर्भर थी।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आपने एडजर्नमेंट मोशन के वाद विवाद को....

श्री अध्यक्ष---उनका मतलब यह था कि आप यह भी प्रस्ताव उपस्थित कर सकते थे कि आपकी खाद्य पालिसी सही है और उसको सदन एप्रूव करता है। यह प्रस्ताव आप ला सकते थे। यही उनका मतलब था।

श्री त्रिलोकीसिंह---अध्यक्ष महोदय, मैंने कल स्वयं माननीय खाद्य मंत्री से कहा था कि उनको प्रस्ताव लाना चाहिये दैट दिस हाउस एप्रूव्ज दि फूड पालिसी आफ दि गवर्नमेंट। उन्होंने कहा नहीं लायेंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मैंने यह कहा था कि जो संसदीय परम्परा है उसके मुताबिक हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—दोनों प्रकार की परम्पराएं हैं।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैं इस विषय पर अधिक न कहते हुए यह निवेदन करूंगा कि भाषणों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आखिर हमारे विरोधी दल के सदस्य क्या चाहते हैं। मैं इसको टटोल रहा था। आखिर में मैं तीन बातों पर पहुंचा। जनसंघ तो कहता है कि स्टेट ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिये। झारखंडे राय जी ने कहा कि हाफ हार्टेड कर रहे हैं, पूरी तरह से करना चाहिये। त्रिलोकी सिंह जी ने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग कुछ नहीं। ५० लाख रुपया लगा दो तो सब काम बन जाय। राजनारायण जी ने कहा कि आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से नहीं।

बाकी माननीय सदस्यों ने कोई खास बात नहीं कही। छोटी-छोटी बातें कहीं-जैसे आटा सड़ा है, कहीं कुछ है। मुझे आपने केवल २० मिनट दिये थे। मैं २० मिनट में केवल वह चीजें कहना चाहता था जो परमावश्यक थीं। केवल एक मिनट मैंने दूकानों की संख्या के लिये लिया कि साढ़े चार हजार के लगभग आती हैं और साढ़े तीन हजार आज के दिन थीं। एक माननीय मित्र खास तौर पर प्रवचन कर रहे थे, शायद वह उपस्थित नहीं हैं। उनको मुझसे बड़ी निराशा हुई।

माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा कि वह कितना गेहूं दे रहे हैं, कितना आटा दे रहे हैं, कितना चना दे रहे हैं इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई बड़ी भारी नीति की बात सुनानी चाहिये थी। मैंने कुछ विषयों का जिक्र इसलिये नहीं किया कि मैं समझता था कि माननीय सदस्य जानते हैं। माननीय त्रिलोकी सिंह ने यह भी कहा कि मैंने पहले यह कहा कि भाव का निर्धारण १३, १४, १५ केन्द्रीय सरकार ने किया और आज मैंने कहा कि मैंने किया। मैं समझता था कि इन बातों को माननीय सदस्य जानते होंगे। कई बार मैंने इन बातों को दोहराया है। मैंने आज भी दोहराया जहां तक मूवमेंट का ताल्लुक है, जोन्स का फार्मेशन है, भाव का निर्धारण है, हम किसी चीज में स्वतंत्र नहीं हैं। हम स्वतन्त्र केवल वितरण की व्यवस्था में हैं। मैंने केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद इसलिये दिया कि हमारी एडवायजरी हैसियत होते हुए भी वह हमारी बहुत-सी बातें मान लेती है। दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें हैं इसलिये जो कुछ निर्णय वह करते हैं उनको हम अपना मानते हैं। इसलिये मैंने कहा जो भाव उन्होंने १३, १४, १५ निर्धारित किये थे, वह हमने निर्धारित किये। हमारी कोई राय रही होगी। वह गोपनीय है। उसको बताना मैं मुनासिब नहीं समझता।

माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि ५० लाख रुपये में सब काम हो जायगा। २९–३० करोड़ रुपये में तो केवल दो-तीन लाख टन की हेराफेरी कर पाते हैं। इंडिजिनस और इम्पोर्टेड दोनों को मिलाकर २९ करोड़ के करीब हिसाब पड़ता है और वह ५० लाख में पूरी स्टेट ट्रेडिंग करवा देंगे। (व्यवधान)

खैर, सौ करोड़ की बात मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने ५० लाख अन्त में कहा। अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस पार्टी का एक भी सदस्य अगर इसको कह दे, बहुमत इस बात को कह दे कि हमारी नीति फेल हुई है और हम गलत कर रहे हैं, तो मैं पहला आदमी हूंगा जो इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन ऐसों के हाथ में मैं इस चीज को नहीं छोड़ना चाहता जो ५० लाख में ९ लाख टन का हिसाब कर देंगे। ९ लाख तो बड़ी बात है एकाध लाख टन का भी नहीं कर सकेंगे। तो मैं इस बात को नहीं मानता। बहरहाल, बगैर इस चैलेन्ज के दिये हुए मैं कहना चाहता हूं—माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि जैन जी ने बहुत पाप किये थे, मैंने कम पाप किये हैं, मैं कहता हूं कि मैंने रत्ती भर भी पाप नहीं किया है और न जैन जी ने कोई पाप किया है। तो मैं बगैर किसी चैलेन्ज के कहता हूं कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी अगर हमारी सरकार को ५० लाख रुपये में वह करामात समझा देंगे तो मैं सबसे पहले उसको अपना लूंगा।

पालीवाल जी ने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल ने पास कर दिया और हमने उसको तोड़-मरोड़ दिया, गोकि वह खिलाफ हैं स्टेट ट्रेडिंग के। मैं यह कहता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह सब तय करके भेजा कि एकदम से हमें स्टेट ट्रेडिंग का रूप नहीं दे देना है। अभी आवश्यकता इस चीज की नहीं है और न इसके लिये खुद वह कहते हैं। जैसा कि दुबे जी ने कहा कि ट्रेन्ड परसनल नहीं हैं और फिर इसके अलावा कहा गया कि सड़ा हुआ आटा बिकता है और तमाम खराबियां बतलाई गईं। मैं पूछता हूं कि आज यह गवर्नमेंट न रहे, कांग्रेस गवर्नमेंट छोड़ दे, और वह अगर आयेंगे तो कहां से आदमी लायेंगे, कैसे करायेंगे? आदमी तो यही रहेंगे। क्या उनके लिये संविधान बदल जायगा और सूखी फांसी वह उनको दे देंगे। तो मैं कहता हूं कि सिवाय बात बनाने के और कोई चीज नहीं है।

स्टेट ट्रेडिंग का जहां तक सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट की यह नीति है। हमारी नीति नहीं है स्टेट ट्रेडिंग की। प्राविन्स उसके लिये स्वतंत्र नहीं है। हमको तो जो डाइरेक्शन उन्होंने दिया उसका पालन करना और सफलतापूर्वक पालन करना हमारा कर्त्तव्य और धर्म है और वह हमने किया। रहा यह कि जितना अन्न प्रदेश में पैदा होता है, प्रोड्यूसर जितना पैदा करता है सब लेकर बैठ जायं, तो एक नेता तो कहते हैं कि आप सारा ले लीजिये। यह डेढ़ परसेंट से कौन-सी दूकानदारी कर रहे हो। इससे कहीं प्राइस का कन्ट्रोल हो सकता है। दूसरे नेता कहते हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं? फ्री ट्रेडिंग होनी चाहिये। तो मैं यह कह रहा था कि आपका कहना ठीक है कि वेयर हाउसेज नहीं हैं, और भी पचासों चीजें हैं। वास्तविकता और व्यावहारिकता को देखते हुए नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल ने स्टेट ट्रेडिंग को स्टेज बाई स्टेज लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से विकसित रूप इसका उस रोज होगा जिस रोज कि सर्विस कोआपरेटिव्ज बन जायंगी और मार्केटिंग सोसाइटियां तैयार हो जायंगी। उस रोज पूरी तरह से स्टेट ट्रेडिंग हो सकती है। अब रहा यह कि.. (व्यवधान) ...देखिये मेरा वक्त बहुत कम है, मैं आपको बताता हूं कि आप देखते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग का एक नारा मात्र था और वह जब जनता के साथ में घोर अन्याय हो रहा था, कन्ज्यूमर्स को बड़ी तकलीफ़ हुई तो जवाहरलाल जी ने उन पीड़ितों की आवाज को प्रतिध्वनित किया कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो हम सब स्टेट ट्रेडिंग कर लेंगे। उसी को लेकर नारे लग रहे हैं कि स्टेट ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहे हो। स्टेट ट्रेडिंग का तो यह था कि स्टेज बाई स्टेज उसको करना था। स्वराज्य के माने भी तो यह नहीं है कि एक रात में स्वराज्य ले लें या रामराज्य एक दिन में आ जायगा। इसमें भी तो समय लगता है।

अफसोस मुझे इस बात का है कि हमारी इस परिस्थिति को कि हम किस कानूनी परिस्थिति में हैं कोई नहीं समझता। कहीं से हम मंगा नहीं सकते, इम्पोर्ट नहीं कर सकते, दूसरे जोन से नहीं मंगा सकते, यह सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। अपने बाजार से ही हम खरीद कर सकते हैं। त्रिलोकी सिंह जी ख्वामख्वाह मुझे गलत समझे। मैं कब कहता हूं कि हम सब-सिडाइज नहीं करना चाहते। मैं यह नहीं कह रहा हूं। बल्कि मैंने यह कहा कि इसका रिव्यू होने जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है, नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल सोच रही है और उसमें अगर यह तय हुआ कि सबसिडाइज्ड करे और बाहर से न मंगाया जाय तो उस बात पर जरूर अमल किया जायगा। वह इस बात को सोच रहे हैं। आप भी अपना जोर डालिये और उनको खबर दीजिये। अगर अपने काश्तकारों के लिये वह ऐसा कर दें, चाहे वह २० रुपये मन हो और चाहे २५ रुपये मन हो, तो उसी भाव पर वह बाजार से खरीद लेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि जिस तरह से स्टेट ट्रेडिंग के लिये कंट्रोल लगाने की बात की गयी है उसके लिये आज हर आदमी व्यापारियों का एजेन्ट बनकर स्टट ट्रेडिंग को फल करने में लगा हुआ है और खासतौर से हमारे भाई इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसलिये हमारी पालिसी के खिलाफ यह बात कही जाती हैं कि हमारे प्रान्त में ऐसा हुआ और बंगाल में ऐसा हुआ। उसको फेल करने के लिये यह बातें कही जा रही हैं जिससे १५ या १७ रुपये में अनाज खरीदकर ३२ रुपये में उनको बचने के लिये मौका हो जाय।

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

झारखंडेराय जी ने मुझे नहीं सुना। मैंने सुबह यह बात कही थी जिसका जिक्र झारखंडे राय जी ने किया और हमारी यू० पी० की उन्होंने बड़ी आलोचना की है। उन्होंने हमारे यहां की जो आलोचना की वह सही बात है और ठीक आलोचना की। हमको प्राइस कंट्रोल सख्ती के साथ करना चाहिये था और हमने किया भी। आगरा में हमने केवल ३१ केसेज चलाये और मैं बतलाऊं कि उन में १२ केसेज ऐसे हैं कि जिनमें सजा भी हो चुकी है। अभी प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में फीरोजाबाद का मामला हमारे पास आया था। उसके सिलसिले में कुछ लोग भी मिलने आये थे और उन्होंने बहुत कहा लेकिन हमने उनको भी नहीं छोड़ा।

झारखंडेराय जी ने कहा कि हमने कंट्रोल को इन्फोर्समेंट नहीं किया। हमने कंट्रोल को इन्फोर्स किया और बराबर इस पर निगाह रखते रहे हैं। यह तो उनके इन्टरप्रिटेशन की बात है। हमने उसको बिलकुल स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया है, लेकिन हमारे बहुत से दोस्त ट्रेडर्स को बहकाने में लग गये और काश्तकारों को बहकाना शुरू कर दिया कि तुम गेहूं रोक दो तो प्राइस बढ़ जायगी। अब मैं आपको इतमीनान दिलाना चाहता हूं कि प्राइस नहीं बढ़ सकती है। काश्तकार अब गेहूं रोक नहीं सकता है क्योंकि उसने मटर तो निकाल दी है, तो गेहूं को भी वह धीरे-धीरे निकालेगा। मैं नहीं कहता हूं कि हमारे यहां इस विषय में कोई आदमी सोया हुआ नहीं है। हम रात-दिन इस चिन्ता में हैं और देख रहे हैं कि क्या कमी है। जो कमी है उसको दूर करने के लिये बराबर चिन्तित हैं और वह कमी दूर हो रही है।

हमारे कुछ भाई उधर से यह चाहते थे कि मैं इस प्रकार की कोई बात कहता कि जो डिप्रेसिंग के रूप में हो और कुछ गिरी हुई बात हो कि हमारे यहां बिलकुल सत्यानाश हो गया है और बहुत आदमी मर गये हैं और जितने जिन्दा हैं वह भी मरने वाले हैं। जो वास्तविक स्थिति हमारे प्रदेश की है और जो वास्तविक स्थिति हमारे स्टाक की है, वह मैंने बताई। अभी हमारे पास मारकेट के लिये बहुत सरप्लस है जो देहातों से बाजार में नहीं आया है। जो गांव वाले इस्तेमाल करते थे अभी वह वहीं पर पड़ा हुआ है। पिछले साल देहातों से कुल गल्ला बाजार में आ गया था। अब की साल अभी देहात से गल्ला बाजार में नहीं आया है। इसलिये कोई भी बात घबराने की नहीं है और अगर किसी कारण से ऐसी बात हुई तो उसका डटकर मुकाबिला किया जायगा। जब मैंने १।। लाख टन स्टाक की बात कही उस समय यह भी कहा था कि ६० हजार टन हर महीने हमको केन्द्र से विभिन्न रूप में अनाज मिल रहा है। मैंने यह नहीं कहा कि स्टेट ट्रेडिंग हाफ हार्टेडली करें। यह पालिसी की बात हो सकती है। अगर सब स्टेट का कंट्रोल हो जाय और सब नेशलाइज हो जाय तो ठीक है। कोई ट्रेडर न रहे। अगर सेन्टर इस तरह की पालिसी तय करता है तो हम उसके साथ हैं और उसके लिये तैयार हैं। उनसे किसी तरह भी अलग नहीं हैं। उन्होंने इस बात को कहा कि किसी स्टेट में ज्यादा कीमत नहीं बढ़ी, लेकिन यू० पी० और बंगाल का नाम लिया। मैं भी मानता हूं कि १७, १८ रू० कीमत थी। झारखंडेराय जी ने कहा कि १ रुपया ७५ न० पै० या २ रुपये का फर्क है। मैं कहता हूं कि ६, ७ रुपये फी मन का फर्क है। मंडियों में वह अलग था।

अब रही प्रोडेक्शन की बात, इस समय मैं उसके ऊपर इतना प्रकाश नहीं डाल सकता क्योंकि मेरे पास समय सीमित है। प्रोडक्शन के सिलसिले में पिछले दो सालों में काश्मीर में बहुत डेवलपमेंट के काम हुए और इस साल प्रकृति ने सब पर पानी फेर दिया। अब आप पिछले साल की पश्चिमी जिलों की वाटर लागिंग की समस्या को ले लीजिये, पूर्वी जिलों की बाढ़ समस्या को ले लीजिये, मेरे जिले के कोटद्वार को ही देखिये, मेहनत की हुई चीज भी प्रकृति के प्रकोप से खराब हो जाती है। लोग तो कहते हैं कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिये कि जो प्रकृति को भी थाम दे, समुद्र की लहरों को भी आगे आने से रोक दे। आपका उत्पादन १० मिलियन टन से चल रहा है और १९५४-५५ में ११ मिलियन टन से भी ऊपर पैदा

हुआ इस प्रदेश में और उस साल प्राइस सपोर्ट देना पड़ा सरकार को किसानों को। आज लगभग उतना ही है और सेन्टर की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी उसने यह चार्ज लगाया है कि हमने प्राइस सपोर्ट के लिये कह दिया है कि किसानों का गल्ला १४ रुपये फी मन लेंगे। उसको अगर भय होता कि हमारा गल्ला ८, ९ रुपये मन में बिकेगा तो उसने अब तक निकाल दिया होता, लेकिन हमने मैक्सिमम प्राइस को मिनिमम और फ्लोर प्राइस की तरह से ट्रीट किया और उस के लिये परचे बटवाये। तो ऐसा करके काश्तकार के साथ क्या बुरा किया? काश्तकार को अगर १८, १९ रुपये मन का दाम मिल रहा है तो मेरी समझ से तो काश्तकार का फायदा ही हुआ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---हां, बहुत हुआ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आप काश्तकार हैं ही नहीं। जिसको इसमें उज्र हो यह स्पष्ट है कि वह काश्तकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---आपकी बात उनके हृदयंगम हो रही है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हां, हृदय से समर्थन कर रहे हैं। यह खुशी की बात है कि राजनारायण जी ने सब से पहले प्रवचन में यह बात कही कि शान्ति से काम लिया जाय, लेकिन बीच में गड़बड़ कर गये। एक कहावत है जिसको कहने का मैं लोभ नहीं संवरण कर पा रहा हूं। एक आदमी था, बहुत ऊटपटांग बकता था। मैं उनके लिये नहीं कह रहा हूं। वह गांव का आदमी था। किसी ने अपने मकान में प्रवेश का मुहूर्त रखा और खाने-पीने के लिये सब लोगों के साथ जब वह भी आया तब लोगों ने कहा कि इनको पहले ही खिला पिला कर विदा कर दो। जब वह खा पी चुके और जाने लगे तो कहा कि भाई, दरवाजा इतना ऊंचा रखना कि जिसमें से खड़ा मुरदा निकल सके। तो आखिर में उन्होंने दो-चार गाली दे ही दी। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उनकी बात से हमारा संकट टल गया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि आप गम्भीरतापूर्वक इस बात को दृष्टि में रखें और हमारी सीमाओं को देखें कि हम कुछ सीमाओं में बंधे हुए हैं और हमारा काम क्या है। जैसा मैंने कहा प्रकृति का प्रकोप हुआ। त्रिलोकी सिंह जी ने सुबह एतराज किया था कि भूप किशोर जी से बात कर रहे हैं। उस समय वह कह रहे थे कि १०,००० रुपया जो खर्च हो रहा है इस पर वादविवाद के लिये, वह क्या कोई समस्या भी है। खामख्वाह की यह सब पार्टीबाजी है। मैंने कहा कि आप जाइये, स्पीकर साहब नाराज हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसा आपने कहा, मैं स्टेट ट्रेडिंग के विरोध में नहीं हूं। मैंने कभी इस बात को नहीं कहा कि आप पूरी तरह इस बात का इतमिनान रखिये और अगर आपके कहने का मंतव्य यह था कि सब्सिडी देकर काश्तकारों का जितना भी गल्ला खरीदा जाय तो कोई हर्ज नहीं, और मुझे उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन यह तरीका सेन्टर अपनाये तो यहां भी हम अपना सकते हैं। सब जगह पैटर्न एक होना चाहिये। वहां देश और प्रदेश के बड़े-बड़े अर्थ शास्त्री इकट्ठे होंगे और इस पर निर्णय लेंगे। जो निर्णय उनका होगा उसे हमको कैरी आउट करना है।

जहां तक उसके डिस्ट्रिब्यूशन की बात है, आप कह रहे थे कि एक छोटी बात लेकर बैठ गये हैं। बड़ी समस्याओं की बात कही ही नहीं। तो मुझसे क्या चाह रहे थे, मैं कुछ समझा नहीं। जहां तक उत्पादन की बात है, मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया कि मैं अब भी मानता हूं कि हम निरन्तर आत्मनिर्भर रहे हैं। प्रकृति के प्रकोप से १४ परसेंट पिछले साल अन्न कम हुआ। इस साल कहते हैं कि १४ परसेंट ज्यादा हो गया, जैसा कि उपमंत्री ने कहा। तो हम उनके बढ़ते हुए भी आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं---प्रोडक्शन में भी। जहां तक फोर्ड फाउंडेशन का बताया, ५० लाख में उनके सजेशन को कैरी आउट किया जाना और पालीवाल जी जो बीच में कह गये कि हम स्टेट ट्रेडिंग के पक्ष में नहीं हैं फिर भी चाहते हैं कि डिस्ट्रिब्यूशन का दोष न रहे, तो हम उस दोष को दूर कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट हम काश्तकारों से कहां कर रहे हैं। हम

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

तो ५० परसेंट जो होल-सेल ट्रेड में आता है दूकानदार के पास, उसके हाथ से लेते हैं। होल-सेल ट्रेडर से लेते हैं, काश्तकार से कोई चीज नहीं लेते। जिस रोज हम काश्तकार से सारी चीज लेंगे और सेंट परसेंट प्रोक्योर कर लेंगे उस रोज सब को पूरा राशन देंगे। आपका यह कहना कि ४ छटांक देते हैं जबकि जेल में १४ छटांक दिया जाता है, तो यह कोई बात नहीं हुई। जिनका पेट खाली था क्या वे ही जेल गये थे, क्या आप इसीलिये गये थे? जेल में तो कोई चीज सब्सिडाइज करने के लिये नहीं मिलती। बाहर तो सब्जी है, दाल है, अंडा-मुर्गी है, दूध है, महुआ के फूल हैं, बहुत सी चीजें हैं। जेल में कोई चीज उपलब्ध नहीं है।

अब जहां तक कि कूड़ा देने का सवाल है, मैं समझता हूं कि पौष्टिक और बैलेंस्ड डायट हम देना चाहते हैं। जिस रोज स्टेट ट्रेडिंग हो जायगी तो त्रिलोकी सिंह जी को भी बैलेंस्ड डायट मिलेगी और वह ऐसे कमजोर नहीं रहेंगे---जिस रोज पूरे प्रदेश में स्टेट ट्रेडिंग हो जायगी।

अन्त में केवल यह कहना चाहता हूं कि न तो गवर्नमेंट हमेशा रहेगी, न हम फूड मिनिस्टर रहेंगे, न विरोधी दल के नेता रहेंगे, हम आयेंगे और जायेंगे, लेकिन आज की डिबेट हमेशा प्रोसीडिंग्स में रहेगी और उसे जज करेगी आने वाली संतान कि कितने आज हम अंधे हो गये हैं पालिटिक्स से और वह यह भी जज करेगी कि किस तारीके से खाद्य नीति चलायी गयी।

श्री अध्यक्ष---अब यह बहस समाप्त होती है।

अब हम उठते हैं और सोमवार, ३१ तारीख को ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, ३१ अगस्त, १९५९ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२८ अगस्त, १९५९।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५६ पर)

बेकार शिक्षितों को काम देने तथा प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए जो दो अध्यापकों के स्कूल इस वर्ष खोले जा रहे हैं उनकी जिलवार प्रस्तावित सूची ।

जिले का नाम	प्रस्तावित स्कूलों की संख्या
(१) देहरादून	११
(२) सहारनपुर	१२
(३) मुजफ्फरनगर	१९
(४) मेरठ	४१
(५) बुलन्दशहर	४०
(६) अलीगढ़	२६
(७) मथुरा	२६
(८) आगरा	१३
(९) मैनपुरी	३४
(१०) एटा	२०
(११) बरेली	१६
(१२) बिजनौर	१५
(१३) बदायूं	३७
(१४) मुरादाबाद	५१
(१५) शाहजहांपुर	१४
(१६) पीलीभीत	११
(१७) रामपुर	१७
(१८) नैनीताल	११
(१९) अल्मोड़ा	३६
(२०) पौड़ी-गढ़वाल	२१
(२१) टिहरी-गढ़वाल	२०
(२२) फर्रुखाबाद	१३
(२३) इटावा	१२
(२४) कानपुर	३९
(२५) फतेहपुर	२३
(२६) इलाहाबाद	३१
(२७) बांदा	३५
(२८) हमीरपुर	१५
(२९) झांसी	५०
(३०) जालौन	१५
(३१) वाराणसी (भदखेही)	२०
(३२) मिर्जापुर	२६
(३३) जौनपुर	२०
(३४) गाजीपुर	१४
(३५) बलिया	२०
(३६) गोरखपुर	५०
(३७) देवरिया	४४

विधान सभा पुस्तकालय

जिले का नाम	प्रस्तावित स्कूलों की संख्या
(३८) बस्ती	५८
(३९) आजमगढ़	२५
(४०) बहराइच	३५
(४१) गोंडा	४०
(४२) फैजाबाद	४६
(४३) लखनऊ	२०
(४४) उन्नाव	३६
(४५) रायबरेली	१९
(४६) सीतापुर	३८
(४७) खीरी	२८
(४८) प्रतापगढ़	२२
(४९) हरदोई	३५
(५०) बाराबंकी	५१
(५१) सुलतानपुर	४६
योग ..	१,४२५

योजना का संक्षिप्त विवरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिपादित "बेकार शिक्षितों को काम देने तथा प्राथमिक शिक्षा का प्रसार" नामक योजना गत वित्तीय वर्ष के अन्त से ही आरम्भ कर दी गई है। क्योंकि गत वित्तीय वर्ष में इस योजना को आरम्भ करने का निर्णय वर्ष के अन्तिम भाग में लिया गया था अतः गत वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत केवल २,००,००० रु० अन्तरिम जिला परिषदों को इस वर्ष खोले जाने वाले स्कूलों की सज्जा आदि के लिये अनावर्त्तक अनुदान के रूप में दिया गया था।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (१९५९-६०) के लिये इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव हैं:—

प्रस्ताव	अनुमानित व्यय
(अ) १,४२५ दो अध्यापकों के प्राथमिक स्कूलों का खोला जाना—	१३,४३,७७५ रु० आवर्त्तक तथा सज्जा आदि के लिये ५,१२,५०० रु० अनावर्त्तक।
(ब) अध्यापिकाओं के बिना किराये के रहने के लिये २३० आवास गृहों का निर्माण (२,५००रु० प्रति आवास गृह की दर से)—	५,७५,००० रु० अनावर्त्तक।
(स) ५७ प्रति उपविद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति—	६८,४०० रु०
(द) २८५-० अध्यापकों का अल्प-कालीन प्रशिक्षण	७१,२५० रु०
योग ..	२५,७०,९२५ रु०

अगले वर्ष इस योजना के अन्तर्गत १,९०० प्राथमिक स्कूल खोले जायेंगे तथा ७६ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक नियुक्त होंगे। इस पर अगले वर्ष ६३,०३,४४८ रु० का अनुमानित व्यय होगा।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६५ पर)

मैनपुरी जिले में बजट वर्ष १९५७–५८ व १९५८–५९ में बन्दूकों के लायसेंस के लिये दी गई थानेवार दरख्वास्तें तथा उनमें जो स्वीकृत हुई उनकी तालिका

	१९५७–५८		१९५८–५९	
थाने का नाम	बन्दूक के लाइसेंस के लिये प्राप्त दरख्वास्तों की संख्या	प्रार्थना-पत्र जिन पर लाइसेंस स्वीकृत हुये उनकी संख्या	बन्दूक के लाइसेंस के लिये प्राप्त दरख्वास्तों की संख्या	प्रार्थना-पत्र जिन पर लाइसेंस स्वीकृत हुये उनकी संख्या
मैनपुरी	१५५	६३	२०१	९८
कुरावली	६७	१२	५८	१२
फिरोर	५४	११	१००	२४
शिकोहाबाद	१२९	१९	१६३	१६
सिरसागंज	९८	८	७०	७
भोगांव	६७	१३	९७	१६
बेवर	७५	१७	९२	२४
किशनी	६८	११	८९	१०
जसराना	४५	८	६	२१
एका	३९	६	४९	७
फरिहा	१४	५	२६	४
करहल	५०	४	६८	८
कुरहि	८२	१८	८४	१०
	९४३	१९५	१,१८३	२५७

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७१—७२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६७ पर)

जिला आजमगढ़ में दिनांक १ अप्रैल, १९५९ से ३१—जुलाई, १९५९ तक घटित कत्ल, डकैती, राहजनी तथा चोरियों की संख्या

कत्ल	१६
डकैती	२
राहजनी	..
चोरी	१८३

विधान सभा उत्तर प्रदेश

मत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६८ पर)

तालिका

तहसील		मध्यवर्तियों की संख्या जिन्हें ३१ जुलाई, १९५९ तक पुनर्वासन अनुदान देना शेष था	शेष पुनर्वासन अनुदान की धनराशि
			रु०
सदर	..	१,३५६	१०,८२,४७१.५१
महराजगंज	..	४४१	२,६५,९१८.५६
बांसगांव	..	२,१११	७,३८,१७६.०८
फरेंदा	..	८३२	५,१६,६४९.५७
	योग	४,७४०	२६,०३,२१५.७२

उद्धरण प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १४३ एल० ए०—१९५९—८४५ ।